बुधवार,
२४ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, २४ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयातित सैन्य-सामग्री जांच समिति

*१२५४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५३–५४ में आयातित सैन्य-सामग्री जांच समिति किन्हीं और आयातित वस्तुओं के देश में ही उत्पादित किए जाने की सम्भावनाओं की सिफारिश कर सकी थी; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सन् १९५३–५४ में आयातित सैन्य सामग्री जांच समिति रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के लगभग ४४२ मद देशी उत्पादन के लिए सिफारिश करने में समर्थ हो सकी है। रक्षा विभाग द्वारा इनमें से ३०१ वस्तुओं का परीक्षण के रूप में देशी उत्पादकों को आर्डर दिया गया। सामान्य वस्तुओं तथा कपड़ों के अतिरिक्त इन मदों में यांत्रिक परिवहन, नौवहन,

चिकित्सा सम्बन्धी तथा सिगनल सम्बन्धी सामान भी सम्मिलित है।

सरदार हुक्म सिंह : इस समिति ने जिन वस्तुओं की सन् १९५३–५४ में देशी उत्पादन की सिफारश की थी उनका सन् १९५२–५३ में कितने मूल्य का उत्पादन किया गया ?

श्री सतीश चन्द्र : ये आंकड़े में नहीं दे सकता। पहले के वर्षों में दिये गये कुछ आर्डर चालू वर्ष में कार्यान्वित हुए होंगे, किन्तु इन वस्तुओं के सम्बन्ध में विदेशों में कोई नए आर्डर नहीं दिए गये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक सन् १९५३-५४ में इन चीजों की आवश्यकता का सम्बन्ध है, आयातों का कुल मूल्य क्या था ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। इन सब मदों के आंकड़े संयोजित करना बहुत कठिन है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि परीक्षण के लिए जो देशी उत्पादकों को प्रारम्भिक आर्डर दिए गये हैं उनका मूल्य २१,४६,२१६ रुपए है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि सेना की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए सेना प्राधिकारियों अथवा रक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ किया गया था जिससे कि देशी उत्पादन प्रोत्साहित किया जा सके ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, सेना में टेक-नीकल विकास संस्था है तथा अन्य रक्षा सेवाओं की भी अनुरूपी शाखायें हैं। जब उनकी

अथवा आयातित सैन्य सामग्री जांच समिति की राय में कोई वस्तु विशेष इस देश में निर्मित की जा सकती है तो उनके द्वारा कभी-कभी प्रारूपण तथा रूपांकन आदि तैयार किए जाते हैं। तब निर्माताओं से उन रुपांकनों के अनुसार वस्तुएं निर्मित करने को कहा जाता है।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन चीजों के आर्डर दिए गये थे उनकी पूर्ति की जा चुकी है और क्या उन्हें संतोषजनक पाया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : लगभग २१ लाख रु० के कुल आर्डरों में से २,६१,००० रु० के परीक्षण आर्डर इस वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्हें परीक्षित किया गया तथा अधिकतर को संतोषजनक पाया गया। अन्यों को परीक्षित किया जा रहा है। यह बहुत ही हाल की चीज़ है, अर्थात् चालू वित्त वर्ष से सम्बन्धित।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या माननीय उपमंत्री हमें इसका अंदाज़ा दे सकते हैं कि सन् १९५३–५४ में आयात किए गये सामान के मूल्य का अनुपात इस काल में खरीदे गये कुल सामान से क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है। यह विवरण कई बार सदन पटल पर रक्खा जा चुका है।

यय में मितव्ययता

*१२५६. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति से केन्द्रीय सरकार के व्यय में कुल कितनी मितव्ययता हुई ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : प्राक्कलन समिति के छः प्रतिवेदनों में से चार के कार्यान्वित करने से लगभग ५१ लाख रुपए (४३·३ लाख रुपए) आवर्ती तथा ७·८१ लाख रुपए अनावर्ती) की मितव्ययता हुई है। अग्रेतर सूचना संकलित की जा रही है तथा यथासमय शीघ्र सदन पटल पर रक्खी जाएगी।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह मितव्ययता किन-किन विभागों में की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : निम्नलिखित विभागों अथवा मंत्रालयों में :

उद्योग तथा रसद मंत्रालय (जो अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय है)।

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय।

संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय।

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग।

एस्टेट आफिस।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रदर्शिनी सहायक निदेशक।

आयात व निर्यात नियंत्रक का कार्यालय।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के व्यापारिक प्रतिनिधियों के कार्यों का एकीकरण।

इनके अतिरिक्त दो प्रतिवेदन और हैं। एक का सम्बन्ध सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से है तथा उसकी जांच की जा रही है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सचिवालय और मंत्रालय में, ऐस्टिमेट्स कमेटी के अलावा, बचत की बातों का सुझाव रखने के लिए कोई जांच-पड़ताल करने की व्यवस्था है ? और अगर है तो क्या काम हो रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : प्राक्कलन समिति के प्रथम चार प्रतिवेदनों पर वित्त मंत्रालय में जांच की गयी थी। पांचवीं पर सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में विचार हो रहा है। छटवां प्रतिवेदन केवल नवम्बर, १९५३ में ही प्रस्तुत किया गया था। पुनः, वित्त मंत्रालय

में एक मितव्ययता विभाग है जो व्यय में कमी करने के लिए सब मंत्रालयों की जांच कर रहा है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें से किस विभाग में सबसे अधिक मितव्ययता हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारी प्रश्नावधि को माननीय मंत्री द्वारा पढ़े जाने वाले ब्यौरे में ही समाप्त नहीं होने दे सकता ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक प्रतिवेदन के सिलसिले में प्राक्कलन समिति पर कितना व्यय किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का आशय प्राक्कलन समिति द्वारा की गयी मितव्ययता सम्बन्धी सिफारिशों की कुल राशि से है ? (**अंतर्बाधा**) ।

यदि चार-पांच सदस्य एक साथ बोलेंगे तो मैं नहीं सुन सकता । निर्वचन की क्या आवश्यकता है ? माननीय सदस्य को अपना प्रश्न पूछने दिया जाए ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति की बैठकों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गयी ?

श्री एम० सी० शाह : इस का सम्बन्ध संसद् सचिवालय से है । यह सूचना वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दी जा सकती ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई ऐसा विभाग है जो कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से असहमत है और, यदि हां, तो क्यों ?

श्री एम० सी० शाह : प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर की गयी समस्त कार्य-वाहियों का ब्यौरा समय-समय पर हम सदन पटल पर रखते रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राक्कलन समिति की मितव्ययता सम्बन्धी कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकृत नहीं की गयी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जो भी विशिष्ट सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं उनका विवरण सदा सदन पटल पर रक्खा जाता रहा है । यदि अलग से प्रश्न पूछा जाए तो मुझे आशा है वह इसका उत्तर दे सकेंगे ।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राक्कलन समिति ने राष्ट्रीय नमूना परिमाप के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है और क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम बहुधा विस्तृत ब्यौरा पूछने लग जाते हैं । मंत्री जी से यह सब ब्यौरा जानने की कैसे आशा की जा सकती है ।

राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क कार्यालय

*१२५७. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या युनाइटेड किंगडम की सरकार के राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क कार्यालय द्वारा भारत सरकार की ओर से किये जाने वाले एजेंसी कार्यों में कोई कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किस प्रकार की; तथा

(ग) १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ में कितना धन निर्धारित किया गया तथा कितना भुगतान किया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) स्टर्लिंग ऋण तथा रेलवे वार्षिकी तथा फौजी पेंशनों के प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त, जो अब भी राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क कार्यालय के पास है, एजेंसी कार्य का सारा भार उस कार्यालय से अब अन्तिम रूप

से लन्दन स्थित भारत के उच्चायुक्त ने ले लिया है।

(ग) वे धन राशियां जो निर्धारित की गई थीं तथा जिनका भुगतान किया गया था निम्न है :

	निर्धारित की गई	भुगतान की गई
१९५१–५२	१०३,००० पौं०	१०२,००० पौं०
१९५२–५३	८७,००० पौं०	९०,००० पौं०
१९५३–५४	७८,५०० पौं०	[अभी भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान आयव्ययक के अनुदान के अनुसार होगा अर्थात् ७६,५०० पौं०]

श्री एस० एन० दास : क्या इन कार्यों के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप, उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसमें कितना धन सन्निहित है ?

श्री एम० सी० शाह : जहां तक सूचना मिली है वह यह है कि कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं हुआ है परन्तु मेरे पास इस सम्बन्ध में हुए अतिरिक्त व्यय के आंकड़े नहीं हैं।

भारतीय प्रशिक्षक वायुयान

*१२५९. **श्री राधा रमण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल भारत में प्रयोग होने वाले ऐसे कितने प्रशिक्षक वायुयान हैं जिनकी बनावट तथा निर्माण भारत ने किया है;

(ख) गत वर्ष भारत में कितने वायुयान बनाये गये ; तथा

(ग) चालू वर्ष के लिये निश्चित निर्माण-कार्यक्रम क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) आजकल कोई नहीं।

(ख) सन् १९५३ में २० प्रशिक्षक वायुयानों का निर्माण हुआ।

(ग) सन् १९५४ में हिन्दुस्तान एयरक्रेफट लि० ने ५४ एच० टी–२ वायुयान बनाने की योजना बनाई है।

श्री राधा रमण : क्या भारत में बने प्रशिक्षक वायुयान तथा उनके पृथक पृथक् भाग देश के ही बने हैं अथवा उन्हें यहां एकत्रित किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : वायुयान का मुख्य ढांचा पूर्णतया भारत में बनाया जाता है। इसकी बना-वट तथा निर्माण भारत में हुआ है।

श्री राधा रमण : भारतीय सेना के लिये कितने प्रशिक्षक वायुयानों की आवश्यकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी मैं यह संख्या नहीं बता सकता हूं अपितु मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने कहा है कि वायुयान का ढांचा भारत में बनाया जाता है। क्या यह सच है कि ढांचा बनाने के लिये एलूमीनियम की चादरें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं।

श्री सतीश चन्द्र : वास्तव में ही बहुत सा कच्चे सामान का आयात करना पड़ता है परन्तु हम देश में बनाने वालों से भी एलूमीनियम की चादरें लेते हैं।

श्री लक्ष्मय्या : यहां बनाये गये एक वायुयान की औसत लागत क्या होती है ?

श्री सतीश चन्द्र : जब तक कुछ वायुयान बना न लिये जायें तब तक लागत बताना

कठिन है । आरम्भ में, लागत अधिक होती है, परन्तु उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ इसमें उत्तरोत्तर कमी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य औसत लागत जानना चाहते हैं । यदि २० वायुयानों की कुल लागत को २० से विभक्त कर दिया जाये तो उन्हें औसत मूल्य मालूम हो जायेगा ।

श्री मेघनाद साहा: क्या यहां बनाये गये वायुयानों के लिये इस देश में बनाया गया एलूमीनियम सर्वथा अपर्याप्त नहीं है ?

श्री सतीश चन्द्र: हमने थोड़े से वायुयान बनाये हैं ।

श्री टी० के० चौधरी: भारत में बनाये गये प्रशिक्षक वायुयानों में से कितने प्रयोग हो रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: मूल प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा था कि आजकल कोई प्रयोग में नहीं है । कदाचित जून या जुलाई में, अब तक बनाये गये वायुयान निरन्तर प्रयोग के लिये भारतीय वायु सेना को दे दिये जायेंगे ।

जनसंख्या अध्ययन

*१२६०. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न वर्गों की जन संख्या के अध्ययन संबंधी योजना में कितनी प्रगति हुई है; तथा

(ख) सर्वेक्षण की अन्तरिम खोजें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कदाचित् यह निर्देश शारीरिक विकास तथा अस्थिपंजर की परिपक्वता के अध्ययन की ओर किया जा रहा है । यह योजना सन्तोषजनक प्रगति कर रही है ।

(ख) योजना के कम से कम पांच वर्ष तक कार्यान्वित रहने से पहिले कुछ भी बता सकना सम्भव नहीं है ।

श्री एम० सी० सामन्त: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल के सरिशा इलाके में जो नृतत्वीय, ऐनथ्रोपोलाजिकल और रेडिओलाजिकल जांच आबादी के बारे में हुई थी उसका क्या नतीजा निकला ?

डा० एम० एम० दास: शारीरिक विकास तथा अस्थिपंजर की परिपक्वता के अध्ययन की योजना, जिसका लक्ष्य इन विषयों में भारतीयों के आदर्शों तथा प्रकारों का पता लगाना है, कलकत्ता के समीप ग्रामीण क्षेत्र में परियोजित तथा सीमित आधार पर कार्यान्वित की गई है । जब तक कि योजना कम से कम पांच वर्ष तक कार्यान्वित न रहे तब तक कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में जो जांच हुई थी उसके साथ बंगाल की जो जांच हुई है उसका क्या सादृश्य है ?

डा० एम० एम० दास : उत्तर प्रदेश में जो जांच की गई थी वह सर्वथा एक भिन्न विषय के बारे में थी । उस विषय का इस जांच से कोई सबंध नहीं है जो कलकत्ता के समीप इस गांव में की जा रही है । कलकत्ता के पास होने वाली जांच का संबंध शारीरिक विकास तथा अस्थिपंजर की परिपक्वता से है जब कि उत्तर प्रदेश में भी की गई जांचों का संबंध जातियों के जीवन तथा सामाजिक नमूने से था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : जनसंख्या के इस अध्ययन में सुजननविद्या का कितना प्रयोग किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार का नृतत्वीय विभाग अध्ययन कर रहा है ।

सस्ते मकान

*१२६१. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ तथा १६ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तरों का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार सस्ते मकान संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर चुकी है ;

(ख) क्या समिति के सुझाव के अनुसार कोई नमूने का मकान बनाया गया है; तथा

(ग) समिति के सुझाव के अनुसार मकान बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री तैयार करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां श्रीमान् । रुड़की स्थित केन्द्रीय भवन-निर्माण गवेषणा केन्द्र में एक 'शैल क्रीट" (Shell crete) नमूना बनाया गया है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मकान प्रदर्शनी में चार नमूने के मकान बनाये है ।

(ग) एक विवरण, जिसमे अपेक्षित सूचनादी है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ६६]**

श्री के० पी० सिन्हा : क्या समिति के सुझाव के अनुसार मकान बनाने के लिये प्रयोग-विभाग स्थापित हो गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय ने विभाग स्थापित कर दिया है तथा अब सारा मामला उनके हाथ में है ।

मनीपुर व त्रिपुरा के सचिवालय

*१२६३. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) मनीपुर तथा त्रिपुरा सरकारों के सचिवालयों में सहायकों (असिस्टेन्ट्स) की न्यूनतम आवश्यक अर्हता क्या है ;

(ख) क्या दोनों सचिवालयों में सचिवालय पुस्तिका तथा कार्यपालन पुस्तिका लागू कर दी गई है; तथा

(ग) मनीपुर तथा त्रिपुरा में सचिवालयों तथा कार्यालयों में वेतन-प्रणालियों में क्या अन्तर है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) मनीपुर में मैट्रीकुलेशन तथा त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये इन्टरमीजियेट अन्यथा किसी विश्व-विद्यालय की डिग्री न्यूनतम अर्हता है ।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन की अपने सचिवालय के लिये अपनी कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका है तथा मनीपुर प्रशासन आसाम सचिवालय पुस्तिका का पालन करता है ।

(ग) मनीपुर में कोई अन्तर नहीं है । एक विवरण जिसमें त्रिपुरा में विद्यमान अन्तर का उल्लेख है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७].**

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने मनीपुर सरकार

के सारे विभागों में आसाम की वेतन श्रेणियां लागू करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया है ?

डा० काटजू: मेरी समझ में ठीक तरह नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि क्या मनीपुर में आसाम की वेतन श्रेणियां जारी की गई हैं ।

डा० काटजू: मनीपुर में आसाम की वेतन श्रेणियां जारी की गई हैं तथा त्रिपुरा में पश्चिमी बंगाल की । मैंने अतिरिक्त जानकारी दे दी है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लिए जो शैक्षणिक अर्हताएं निश्चित की गई हैं, क्या वे सचिवालय में अधिक उम्मीदवार लाने में सफल हुई हैं ?

डा० काटजू: हमने इन अर्हताओं को इंटरमीजिएट तक कम कर लिया है और मैं ने किसी से यह शिकायत नहीं सुनी है कि अर्हता का यह स्तर बहुत ऊंचा है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं परिणाम जानना चाहता हूं ।

डा० काटजू: 'परिणाम' से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है ? यदि वे कुछ निश्चित जानकारी चाहते हैं तो मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मेरा प्रश्न यह है : सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं कम रखने का भला काम किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मनीपुर के सचिवालय में .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अधिक उम्मीदवार आये हैं ?

डा० काटजू: मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री के० के० बसु: त्रिपुरा में ऐसे पदों का अनुपात क्या है जिन पर त्रिपुरा के निवासी ही काम करते हैं ?

डा० काटजू: वास्तव में मुझे कोई पता नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: यह देखते हुए कि मनीपुर तथा त्रिपुरा दोनों ही भाग 'ग' राज्य हैं, न्यूनतम अर्हताओं के विषय में मनीपुर के लिए एक व त्रिपुरा के लिए अलग स्तर रखने का क्या कारण है ?

डा० काटजू: मैं समझता हूं कि इसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या हम वे ऐतिहासिक कारण जान सकते हैं ?

डा० काटजू: त्रिपुरा अधिक विकसित है और मनीपुर शायद कुछ पिछड़ा सा है ।

श्री रिशांग किशिंग: क्या मैं यह मान लूं कि मनीपुर के सारे सरकारी कर्मचारियों को आसाम की वेतन श्रेणियां प्राप्त हैं ?

डा० काटजू: इस प्रकार जानकारी प्राप्त है । किन्तु यदि मेरे माननीय मित्र किसी विशिष्ट मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो, मैं पूछताछ करूंगा ।

श्री रिशांग किशिंग: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीपुर में शिक्षा विभाग के अलावा अन्य कहीं भी आसाम की वेतन श्रेणियां जारी नहीं की गई हैं, क्या सरकार इस विषय में जांच पड़ताल कर के आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

डा० काटजू : मैं इस विषय में अधिक पूछताछ करूंगा ।

मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग

*१२६४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **रक्षा** मंत्री मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग द्वारा १९५३ में की गई प्रगति का विवरण देने की कृपा करेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं मंत्रालय के कार्य के सम्बन्ध में सदन के सदस्यों में परिचालित किये गए विवरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं सदन पटल पर एक विवरण भी रखता हूं जिसमें किए गए काम का विस्तृत वर्णन दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६८].**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : संवरण व्यवस्था में, अर्थात् अधिकारियों की भर्ती की व्यवस्था में इस विभाग ने कितनी सहायता दी है ?

श्री सतीश चन्द्र : किसी गवेषणा संस्था के परिणामों का ठोस वर्णन देना कुछ कठिन सा होता है । साधारणतया यह कहा जा सकता है कि अकादमी में होने वाली निरर्थक हानि का अनुपात कम हो रहा है और अस्वीकृतियों का प्रतिशत भी क्रमशः गिर रहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कौन सी नई परीक्षाएं जारी की गई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक विवरण माननीय सदस्यों में परिचालित किया गया है तथा सदन पटल पर भी रखा गया है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : परिचालित विवरण से पता चलता है कि ऐसी कुछ परीक्षाएं हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये परीक्षाएं प्रादेशिक भाषाओं में ली जाती हैं; क्या ये अंग्रेज़ी जानने वालों के लिए हैं अथवा न जानने वालों के लिए ?

श्री सतीश चन्द्र : अधिकतर परीक्षाएं किसी भी भाषा में नहीं होतीं । कभी कभी व्यवस्थित रचना के लिए लकड़ी के चौकोर गिट्टे होते हैं, कभी आड़ी-खड़ी रेखाएं, त्रिकोन, चौकोन या चित्र होते हैं । यदि माननीय सदस्य उनमें से कुछ देखें तो उन्हें पता चलेगा की मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं बिल्कुल भिन्न होती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए "नेतृत्व पर रोशनी" नामक एक प्रलेखीय चलचित्र इस विभाग द्वारा बनाया गया था ? क्या मैं और यह भी जान सकता हूं कि क्या इसी प्रकार के अन्य चित्र बनाने का सरकार का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : चलचित्र का सम्बन्ध मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग द्वारा की गई प्रगति से है । वह गवेषणा सम्बन्धी चलचित्र है; स्वयं गवेषणा नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या इस विभाग में कुछ विदेशी व्यक्ति भी हैं और यदि हों, तो उनकी संख्या और राष्ट्रीयता क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : कोई नहीं । युद्धकाल में इस विभाग के सारे अधिकारी अंग्रेज थे किन्तु अब हमारे लोगों ने इसे पूरी तौर से हाथ में ले लिया है ।

लड़कियों के लिए शिक्षा संस्थाएं

*१२७१. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसी शिक्षा संस्थाओं की संख्या कितनी है जो केवल लड़कियों के लिए हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार सहायता देती है ; और

(ख) क्या इन संस्थाओं में हरिजन कन्याओं के लिए कोई स्थान सुरक्षित है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ९।

(ख) इस मंत्रालय में इस विषय के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुपुर में विमानों के उतरने का मैदान

*१२७२. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या युद्धकाल में हिन्दुपुर में कोई आपातकालीन विमान उतरने का मैदान तैयार किया गया था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके तैयार करने पर कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) इस समय यह मैदान किसके प्रभार में है ;

(घ) क्या व्यापारिक प्रयोग के लिये इस मैदान के नवीकरण की कोई प्रस्थापना की गई है; तथा

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस भूमि को किसी दूसरे प्रयोजन के लिये देने को तैयार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान्,

(ख) लगभग १·६ लाख रुपये।

(ग) यह अब रक्षा मंत्रालय के प्रभार में नहीं है; भूमि १९५० में अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई थी तथा मालिकों को लौटा दी गई थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता है।

श्री लक्ष्मय्या : रायलसीमा में किसी विमान-पत्तन के न होने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हिन्दुपुर में कोई विमान-पत्तन के बनाने या विमान उतरने के मैदान के नवीकरण का विचार रखती है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने पहले बताया है, सरकार का इस मैदान के, जिसे मालिकों को लौटाया जा चुका है, नवीकरण का कोई विचार नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं उन्हें बता दूं और वह इसे जानते भी हैं--कि इस स्थान से बंगलौर केवल ६० मील दूर है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं समाचारपत्रों में पढ़ता रहा हूं कि सरकार कुरनूल में हवाई अड्डे को बनाने की प्रस्थापना पर गम्भीरता से विचार कर रही है। क्या इस विचार से हिन्दुपुर की प्रस्थापना को त्याग दिया गया है ?

सरदार मजीठिया : नहीं, श्रीमान्, रक्षा मंत्रालय के सामने ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है। परन्तु यदि माननीय मंत्री असैनिक विमान-उड्डयन के बारे में सोच रहे हैं तो वह इस प्रश्न का सम्बोधन संचार मंत्री से करें।

न्यायालय परिसमापक

*१२७३. **श्री के० के० बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बैंकिंग समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कलकत्ता के अतिरिक्त दूसरे उच्च न्यायालयों में न्यायालय-परिसमापक नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कार्य के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है; तथा

(ग) न्यायालय परिसमापक के लिए निर्धारित सेवा की शर्तें तथा अर्हतायें क्या हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) अधिनियम की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत, कलकत्ता,

बम्बई तथा त्रावणकोर-कोचीन के सिवाय सभी उच्च न्यायालयों को न्यायालय-परिसमापक की नियुक्ति के आभार से छूट दे दी गई है । बम्बई तथा त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालयों द्वारा बैंकिंग समवाय (अधिनियम), १९५३ के लागू होने से पहले नियुक्त किये गये न्यायालय-परिसमापक पहले से ही कार्य कर रहे हैं तथा राज्य सरकारों से इन नियुक्तियों को अधिनियम के संशोधित रूप से अन्तर्गत अधिसूचित करने के लिए परामर्श हो रहा है ।

(ग) इन पर विचार हो रहा है ।

श्री के० के० बसु: क्या कलकत्ता में न्यायालय-परिसमापक की कोई नियुक्ति हुई है ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, ऐसी एक नियुक्ति हुई है ।

श्री के० के० बसु : सभासचिव ने अपने उत्तर में केवल बम्बई तथा त्रावनकोर-कोचीन का ही निर्देश किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कलकत्ता के सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा था कि यह व्यवस्था पहले से चल रही है ।

श्री के० के० बसु : कलकत्ते में ऐसा कोई न्यायालय-परिसमापक नहीं था ।

श्री बी० आर० भगत : कलकत्ता में एक न्यायालय-परिसमापक नियुक्त किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां ।

श्री के० के० बसु: क्या उन्हें विज्ञापन द्वारा तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया गया है अथवा सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं विशेषत: यह नहीं बता सकता कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया था या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विषय पर एक पृथक् प्रश्न पूछें । यह किसी खण्ड के अन्तर्गत नहीं आता है :

श्री के० के० बसु : क्या कलकत्ता में नियुक्त किया गया न्यायालय-परिसमापक अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया गया है अथवा यह स्थायी नियुक्ति है ?

श्री बी० आर० भगत : अवधि को निश्चित नहीं किया गया है ।

त्रिपुरा में लाठी प्रहार

*१२७४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में फ़रवरी, १९५४ के तीसरे सप्ताह में कोई लाठी प्रहार किया गया था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके कारण;

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए थे तथा कितने व्यक्ति पकड़े गये थे; तथा

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच पड़ताल कराने का कोई विचार रखती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) अगरतला में २० फ़रवरी, १९५४ को एक साधारण लाठी प्रहार करना पड़ा था क्योंकि एक उपद्रवी भीड़ इकट्ठी हो गई थी तथा उसने पुलिस तथा तुलशीबटी कन्या विद्यालय की छात्राओं पर, जिन्हें उन्होंने बलपूर्वक विद्यालय में जाने से रोकने

का प्रयत्न किया था, ईंट पत्थर बरसाने आरम्भ कर दिये थे ।

(ग) जनता के ५० व्यक्ति तथा पुलिस के ४१ अधिकारी तथा सिपाही घायल हुए थे तथा ६२ व्यक्ति पकड़े गये थे ।

(घ) कोई नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रश्न के भाग (घ) के सम्बन्ध में क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा के विधि-जीवी संघ तथा भारतीय चिकित्सक संघ जैसी संस्थाओं ने पुलिस के अत्याचारों के बारे में विरोध प्रकट किया है तथा इस घटना की एक गैर सरकारी जांच किये जाने की मांग की है ?

डा० काटजू : मुझे विधिजीवी संघ द्वारा ऐसे संकल्प के पारित किये जाने के बारे में तो मालूम है परन्तु चिकित्सक संघ के बारे में नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस विचार से कि श्री दशरथ देव, संसद् सदस्य तथा मुझे इस घटना के सम्बन्ध में भेजे गये तारों को डाक अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार यह है कि जनता को संसद् सदस्यों तक उस सूचना के जिसे वह महत्वपूर्ण समझती है, भेजने से रोका जाय ?

डा० काटजू : मुझे ऐसी रुकावट का पता नहीं है । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, निस्सन्देह सरकार का ऐसा विचार नहीं है ।

श्री के० के० बसु : "साधारण लाठी प्रहार" वाक्य का अर्थ क्या है ? क्या इसकी व्याख्या सम्बन्धित व्यक्ति को लगी चोट के विचार से की जाती है ? हम 'साधारण' तथा 'सख्त' लाठी प्रहार में किस प्रकार से भेद करें ?

डा० काटजू : यह तो एक प्राचीन वाक्य हो चुका है । लाठी प्रहार को साधारण ही कहा जाता है, परन्तु यदि चोटें बहुत अधिक हों तो यह सख्त लाठी प्रहार बन जाता है ।

श्री दसरथ देव : क्या यह सच है कि इस साधारण लाठी प्रहार में, जैसा कि हमारे गृह-कार्य मंत्री ने इसे बताया है, अगरतला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है तथा उसकी दो पसलियां टूट गई हैं ?

डा० काटजू : मैं चोटों के बारे में तो ठीक ठीक नहीं जानता हूं, परन्तु हुआ यह कि बहुत से लोग दौड़ कर घरों की छतों पर चढ़ गये थे तथा वहां से पुलिस पर ईंट पत्थर बरसा रहे थे । इस आक्रमण को रोकने के लिए पुलिस छतों पर चढ़ दौड़ी थी । बहुत सम्भव है कि इस प्रकार की घटना में डाक्टर को चोट आई हो परन्तु उसको कितनी चोट आई है यह ठीक ठीक मैं नहीं जानता हूं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना है कि त्रिपुरा की इस घटना में किसी राजनैतिक दल को कोई रुचि थी ?

डा० काटजू : मेरी सूचना यह है कि कलकत्ता के अध्यापकों से सहानुभूति के रूप में विद्यार्थियों को हड़ताल करने के लिए विवश करने का प्रयत्न किया गया था । कहा जाता है कि एक संसद्-सदस्य के नेतृत्व में कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य यह सब कुछ कर रहे थे । वे वस्तुतः लड़कियों को बाहर धकेल रहे थे तथा उन्हें अपने विद्यालयों और कक्षाओं में जाने से रोक रहे थे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या त्रिपुरा में सरकार द्वारा प्रयुक्त बल पूर्वी जर्मनी में प्रयक्त-बल की अपेक्षा कम था ?

डा० काटजू : ठीक अनुमान करना तो कठिन है, परन्तु जनता के ५० व्यक्तियों तथा पुलिस के ४१ सदस्यों को चोटें आईं थीं । पुलिस के घायल सदस्यों की संख्या से ही स्पष्टीकरण हो जाता है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या यह सच है कि लाठी प्रहार के दिन प्रात: दस बजे त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त ने उक्त संसद-सदस्य को हड़ताल के बारे में विचार विमर्श करने के लिए बुलाया था । उसने दो बजे तक मुख्य आयुक्त के कार्यालय में प्रतीक्षा की थी तथा जब लाठी प्रहार समाप्त हो चुका तो मुख्य आयुक्त ने उसे अपने कमरे से जाने दिया था ?

डा० काटजू : मुझे इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

बिना बिका अभ्रक

*१२७५. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि युद्धकाल में लिये गये अभ्रक के भारी स्टॉक ब्रिटिश फर्मों के पास बिना बिके हुए पड़े हैं ।

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस स्टॉक की अनियंत्रित बिक्री से भारत के अभ्रक खान उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या केन्द्रीय अभ्रक सलाहकार समिति ने जिसकी बैठक अभी हाल में जयपुर में हुई थी, इस संबंध में कोई सिफारिश या प्रार्थना की है ; तथा

(घ) क्या सरकार ब्रिटिश सरकार या संबंधित ब्रिटिश फर्मों के सहयोग से भारत के इस उद्योग के हितों की सुरक्षा करने के लिये कोई उपाय करने का विचार करती है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) । जी हां, श्रीमान् ।

(घ) राष्ट्रीय हित में जो उपाय आवश्यक होंगे, उन्हें सरकार करेगी ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या ब्रिटिश फर्मों ने इस इकट्ठा हुए स्टॉक की बिक्री से सम्बन्धित क़रार की शर्तों का पालन किया है ?

श्री के० डी ० मालवीय : यदि पूर्व क़रार के अनुसार शर्तों का पूरी तौर पर पालन किया जाय तो इस अभ्रक को बिक्री के लिये निकालना पड़ेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या इस मामले के संबंध में केन्द्रीय सरकार की अभ्रक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ कोई बात चीत हुई थी, और यदि हां, तो उसमें क्या बातें तय हुई थीं ?

श्री के० डी० मालवीय : हम कई बार मिल चुके हैं । अभी उसी दिन अभ्रक उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी । अब इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और आशा की जाती है कि कुछ ही दिनों में कोई निर्णय हो जायेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस सारे काल में अभ्रक की बिक्री सरकार के अनुमोदन और मंजूरी से की गई है, अथवा क्या ब्रिटिश फर्मों को उसे स्वेच्छानुसार बेचने की छूट थी ?

श्री के० डी० मालवीय : ब्रिटिश फर्मों से यह आशा की जाती थी और की जाती है कि वे अभ्रक की बिक्री अभ्रक विक्रय मण्डल की सिफारिशों के अनुसार करेंगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस अभ्रक को गोदामों में रखने की व्यवस्था करने के लिये सरकार इन फर्मों को कोई धन दे रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : करार के अनुसार, सरकार को इंगलैण्ड में गोदामों में रखने की व्यवस्था के व्यय में हिस्सा बंटाना पड़ता है ।

त्रिपुरा में भूमि का अधिग्रहण

*१२७६. **श्री दशरथ देव** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक त्रिपुरा सरकार द्वारा तेलियामूरा मंजा में कितने एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है ; और त्रिपुरा के खोवाई डिवीजन के उत्तर पुलिनपुर मंजा में किये गये अधिग्रहण के फलस्वरूप कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा है ?

(ख) क्या यह सच है कि जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहण कर ली गई हैं, उनके पास जीवन निर्वाह के अन्य कोई साधन नहीं हैं ?

(ग) यदि हां, तो इन आदिमजाति के व्यक्तियों के बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि आज कल इस भूमि के सम्बन्ध में वहां के ५०० शरणार्थियों की सहायता से पुलिस द्वारा बहुत से आदिमजाति के व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं ?

डा० काटजू : जब मैं वह जानकारी सदन पटल पर रखूंगा, उस समय मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री बीरेन दत्त : मुझे कल सूचना मिली है ..... !

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य केवल उत्तर प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री बीरेन दत्त: मैं सूचित करना चाहूंगा .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह सूचना देने का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य को जानकारी प्राप्त करनी है ।

श्री बीरेन दत्त : यह प्रश्न माननीय मंत्री से लगभग एक वर्ष पूर्व पूछा गया था । हमें अभी तक जानकारी नहीं दी गई है । अब मुझे सूचना मिली है कि इस भूमि के सम्बन्ध ५०० शरणार्थियों और कुछ आदिमजाति के व्यक्तियों में झगड़ा हो गया है । क्या वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि जानकारी प्राप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

डा० काटजू : जी हां ।

विदेशी धर्मप्रचारक मण्डल

*१२७७. **श्रीमती मायदेव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९४७ के बाद विदेशी धर्म-प्रचारकों द्वारा भारत में कोई नये धर्म-प्रचारक मंडल आरम्भ किये गये थे ; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री जोकीम आल्वा : १९४७ के बाद इस देश में जिन धर्म-प्रचारकों को आने दिया गया है, क्या वे अल्लम गल्लम ईसाई संगठनों से सम्बन्धित हैं, विशेषकर अमरीका के, और उनमें से कोई भी ईसाई धर्म के प्रमुख खंडों से यानी न तो चर्च आफ इंगलैंड से और न चर्च आफ रोम से सम्बन्धित है ?

श्री दातार : जानकारी प्राप्त की जानी है । जब तक मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री एस० एन० दास : क्या विदेशों से आने वाले इन धर्म-प्रचारकों के प्रवेश से संबन्धित नियमों में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री दातार : हमने १९५१ में नियम बनाये थे । वे अभी तक चालू हैं ।

श्रीमती मायदेव : क्या हमारी भी नीति अन्य देशों में धर्म-प्रचारक मण्डल आरम्भ करने की है ?

श्री दातार : जी नहीं, श्रीमान् । यह एक धर्म निरपेक्ष राज्य है ।

बैपटिस्ट धर्म प्रचारक

*१२७८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १० मार्च, १९५४ के समाचारपत्रों में प्रकाशित आसाम के मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य कि बैपटिस्ट धर्म-प्रचारक नागा पहाड़ियों को भारत से अलग करने और उसे एक सामराज्यवादी अड्डे की तौर पर बनाये रखने के एक विदेशी षड़यंत्र में सहायता दे रहे हैं, सच है ?

(ख) यदि हां, तो इस षड़यंत्र को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). इस मामले की जांच हो रही है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि बैपटिस्ट धर्म-प्रचारक मण्डलों के कुछ पादरियों ने नागा पहाड़ियों के गिरजा घरों को 'नागा स्वतन्त्रता दिवस' मनाने तथा अन्य ऐसी चीजें करने का आदेश दिया है ?

श्री दातार : हमने सूचना मंगवाई है । सूचना प्राप्त होने पर सारे मामले पर विचार किया जायेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि जो विदेशी लोग नागा हिल्स में काम कर रहे हैं, इनकी राष्ट्रीयता क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : अगर यह अमरीकन बैपटिस्ट मिशन के हैं, तो यह अमरीकन हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह: वह हिन्दुस्तान की नागरिकता को स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री काटजू : वह फारेन मिशनरी हैं । अगर वह चाहें और यहां के क़ायदे और ज़ाब्ते की तामील करें तो हो सकते हैं, नहीं तो वह नान नेशनल ही रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० त्रिपाठी ।

डा० एन० बी० खरे : क्या आप उनको न्यूट्रल समझते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैंने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारा है । जब तक मैं माननीय सदस्य का नाम न पुकारूं, वह प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि कोहिमा हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक ने विद्यार्थियों को यह आदेश दिया था कि वे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में भाग न लें ?

डा० काटजू : मैंने ऐसा सुना है ; मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि इन करतूतों के कारण कुछ व्यक्तियों को इस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया है ?

डा० काटजू: संभव है, ऐसा किया गया हो ।

श्री देवेश्वर शर्मा : क्या सरकार यह बात स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि क्या सभी इसाई धर्मप्रचारकों की निन्दा की जानी चाहिये, अथवा अपराधियों को व्यक्तिगत रूप से दण्डित किया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये नीति सम्बन्धी प्रश्न हैं । डा० एन० बी० खरे ।

श्री देवेश्वर सर्मा : श्रीमान्, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? ....

डा० एन० बी० खरे : क्या आप मानते हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य एक निवेदन करना चाहते हैं । वह क्या है ?

श्री देवेश्वर सर्मा : मैं यह स्पष्टीकरण इसलिये चाहता हूं क्योंकि मिशनरियों को इस प्रकार की ताड़ना से भ्रांति उत्पन्न होगी । इसलिये मैं इस स्पष्टीकरण की मांग कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि किसी प्रश्न के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी कोई सामान्य प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ।

डा० एन० बी० खरे : क्या आप आसाम में नागा लैण्ड के अमरीकन मिशनरियों को तटस्थ समझते हैं ?

डा० काटजू : तटस्थता सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री टी० के० चौधरी : प्रश्न के भाग (क) के निर्देश से, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इन नागा क्षेत्रों में कुछ विदेशी मिशनरियों द्वारा झगड़े उत्पन्न किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाहियों के विषय में आसाम के मुख्य मंत्री, श्री विष्णु राम मेधी के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ?

डा० काटज : जी हां ।

श्री रिशांग किशिंग : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि उस क्षेत्र के भारतीय आदिमजाति ईसाइयों की देश भक्ति तथा नागरिकता की विश्वस्तता के सम्बन्ध में सदैव ही गम्भीर सन्देह रहे हैं, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच करने तथा सदैव के लिये इस सन्देह को दूर करने के लिये कुछ संसद् सदस्यों को उस क्षेत्र में भेजनें की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्य करने के लिये सुझाव है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : यदि कोई सदस्य वहां जाना चाहें तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन के वहां जाने की बात का स्वागत किया जायेगा, परन्तु सदस्यों द्वारा वहां जाकर दूसरे व्यक्तियों की देश भक्ति की जांच करने की बात कुछ अटपटी सी है ।

श्री अमजद अली: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रभारी मंत्री महोदय श्री टी० के० चौधरी के प्रश्न के उत्तर में 'हां' कहा है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

डा० काटजू : श्री चौधरी की किस बात पर ? उन्होंने मुझ से पूछा था कि क्या श्री विष्णु राम मेधी ने विधान सभा में कोई वक्तव्य दिया है, मैंने कहा 'हां' ।

श्री अमजद अली : इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० काटजू : मैं आसाम सरकार द्वारा समुचित तथा उपयुक्त कार्यवाही किये जाने पर निश्चित हूं, और यदि कोई आ-

वश्यकता आ पड़ती है, तो मैं जो कुछ कर सकता हूं, करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री अमजद अली : क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं, श्रीमान् ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं । मैं कई अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं ।

भारत ब्रह्मा सीमान्तों पर परिवीक्षण चौकियां

*१२७९. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या वित्त मंत्री भारत ब्रह्मा सीमान्तों पर स्थित परिवीक्षण चौकियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री के सभासचिव श्री बी० आर० भगत) : इस समय भारत-ब्रह्मा सीमान्तों पर दो स्थल सीमा-शुल्क स्टेशन तथा पांच निवारक चौकियां हैं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : सन् १९५३ में इन चौकियों पर जुरमानों अथवा सीमा-शुल्कों के रूप में कितनी धनराशि वसूल हई है ?

श्री बी० आर० भगत : इस क्षेत्र में बहुत कम व्यापार होता है, और यह रकम बहुत कम है । मैं ठीक ठीक रकम इस समय नहीं बता सकता हूं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह: क्या सरकार उच्च अधिकारियों को उन सीमा-शुल्क अधिकारियों की जांच करने के लिये, जिन के सम्बन्ध में अवांछनीय तरीकों से बहुत अधिक धनराशि जमा कर लिये जाने की रिपोर्ट है, इन परिवीक्षण चौकियों पर भेजने की प्रस्थापना करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम मूल प्रश्न से परे चले जा रहे हैं । माननीय सदस्य केवल परिवीक्षण चौकियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना चाहते थे । हम अब ऐसे व्यक्तिगत मामलों की कि किसने धन का संचय किया है इत्यादि चर्चा कर रहे हैं ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : मैं जान करना चाहता हूं कि क्या इन परिवीक्षण चौकियों पर नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों की गतिविधियों की कभी कभी जांच की जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री बी० आर० भगत : वह आसाम सरकार के आफ़िसर नहीं हैं । वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं । सामान्य परिवीक्षण किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय: वह सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारी हैं ।

केन्द्रीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा क अधिकारी

*१२८० **श्री इलयापेरुमल** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) सन् १९५१ से अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये चुने गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) यह सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा, / भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को इस आधार पर नहीं चुना जाता है । परन्तु तो भी सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इस बात का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है कि राज्य सेवाओं से भारतीय-प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति किया गया कोई क्या अनुसूचित जाति का है । सन् १९५१ से सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों में से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का तथा एक भारतीय पुलिस सेवा का अफसर इन जातियों के थे ।

श्री इलयापेरुमल : केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुये थे और कितने अस्वीकृत किये गये ?

श्री दातार : यह सूचना प्रतियोगिता परीक्षाओं के सम्बन्ध में है, और यह सूचना मुझे विश्वास है पहले ही दी जा चुकी है ।

श्री इलयापेरुमल : भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिये चुनाव किस आधार पर किये जाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक व्यापक प्रश्न है ।

श्री दातार : यह योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं ।

श्री इलयापेरुमल : क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कोई सुरक्षण है ?

श्री दातार : जहां तक सीधी भर्ती का सम्बन्ध है सुरक्षण है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इतने वर्षों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के अभ्यर्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिये पर्याप्त संख्या में नहीं आ रहे हैं ; मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधान देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाने को है ?

श्री दातार : सरकार इस समस्त प्रश्न पर कि योग्यता के साथ साथ अनुसूचित जातियों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जाये विचार कर रही है ।

श्री एन० राजय्या : क्या सरकार को विदित है कि मैसूर सिविल सर्विस में सीधे ही भर्ती किये गये योग्य अनुसूचित जातियों के अफ़सरों को नहीं लिया गया है, जब कि गैर-अनुसूचित जातियों के अयोग्य अफ़सरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में ले लिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस की जांच कौन करे कि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं ?

श्री दातार : मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार को विदित है कि जब तक कि वह भर्ती की वर्तमान पद्धति के अनुसार ही कार्य करती रहेगी, अर्थात् भर्तीपूर्ण रूप से शिक्षा सम्बन्धी योग्यता के आधार पर ही की जाये, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या को आवश्यक रूप से सीमित करना ही पड़ेगा ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं ?

यह कहना पूर्णरूप से ठीक नहीं है कि भर्ती केवल शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं के आधार पर ही की जाती है । मौखिक परीक्षा ही होती है । यह बहुत सावधानी से ली जाती है और इस में काफी समय लगता है । जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनु-

सूचित आदिमजातियों का सम्बन्ध है. बहुत काफ़ी छूट दी गई है, परन्तु किसी पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्तता सम्बन्धी सभी विचारों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी नियुक्त होने पर, केवल अनुसूचित जातियों की देख रेख ही नहीं करता है अपितु उसे समस्त जनता का ध्यान रखना होता है। अतः इस पद पर नियुक्ति के लिये कम से कम कुछ प्रारम्भिक उपयुक्तता होनी आवश्यक है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या सरकार को विदित है कि ब्रिटिश सरकार अपने राज्य काल में उन जातियों के अभ्यार्थियों को, जिनका भारतीय सिविल सर्विस में प्रतिनिधित्व नहीं होता था, नाम निर्देशित किया करती थी ? मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के दावों के प्रति यही दृष्टिकोण अपनायेगी ?

डा० काटजू : हम इस मामले पर विचार करेंगे। परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि इस पद्धति को अपनाना वांछनीय नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : ब्रिटिश सरकार ने पहले ऐसा ही सोचा था।

सेना द्वारा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

***१२८१. सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में सेना ने स्वेच्छा पूर्वक प्रयत्न के रूप में कुछ कार्य किया था; तथा

(ख) यदि हां, तो उस वर्ष कितने क्षेत्र में नाज, तरकारियों अथवा चारे की खेती आरम्भ की गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) ८९३८ एकड़ में।

सरदार हुक्म सिंह : इस आन्दोलन के द्वारा कितने धन की बचत हुई ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि यह जानकारी मेरे पास नहीं है। किन्तु यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि गेहूं, धान, जुआर, तथा अन्य नाज कितनी कितनी मात्रा में पैदा हुये हैं तो मैं बता सकता हूं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या उन्होंने किसी बाग अथवा बागों वाली बस्तियों का विकास किया है ?

सरदार मजीठिया : इस भूमि से हमने ३०८ टन फल पैदा क्रिये हैं।

प्रादेशिक सेना

***१२८२. श्री राधा रामण :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के कितने व्यक्ति प्रादेशिक सेना में भर्ती हुये ?

रक्षा उपमंत्री (श्री शतीश चन्द्र) : प्रादेशिक सेना की भर्ती क्षेत्रीय आधार पर हुई है। राजस्थान में कोई शहरी अथवा प्रांतीय इकाई नहीं बनाई गई है। फिर भी राजस्थान के ६६ व्यक्ति दिल्ली तथा जालन्धर स्थित प्रांतीय इकाइयों में भर्ती हो गये हैं।

श्री राधा रमण : क्या राजस्थान में असामरिक जातियों में से भी भर्ती की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रकार का अन्तर अब भी जारी है ?

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक प्रादेशिक सेना में भर्ती की बात है उस मामले में साम-

रिक तथा असामरिक जातियों में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री ने कहा है कि सामरिक तथा असामयिक जातियों में कोई अन्तर नहीं है । क्या यह प्रतिबन्ध केवल प्रादेशिक सेना पर ही लागू होता है अथवा सभी प्रकार की सेनाओं पर ?

श्री सतीश चन्द्र : इस समय तो मैं प्रादेशिक सेना की बात कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न में केवल प्रादेशिक सेना का निर्देश है ।

गणराज्य दिवस

***१२८३. श्री रिशांग किशिंग :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में गणराज्य दिवस के उत्सव को मनाने के लिये सरकार ने कुल कितना व्यय किया ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : सेनाओं के तथा सामान के आने जाने पर जो लगभग १०,००० रुपये व्यय हुये उसके अतिरिक्त गत गणराज्य दिवस के उत्सवों में लगभग १,४०,००० रुपये व्यय हुये हैं ।

श्री रिशांग किशिंग : वे मुख्य मदें क्या हैं जिन पर यह व्यय हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन सबकी चर्चा यहां करनी होगी ? माननीय सदस्य इन विस्तृत बातों के बारे में माननीय मंत्री से पूछ सकते हैं अथवा यदि उन्होंने अतारांकित प्रश्न भेजा होता तो उन्हें इसका उत्तर मिल जाता ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तन दे सकता हूं ? व्यय की मुख्य मद तो आमंत्रित ८८९ आदिम-जातीय लोक नर्तकों के आने जाने, उनके हरने तथा खाने पीने आदि का व्यय हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच है कि मनीपुर के नागा नर्तकों को जिन्हें नेशनल फिज़ीकल लेबोरेटरी, पूसा रोड, नृत्य कराने के लिये ले जाया गया था, परिवहन सुविधायें देने से इन्कार किया गया और उन्हें नई दिल्ली में अपने निवास स्थान तक खाने के लिये पैदल लौटना पड़ा ? क्या उस दिन उन्हें दोपहर का खाना भी नहीं मिला ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह संसद् ऐसी छोटी छोटी बातों की चर्चा करने के लिये है कि उन्हें खाना मिला अथवा नहीं । जब कि उन्हें इतनी दूर से यहां लाया गया है तथा उन पर इतना व्यय किया गया है ।

श्री रिशांग किशिंग : यह मामूली बात नहीं है । यह अपमान है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री के० के० बसु : उस जाति की उपेक्षा की गई है ।

तिब्बत वासी

***१२८५. श्री एस० एन० दास : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे तिब्बत वासियों की कुल संख्या, जिन्हें १९५२ तथा १९५३ में भारत में प्रवेश किया ;

(ख) ऐसे तिब्बत वासियों की संख्या जिनको १९५३ में भारत में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी गई ;

(ग) उनमें कितने व्यक्ति तब से भारत छोड़ कर चले गये ; तथा

(घ) भारत में तिब्बत वासियों के प्रवेश करने के सम्बन्ध में, वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :(क) उनकी संख्या १९५२ में १०,४०४ तथा १ जनवरी, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५३ तक ११,०१२ थी ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) १ जनवरी से लेकर ३० सितम्बर, १९५३ तक १०,४०५ ।

(घ) भारत में आने तथा ठहरने के लिये उनको अनुज्ञा-पत्र लेना पड़ता है । अनुज्ञा-पत्र में उनके ठहरने की अवधि भी अंकित रहती है ।

श्री एस० एन० दास : क्या कोई तिब्बत वासी, बिना अनुज्ञा-पत्र के नैपाल के द्वारा, भारत में आते हुये, पाये गये हैं ?

श्री दातार : इसकी जानकारी यहां मेरे पास नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या, तिब्बत वासियों के, भारत में, प्रवेश करने के नियम, शिथिल अथवा कठोर कर दिये गये हैं ?

श्री दातार : नियम जैसे भी हैं उसी रूप में लागू किये जा रहे हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : तिब्बत वासियों के इतनी भारी संख्या में आने का कारण क्या है ?

श्री दातार : आने वालों की संख्या किसी भी प्रकार असाधारण तथा भारी नहीं है । वे या तो व्यापार के लिये आते हैं या तीर्थाटन के लिये आते हैं या मजदूरी करने के लिये आते हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ऐसा जान पड़ता है कि 'भारी संख्या में आने' के सम्बन्ध में कुछ भ्रम फैला हुआ है । सीमा पर कोई असाधारण परिस्थिति फैली हो, इस का हमें ज्ञान नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १२८७ सरदार हुक्म सिंह ।

सरदार हुक्म सिंह : संख्या १२८७ ।

श्री एस० सी० सामन्त उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने सरदार हुक्म सिंह का नाम लिया है । दोनों ही व्यक्ति यह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका

*१२८७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रस्तावित कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका को पुस्तिका समिति ने अंतिम रूप दे दिया है ; तथा

(ख) पुस्तिका में सम्मिलित किये जाने के पूर्व क्या उपबंधों के मसौदों को अनेक मंत्रालयों ने पहले व्यवहार में लाकर पर्याप्त रूप से जांच लिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । पुस्तिका का मसौदा मंत्रालयों को परिचालित किया जा चुका है तथा उन से प्रार्थना की गई है कि उस के उपबंधों को व्यवहार में लावें तथा यदि उन में किसी प्रकार की त्रुटि तथा दोष पाये जावें तो उन की सूचना गृह-कार्य मंत्रालय के पास भेज दें । कुछ मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं तथा अन्य मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त होने का समय निकट आ रहा है । कुछ और उत्तर प्राप्त हो जावें, उस के पश्चात, अंतिम रूप देने के पूर्व, केबिनेट सचिवालय द्वारा हाल ही में स्थापित किया गया संगठन

तथा कार्यविधि विभाग, इस पुस्तिका के मसौदे पर तथा मंत्रालयों द्वारा भेजी गई आलोचना पर विस्तार पूर्वक विचार करेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : अन्तिम तय्यारी के लिये पास किये जाने के पूर्व इस पुस्तिका को औसत रूप से कितनी अवस्थाओं से होकर गुज़रना पड़ेगा ?

श्री दातार : अब केवल दो अवस्थाएं शेष हैं । उत्तर प्राप्त हो जाने पर, उनकी जांच की जायगी । उस के पश्चात कुल सामग्री संगठन तथा कार्यविधि विभाग के सामने रख दी जायगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : उपबंधों के मसौदे में क्या अभी तक कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री दातार : मसौदे ही में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : पुस्तिका समिति में क्या किसी गैर-सरकारी व्यक्ति का भी सहयोग लिया गया है ?

श्री दातार : जहां तक मुझे पता है, नहीं ।

पुस्तकालय आन्दोलन

*१२८८. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री २१ अप्रैल, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१० के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने, १९५३-५४ में अब तक भारत के पुस्तकालय अन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये कुल कितना रुपया खर्च किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : १०,३६,०९७ रुपये ।

श्री एस० एन० दास : जिन राज्य सरकारों को ये अनुदान दिये जाते हैं उन से क्या इस विषय में कोई प्रतिवेदन मांगा जाता है कि उन्होंने इसे किस प्रकार के कार्य पर व्यय किया है ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान् शिक्षा मंत्रालय ने सम्बद्ध राज्य सरकारों से इन अनुदानों के सम्बन्ध में उनकी कार्यवाहियों के बारे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रार्थना की है । हमें बहुत शीघ्र ही इन प्रतिवेदनों के प्राप्त होने की आशा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन अनुदानों को देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ से परामर्श कर लेती है और यदि हां, तो उन्होंने क्या क्या सुझाव दिये हैं ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । जहां तक मुझे ज्ञात है, अनुदान देने से पूर्व इस संगठन से परामर्श नहीं किया जाता ।

श्री एस० एन० दास : यह राशि विभिन्न राज्यों में किस आधार पर बांटी गई है ?

डा० एम० एम० दास : ये अनुदान राज्यों को शिक्षा विकास के लिये शिक्षा मंत्रालय की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं । ये अनुदान दो योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये हैं । पहली योजना तो किसी एक चुने हुये क्षेत्र में विस्तृत शिक्षा विकास की योजना के एक अंश के रूप में एक एकीकृत पुस्ताकालय सेवा के विकास के सम्बन्ध में है । यह योजना संख्या १(४) है । दूसरी योजना राज्यों में सामान्य पुस्तकालय सेवा को सुधारने के सम्बन्ध में है । यह योजना संख्या ४ (ग) है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या ये अनुदान राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को दिये गये अनुदानों के अतिरिक्त हैं ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, ये अनुदान राज्यों को पुस्तकालयों के विकास के लिये दिये जाते हैं; राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों के विस्तार के लिये कोई अनुदान दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : योजना संख्या १ के अन्तर्गत कुछ चुने हुये क्षेत्रों विस्तृत शिक्षा विकास की योजना के एक अंश के रूप में एक एकीकृत पुस्तकालय सेवा को विकसित करने का विचार है और इन चुने हुये क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं और नगरीय क्षेत्र भी ।

श्री के० के० बसु : क्या ऐसी कोई शर्त निश्चित की हुई है कि ये अनुदान किसी राज्य विशेष के पुस्तकालयों में किस ढंग से बांटे जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों से योजनायें मांगती है । राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई योजनाओं पर विचार किया जाता है और उसके बाद अनुदान दिये जाते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : इन अनुदानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पुस्तकालयों को सहायता दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ; मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को दी गई वित्तीय सहायता की राशि बतला सकता हूं ।

श्री लक्ष्मय्या : आंध्र राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास केवल मद्रास राज्य को दी गई राशि की संख्या है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या किन्हीं पुस्तकालयों को केन्द्र द्वारा सीधे अनुदान दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे ऐसे किसी मामले का ज्ञान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम 'अनुपस्थित' सदस्यों के प्रश्नों को लेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं प्रश्न संख्या १२६६ को लेने की प्रार्थना कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्रम से लूंगा । संख्या १२६२ ।

भारतीय शिशु कल्याण परिषद्

*१२६२. **श्री राघवय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय शिशु कल्याण परिषद् नामक कोई संगठन है;

(ख) यदि है, तो क्या इसने कहीं कोई शिशु कल्याण केन्द्र खोला है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संस्था को कोई राशि दी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) १०,००० रुपये ।

मैं इतना और बता दूं कि हाल ही में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इस संगठन के लिए एक शिशु विभाग खोलने के लिये १५,००० रुपये मंजूर किये हैं ?

श्री राघवय्या : इस संगठन के विविध कार्य क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : सोलह विभिन्न राज्यों में इस संगठन की शाखा परिषदें हैं और इन राज्य परिषदों के शिशु कल्याण केन्द्र हैं जिन में शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु पाठशालायें तथा शिशुगृह, दुग्ध केन्द्र, खेलने के मैदान और क्लबों, पुस्तकालयों, शिशु चिकित्सालयों, शिशु निकेतनों, पंगु शिशु गृहों, पाठशाला से पूर्व के अध्यापकों की प्रशिक्षण परियोजनाओं इत्यादि के द्वारा मनोरंजन की सुविधायें भी सम्मिलित हैं ।

श्री राघवय्या : क्या सरकार को इस संगठन द्वारा किये गये कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में कोई वार्षिक या अर्धवार्षिक वृतांत प्राप्त हुए हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह एक गैर-सरकारी संगठन है और सरकार से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि उसे इस संगठन के कार्य का सूक्ष्मतम विवरण ज्ञात होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कितने कल्याण केन्द्र खोले गये हैं और केन्द्रीय सरकार के अनुदान देने से पूर्व ये केन्द्र कितने समय से कार्य कर रहे थे ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्या को यह ज्ञात होना चाहिये कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केवल १०,००० रुपये का अनुदान दिया है और यह राशि एक विशेष प्रयोजन के लिये दी गई थी । इस निकाय ने बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलन किया था । यह राशि उसी के व्यय के कुछ अंश को पूरा करने के लिये दी गई थी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य परिवार आयोजन का प्रचार करना था ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैं बता चुका हूं यह संगठन एक गैर-सरकारी संस्था है । हमारे पास इसके सम्बन्ध सम्पूर्ण विस्तृत ब्यौरा नहीं है । परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है यह सम्मेलन परिवार आयोजन के लिये नहीं, अपितु शिशु कल्याण के प्रश्न पर विचार करने के लिये हुआ था ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो वहां दो सम्मेलन हुए थे--एक परिवार आयोजन के लिये और दूसरा शिशु कल्याण के लिये । ये अलग अलग हुए थे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेल का निर्यात

*१२५५. **श्री नानादास** : (क) क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस आशय की कोई शिकायतें या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि राजस्थान सरकार ने उस राज्य में एक तेल की मिल को तेल तथा खली के निर्यात पर और तिलहन के आयात पर सीमा शुल्क की छूट दी है ।

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में अन्य तेल के मिलों के प्रति विभेद को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सरकार ने स्वयं १ जनवरी १९५४ से समवायों के लिए निर्यात शुल्क सम्बन्धी रियायतें बन्द करने के लिए पग उठाये हैं। आयात शुल्कों के सम्बन्ध में दी गई रियायतों पर अभी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

विदेशों को भेजे गये भारतीय

*१२५८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीयों को जिन्हें टेकनीकल प्रशिक्षण के लिए सरकारी खर्च पर विदेशों में भेजा गया था, देश वापस आने पर नौकरी नहीं मिली;

(ख) क्या ऐसे मामलों में सरकार नौकरी का कोई रेकार्ड रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कुछ विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने में कुछ समय लगा था किन्तु उनसे पूछताछ करने पर सरकार को ज्ञात हुआ है कि अब केवल एक व्यक्ति बेकार है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काफ़ी पर उत्पादन शुल्क

*१२६५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ और १९५३–५४ में काफ़ी पर उत्पादन शुल्क लगाने से कुल कितनी राशि वसूल हुई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : १९५२-५३ और १९५३–५४ में (जनवरी १९५४ तक) काफ़ी पर उत्पादन शुल्क लगाने से क्रमशः कुल ६४,४१,००० रुपये और ६१,५६,००० रुपये वसूल हुए थे।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०

*१२६६. **श्री वी० पी० नायर** : **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसर्ज़ इबसॉन लि०, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में कोई काम करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन का काम किस प्रकार का है; और

(ग) क्या उन्होंने अब तक कोई सिफ़ारिशें की हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) (१) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० के विभिन्न विभागों के संचालन का इस दृष्टि से अध्ययन करने के लिए जिससे कि उसकी प्रक्रिया में सुधार करने और मानदंड के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की संख्या बताने के लिए काम का मानदंड निर्धारित करने के विषय में प्रबन्धकों को सलाह दी जा सके।

(२) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० के कर्मचारियों को इसी प्रकार का अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित करने के हेतु।

(ग) जी हां, श्रीमान्, उन्होंने हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० के कुछ विभागों के सम्बन्ध में अब तक आठ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

तस्कर व्यापार

*१२६७. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री एच० एस० प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) १९५३–५४ में पाकिस्तान से किन किन चीज़ों को चोरी छिपे लाने का प्रयत्न किया गया था;

(ख) उसी अवधि में किन किन चीज़ों को पाकिस्तान को चोरी छिपे ले जाने का प्रयत्न किया गया था; तथा

(ग) उनका कुल मूल्य कितना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग) तक । एक विवरण । जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखियें** परिशिष्ट, ४, अनुबंध संख्या ६९] ।

काश्मीर

***१२६८. श्री वल्लाथरास :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन देशी रियासतों की संख्या और नाम क्या हैं जो कि काश्मीर राज्य के उस क्षेत्र में हैं जिस पर इस समय पाकिस्तान का कब्जा है; तथा

(ख) क्या ऐसी रियासतों के नरेशों को भारत संघ पेंशन या भत्ते देता है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) गिलगित अभिकरण में, जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य का एक भाग था और जो अब पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ सामन्तशाही तथा जागीरदारी वाली रियासतें सम्मिलित थीं । इनमें से हुंज़ा, नागर, यासीन, कोह गिज़ार, इश्कोमान, पुनियाल तथा चिलास अधिक महत्वपूर्ण थीं ।

(ख) ऐसे किसी नरेश को कोई पेंशन या भत्ते नहीं दिये जाते हैं ।

जौनसार भावर आदि का विकास

***१२६९. श्री गणपति राम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में जौनसार भावर और मिर्ज़ापुर के दुद्धी क्षेत्र के विकास के लिये कोई आर्थिक सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकार की गई है और वह किस प्रकार खर्च की जायगी; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिखाई गई योजनाओं पर ७०,००० रुपये खर्च किये जायेंगे । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०] ।

(ग) जी हां; इन योजनाओं को अन्तिम रूप से केवल तब ही स्वीकार किया जाता है जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त तथा सम्बद्ध मंत्रालय इसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं ।

राष्ट्रीय छात्र सेना

***१२७०. श्री सिंहासन सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है जिनमें राष्ट्रीय छात्र सेना सम्बन्धी प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया गया है और ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है जिनमें १९५४–५५ में इस प्रकार का प्रशिक्षण आरम्भ करने के प्रस्ताव हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : उत्तर प्रदेश की उन संस्थाओं के सम्बन्ध में, जहां राष्ट्रीय छात्र सेना कार्य कर रही है, एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७१] । उत्तर प्रदेश सरकार का विचार वर्ष १९५४–५५ में इस प्रशिक्षण को बढ़ाने का नहीं है ।

हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट लिमिटेड

*१२८४. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धकों द्वारा चलाये जाने वाली कैंटीनों में लाभ या हानि हो रही है;

(ख) वर्ष १९५०–१९५४ के लाभ तथा हानि के आंकड़े क्या हैं; तथा

(ग) क्या कैंटीन की प्रबन्ध व्यवस्था से कर्मचारी सम्बन्धित हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इन कैंटीनों में हानि हो रही है।

(ख) वर्ष १९५०–१९५४ में निम्न लिखित हानि हुई थी :—

१९५०–५१	२४,०७५ रुपये ।
१९५१–५२	४४,७३४ रुपये ।
१९५२–५३	६८,९१५ रुपये ।
१९५३–५४	२८,६६५ रुपये ।

(अप्रैल से सितम्बर तक प्राक्कलित)

(ग) फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत मैसूर सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार कैंटीन की प्रबन्ध की सहायता एक कैंटीन प्रबन्धक समिति करती है, जिसमें १० सदस्य हैं जिनमें से ५ तो नाम निर्देशित हैं तथा ५ मज़दूरों में से चुने गये हैं।

विदेशी पूंजी

२५२. **डा० एन० बी० खरे:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित भारतीय उद्योगों में आंग्ल-अमरीकी पूंजी का कितना अनुपात है :

(१) पेट्रोलियम,
(२) रबड़ निर्माण,
(३) लाइट रेलवेज़,
(४) दियासलाई,
(५) पटसन,
(६) चाय,
(७) कोयले के अतिरिक्त खानें,
(८) कोयला,
(९) रबड़ के बागान,
(१०) वित्त-व्यवस्था, तथा
(११) विद्युत ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): मांगी गई सूचना वाला एक विवरण यथोपलब्ध सूचना सहित सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७२]।

हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट लिमिटेड

२५३. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या रक्षा मंत्री हिन्दुस्तान एअर क्रैफ्ट लिमिटेड की बसों की बाडी बनाने की परियोजना के अन्तर्गत १५ जनवरी, १९५४ तक बनाई गई तथा बेची गई बाडियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) कितने प्रकार की बस बाडियां बनाई गई हैं और प्रत्येक प्रकार का विक्रय मूल्य किया हैं ?

(ग) ऐसी बस बाडियों के विक्रय के मूल्य में और कौन से अतिरिक्त प्रभार सम्मिलित हैं ।

(घ) क्या सरकार सदन पटल पर एक तालिका (१) इस योजना में विनियोजित की गई राशि तथा (२) केवल इस योजना के लिये ही रखे गए कर्मचारियों की संख्या, श्रेणी बार, वेतन क्रम सहित, रखने की कृपा करेगी ?

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त कारखाने द्वारा बनाई गई दो मंज़िल वाली बस बाडी मद्रास सरकार परिवहन विभाग द्वारा मद्रास में उपयोग के लिये स्वीकार नहीं की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्रीशतीश चन्द्र) : (क) से (ङ)। एक विवरण सदन पटल पर

रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७३] ।

विदेशी विशेषज्ञ

२५४. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** १९५३–५४ में भारत का भ्रमण करने वाले प्रत्येक विदेशी विशेषज्ञ के सम्बन्ध में निम्न सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(१) उसकी राष्ट्रीयता,

(२) वह एजेंसी जिसके द्वारा उसकी सेवाएं उपलब्ध हुईं;

(३) उसकी अर्हताएं;

(४) भारत में उसके द्वारा किया गया कार्य; तथा

(५) सरकार द्वारा उसके ऊपर किया गया व्यय ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

भारत का भूतत्वीय परिमाप

२५५. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप के कुछ पदाधिकारी १९५३ में उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजे गए थे; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो उन व्यक्तियों के नाम तथा उन देशों के नाम जिनमें वे भेजे गये थे ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) तथा (ख) । मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखियें** परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ७४] ।

हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट लिमिटेड

२५६. **श्री तिम्मय्या :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दुस्तान एअर क्रैफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में १९५२ तथा १९५३ में निर्मित माल का मूल्य; तथा

(ख) १९५२ तथा १९५३ में स्थापन की कार्य चालन लागत तथा व्यय ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सूचना इस प्रकार है :—

	१९५१–५२ रु० लाखों में	१९५२–५३ रु० लाखों में
उत्पादन का विक्रय मूल्य	३७७.६३	३५५.८७
फैक्ट्री की लागत	३७९.४७	३३३.९६
प्रशासकीय व्यय	३४.३६	३७.८९
आधे किये हुए कार्य के मूल्य को कम करके	४४.९७	२५.८६
राजस्व पर भारित शुद्ध व्यय	३६८.८६	३४५.९९

पुस्तकालय

२५७. **श्री हेम राज :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों के लिए, १९५३–५४ में, पुस्तकालयों के विकास के हेतु स्वीकृत की गई राशियां; तथा

(ख) उन राज्यों के नाम जिन्होंने इन राशियों का उपयोग कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट, ४, अनुबन्ध संख्या ७५] ।

(ख) यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है।

चोरी से आयात किए गए आभूषण

२५८. **श्री बलवंत सिंह महता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों की तस्कर व्यापार विरोधी टुकड़ियों द्वारा, १९५३–५४ में, पकड़े गए चोरी से आयातित आभूषणों का मूल्य;

(ख) ऐसे लोगों की संख्या जो चोरी के माल लाने के लिए दोषी ठहराए गए; तथा

(ग) यह आभूषण कहां से लाए गए हैं, इस सम्बन्ध में क्या आशंका है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग)। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और उत्तर यथा समय सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

साहित्यिक कर्मशाला, मैसूर

२५९. **श्री इयलापेरुमल** : क्या शिक्षा मंत्री १० मार्च, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८६५ के प्रति दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५४, में मैसूर में बनाई गई साहित्यिक कर्मशाला के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने भाग लिया था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है, परन्तु ऐसा समझा जाता है कि एक ऐसा प्रशिक्षार्थी था।

Par. S. 18. II. 29. 54.
285

अंक २ बुधवार

संख्या २९ २४ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

——:०:——

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या २२—आदिमजाति क्षेत्र [पृष्ठ भाग १९४१—२०१८]

मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य [पृष्ठ भाग १९४१—२०१८]

मांग संख्या २४—चन्द्रनगर [पृष्ठ भाग १९४१—२०१८]

मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग १९४१—२०१८]

संसद सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

संसदीय वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोतर के अतिरिक्त कार्यवाही)

शासकीय वृत्तांत

लोक-सभा

बुधवार, २४ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या २२--आदिमजाति क्षेत्र

मांग संख्या २३--वैदेशिक-कार्य

मांग संख्या २४--चन्द्रनगर

मांग संख्या २५--वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर विचार करेगा। श्री बासप्पा कल बोल रहे थे ; वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री बासप्पा (टुमकुर) : श्रीमान्, कल सदन को संकटपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री के विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने युद्ध की विभीषिकाओं का उल्लेख किया था और विश्व शान्ति के लिये ज़ोरदार अपील की थी। उसी प्रकरण में मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि संयुक्त राष्ट्र-संघ ने विश्व शान्ति को स्थापित करने में कहाँ तक सहायता की है। मैं सदन को यह भी बता रहा था कि जब तक यह अन्तर्राष्ट्रीय संघ विश्व के सभी भिन्न भिन्न देशों को अपने अन्दर नहीं ले आता है तब तक यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। यदि हम इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ की कार्य-वाही को पढ़ें तो हम यह देखेंगे कि बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को यों ही छोड़ दिया जाता है या उन पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिये जब हम ने काश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण के प्रश्न को इसे सौंपा, तो यह अभी तक उस का कोई हल या उस के विषय में अपना कोई निर्णय नहीं दे सका है। वह अभी तक इस बात पर विचार कर रहा है कि वहां कोई आक्रमण हुआ भी है या नहीं। मैं यह कहूंगा कि इस संघ में इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय संघ अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है तो इसे विश्व के सभी

[श्री बासप्पा]

भिन्न भिन्न राष्ट्रों को अपने अन्दर सम्मिलित करना चाहिये, तभी यह अपने कर्तव्य को उचित ढंग से पूरा कर सकेगा ।

हमारी वैदेशिक सेवाओं और दूतावासों के सम्बन्ध में हमें यह बताया गया है कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने विश्व की दृष्टि में भारत के मान को बहुत बढ़ा दिया है । यह ठीक है कि हमारे उप-राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् जब रूस में राजदूत थे तो उन्होंने वहां के लोगों को भारत की वास्तविक अवस्था से परिचित कराया था ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी इस सदन की एक सदस्या श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने अमेरिका की दृष्टि में भारत की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया है । मेरे विचार में हमारे राजदूतों और वैदेशिक सेवाओं ने बहुत से अच्छे कार्य किये हैं किन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है क्योंकि अधिकांश देशों में भारत के विरुद्ध जो प्रचार हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है । भारत तटस्थता और विश्व शान्ति के पक्ष में है और यह बात उन देशों के मन में अच्छी प्रकार बैठा दी जानी चाहिये । हमें यह पूरी तरह ज्ञात नहीं है कि हमारे शेष दूतावास इस काय को कहां तक कर रहे हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि हमें अपने दूतावासों के साथ वाणिज्य तथा उद्योग सहायकों के समान शान्ति सहायक भी रख देने चाहियें जिस से कि वे विश्व को यह बता सकें कि भारत क्या चाहता है । भारत की अवस्था को अच्छी प्रकार जानने वाले व्यक्तियों को ही ऐसे पदों पर नियुक्त करना चाहिये जिस से कि वे अपने कार्य को अच्छी प्रकार कर सकें ।

सीमान्त की सुरक्षा के सम्बन्ध में हमें ध्यान से, चतुराई से और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिये और आक्रमण की अपेक्षा प्रेरणा इत्यादि के शान्तिपूर्ण उपायों को काम में लाना ही अधिक अच्छा है । मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उसे मिशनरियों के कार्य पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इस विषय में कुछ करना चाहिये । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वे भारत-विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इन मिशनरियों के प्रयत्नों के कारण ही हमें कभी कभी कहीं से अलग राज्य की मांग की आवाज़ सुनाई देती है । हमें काश्मीर के सीमान्त के सम्बन्ध में भी बड़ा सतर्क रहना चाहिये । कुछ दिन पूर्व ही संसद् के कुछ सदस्यों को काश्मीर के सीमान्त पर युद्धविराम रेखा को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हम जानते हैं कि वहां स्थिति कैसी विस्फोटक है । क्योंकि अब अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सी सैनिक सहायता देने लगा है अतः हमें अपने काश्मीरी मित्रों की बहुत अच्छी प्रकार देख-भाल करनी चाहिये । भारत-पाकिस्तान सीमान्त पर उपद्रवों, पशुओं की चोरी और हमारे प्रजाजनों के अपहरण इत्यादि की घटनायें होती रहती हैं । कब तक हम इन्हें सहते रहेंगे ? सरकार को इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करनी चाहिये कि भविष्य में सीमान्त पर ऐसी घटनायें न हो सकें ।

अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण विवादास्पद प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहता हूं । सामान्य आय-व्ययक पर बोलते हुए श्री जयपाल सिंह ने यह कहा था कि आप को आर्थिक सहायता मिल गई और पाकिस्तान को सैनिक सहायता मिल गई अतः आप को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये । मुझे उन का यह तर्क सुन कर बड़ा दुख हुआ । उन्होंने "सैनिक सहायता" और "आर्थिक सहायता" का अर्थ ही नहीं समझा है । जब

हम ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने की निन्दा की थी तो सारा विश्व हमारे साथ था और हम ने ऐसा कर के ठीक ही किया था। हमें पाकिस्तान के साधारण ढंग से सैनिक शक्ति बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री ने हमें बताया है कि पाकिस्तान को इतने अधिक परिमाण में सैनिक सहायता देने से यहां के लोगों में चिन्ता और भय होना स्वाभाविक है और विश्व में भी इस सहायता के कारण कुछ बेचैनी फैल रही है। यद्यपि प्रेसिडेंट आइज़नहोवर ने आश्वासन दिया है, किन्तु हम जानते हैं कि इस प्रकार के आश्वासनों को पूरा करना कितना कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० खरे अपना भाषण आरम्भ करें।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : कल जिस समय प्रधान मंत्री बोल रहे थे, उस समय बीच ही में मैंने सेना के विघटन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था। उन्होंने कदाचित् मेरे प्रश्न का ग़लत अर्थ लगाया था—वह शायद यह समझे कि मैं सेना को विघटित करने का सुझाव दे रहा हूं। वस्तुतः बात यह नहीं थी। मैं ने तो सेना की समस्या के सम्बन्ध में जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से वह प्रश्न पूछा था। मुझे याद है कि पाक-अमरीकी समझौते के सम्बन्ध में भाषण देते हुए इस सदन में प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि वह पाकिस्तान सेना के स्वाभाविक विकास का स्वागत करेंगे, परन्तु वह इस बात के विरुद्ध हैं कि ऐसा विकास अमरीकी सहायता से हो। जब आप अपने शत्रु देश की सेना के स्वाभाविक विकास का स्वागत करते हैं, तो फिर आप स्वयं अपने देश की सेना के स्वाभाविक विकास की ओर उचित ध्यान क्यों नहीं देते? उन्हों ने यह भी कहा था कि अणु बम के युद्ध में वर्तमान सेना व्यर्थ है। खेद है कि प्रो० हीरेन मुकर्जी ने भी इस बात का समर्थन किया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (**श्री जवाहरलाल नेहरु**) : मैं ने यह नहीं कहा था कि वर्तमान सेना व्यर्थ है। मैं ने कहा था कि हम अनावश्यक कार्यों में उस को नहीं लगाना चाहते हैं।

डा० एन० बी० खरे : मैं इस उत्तर से तनिक भी सन्तुष्ट नहीं हूं। मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने प्रधान मंत्री के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए सैनिक शक्ति को निकृष्ट बताया था और ब्रह्म बल अर्थात् बौद्धिक शक्ति या ज्ञान को ही वास्तविक बल बताया था। मैं बता देना चाहता हूं कि ब्रह्म बल वह सीमित शक्ति नहीं है जो वे समझते हैं। मैं तो समझता हूं कि ब्रह्म बल में बौद्धिक एवं शारीरिक दोनों ही प्रकार के बल सम्मिलित हैं। मैं मनु के इस कथन से पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि दण्ड के भय से ही संसार सही मार्ग पर चलता है। यह एक कठोर सत्य है। अहिंसा से काम नहीं चल सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि हमारे प्रधान मंत्री कम से कम भारतीय सेना के स्वाभाविक विकास की ओर उचित ध्यान दें। संसार भर में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं और हम इसी प्रकार बने नहीं रह सकते हैं। यदि हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, तो इतिहास में हम नपुंसक माने जायेंगे। इस में कोई भी सन्देह नहीं है कि अमरीकी और रूसी गुट दोनों ही एक भारी युद्ध के लिये तैयार बैठे हैं। इस के अपशकुन प्रत्यक्ष हैं। मैं समझता हूं कि ये दोनों ही शक्तियां साम्राज्यवादी हैं—इतिहास इस का प्रमाण है। दोनों शक्तियां विश्व विजय की कामना करती हैं। मुझ को तो ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही ये शक्तियां अपने उद्देश्य की

[डा० एन० बी० खरे]

पूर्ति के हेतु युद्धरत हो जायेंगी । ईश्वर न करे कि ऐसा हो, परन्तु लक्षण कुछ ऐसे ही हैं । ऐसी परिस्थिति में मैं तटस्थता की नीति से बिलकुल सहमत हूं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारी तटस्थता एक हवा भरे हुए फुटबाल जैसी न हो—जिस के साथ जो कोई भी चाहे खिलवाड़ कर सकता है । उसे तो ठोस लोहे की गेंद के समान होना चाहिये । तभी हमारी तटस्थता का आदर होगा । फ़िलहाल हमारी तटस्थता की कोई भी परवाह नहीं करता है ।

मैंने ईसाई धर्म प्रचारकों के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था । उत्तर में कहा गया कि वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था । मैं इस विचार से असहमत हूं । जिस प्रकार काश्मीर में अमरीकी पर्यवेक्षकों को तटस्थ नहीं माना जाता है, उसी प्रकार भारत में आये हुए अमरीकी धर्म प्रचारकों को भी तटस्थ नहीं माना जा सकता है । अधिकांश धर्म परिवर्तन अनुचित दबाव और लालच दे कर किये जाते हैं । यह चीज़ राज्य के लिये एक खतरा है और इसे रोका जाना चाहिये । न्यूयार्क के पत्र 'क्रिश्चियन साइंस मानीटर' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिस में कहा गया है कि हमारे प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि "जब तक मैं प्रधान मंत्री हूं, तब तक मैं इन धर्म प्रचारकों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा ।" मैं आशा करता हूं कि यह समाचार सत्य नहीं है ।

काश्मीर के मामले में हमारे जितने सन्देह थे वे सभी ठीक निकले । अब समय आ गया है, जबकि हमारे प्रधान मंत्री को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये और संयुक्त राष्ट्रसंघ से इस मामले को वापस ले लेना चाहिये । इस के बाद यह तय कीजिये कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाये । मेरी तो राय यह है कि आक्रमण किया जाये और उस को अपने में मिला लिया जाय । इसी चीज़ में गोआ और पाण्डीचेरी के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । भारत की विदेशी बस्तियों का मामला शांतिपूर्ण उपायों से कभी भी हल नहीं हो सकता है । इस प्रकार की आशा करना व्यर्थ है । हमें खराब से खराब स्थिति के लिये तैयार होना चाहिये ।

भारतीय सेना में जो २०० ब्रिटिश अधिकारी हैं, उन के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे गये थे । एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ने पाकिस्तान को कुछ गुप्त सूचनायें दे दी थीं । यह बड़े खेद की बात है । ऐसी बातों का उपचार किया जाना चाहिये ।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि राष्ट्रमण्डल में रहने से हम को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है । सभी कहीं हमारी उपेक्षा और निरादर होता है । इस राष्ट्रमण्डल के अनेक देश भारतीय हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ़्रीका, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और लंका को देख लीजिये । ये सभी देश अपने अपने ढंग से भारतीय हितों को कुचल देने के लिये प्रयत्नशील हैं । हमारे प्रधान मंत्री को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि बाहर से हमारे देश पर कोई आक्रमण हुआ तो इन सब आपसी मतभेदों के होते हुए भी हम अपने प्रधान मंत्री का साथ देंगे बशर्ते कि वह सेना को शक्तिशाली बनायें और युद्ध में आगे बढ़ें । परन्तु हम इस बात के लिये कभी भी तैयार नहीं हैं कि शत्रु की सेनायें हमारी हत्या करें और हम कुछ न बोलें । ऐसे किसी भी विचार का हमें विरोध करना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला/जबलपुर–दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है यह सभी जानते हैं कि मैं इस का आरम्भ से ही बड़ा भारी समर्थक रहा हूं ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद–दक्षिण) : यही तो खतरा है ।

सेठ गोविन्द दास : जिस समय कुछ कांग्रेसवादी भी इस नीति पर सन्देह करते थे उस समय भी मैं इस का समर्थक था और जब हमारे साम्यवादी बन्धु इस की कटु आलोचना करते थे उस समय भी मैं इस का समर्थक था । इस का कारण है । हमारी वैदेशिक नीति उस नैतिकता के ऊपर निर्भर है जो नैतिकता भारतवर्ष की सारी सांस्कृतिक चेतना की नींव रही है और इसीलिये वह हमारी परम्परा के सर्वथा अनुकूल है । हम यदि पुरानी बातों को छोड़ दें और आधुनिक काल को ही ले लें तो महात्मा गांधी ने जिन आदर्शों को हमारे सामने रखा था, दुनिया के सामने रखा था, महात्मा गांधी के इस समय अनुयायी पंडित जवाहरलाल जी उसी का अनुसरण कर रहे हैं । उस नैतिकता का कि जो हमारी संस्कृति की नींव रही है मूलमंत्र क्या रहा है उस का मूलमंत्र रहा है "वसुधैव कुटुम्बकम्" अर्थात् सारा संसार और सारे संसार के निवासी हमारे बन्धु हैं । हम किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सब हमारे मित्र हैं । इसीलिये अनेक बार जब हम कुछ बात करते हैं तब अमरीका अप्रसन्न हो जाता है और अनेक बार रूस और चीन अप्रसन्न हो जाते हैं । हर्ष की बात है कि आज हमारे साम्यवादी बन्धु भी इस नीति का समर्थन करने लगे हैं । लेकिन वे क्षमा करें, इस के लिये मैं उन्हें कोई साधुवाद देने को तैयार नहीं हूं और उस का भी कारण है । उस का कारण यह है कि वे इस नीति समर्थन इसलिये करने लगे हैं कि आज रूस के प्रधान मंत्री भी हमारी इस नीति के पक्ष में बोलते हैं, चीन में भी हमारी नीति की तारीफ़ होती है । वे तो अपनी मातृभूमि या पितृभूमि रूस को या चीन को मानते हैं, वहीं उन के गुरु देवों का निवास है । इसलिये यदि उन के गुरुदेव कहते हैं तो फिर शिष्यों को तो उस का समर्थन करना ही चाहिये । इसलिये यदि आज साम्यवादी हमारी इस नीति का समर्थन करते हैं, तो जैसा मैं ने अभी निवेदन किया, मैं उन को कोई साधुवाद देने को तैयार नहीं हूं । हां, इतनी बात ज़रूर है कि अगर दिन भर का भूला भटका रात को भी घर आ जाये तो वह भूला भटका नहीं कहलाता ।

एक माननीय सदस्य : घर आ गये ?

सेठ गोविन्द दास : जिस समय हम पराधीन थे उस समय भी हम ने इस नीति का अनुसरण किया था । आज भी, स्वतंत्र होने के पश्चात् भी, हम उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं । उस वक्त हमारे पराधीन होते हुए भी नैतिकता के कारण हमारी उस आवाज़ में बल था । और आज स्वतंत्र होने के बाद हमारी वह आवाज़ और बलवान हो गई है । मैं कहना चाहता हूं कि गये सात वर्षों में, जब से भी लड़ाई का खातमा हुआ, हम ने देखा कि दुनिया के भिन्न भिन्न राष्ट्र हाथ जोड़ कर, हाथ फैला कर, कोई अमेरिका के सामने भिखारी हुए, कोई रूस के सामने भिखारी बने । हम किसी के सामने कभी भिखारी नहीं हुए । आज हम ने जिन शब्दों में पाकिस्तान और अमेरिका के इस समझौते, फ़ौजी समझौते, के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, इन सात वर्षों में इतनी ज़ोरदार आवाज़ अमेरिका के खिलाफ़ किसी भी राष्ट्र ने उठाने की हिम्मत नहीं की थी । तो स्वतंत्र

[सेठ गोविन्द दास]

होने के बाद हमारी आवाज़ में बहुत अधिक बल आ गया है ।

आज समस्त दुनिया का क्या हाल है यह मैं अभी देख कर आया हूं । सारी दुनिया जो दो गुटों में बंटी हुई है, एक अमेरिका का गुट और एक रूस का गुट, दोनों गुट आज भयभीत हो रहे हैं, भावी लड़ाई के डर से । उस प्रकार का कोई भय आप को हमारे देश में दृष्टिगोचर नहीं होता । हमारे देश के वायुमंडल में और संसार के दूसरे देशों के वायुमंडल में कितना फ़र्क है यह हमें तब मालूम होता है कि जब हम विदेशों में जाते हैं और उन विदेशों की स्थिति को देखते हैं ।

हम ने सदा ही ठीक बात कहने का प्रयत्न किया और हम ने देखा कि हम ने जो बात कही वह ठीक निकली । जिस समय हम ने यह बात कही थी कि ३८वीं अक्षांश रेखा को कोरिया में संयुक्त राष्ट्र की सेनायें पार न करें, तो अमेरिका बहुत बिगड़ा था । लेकिन हम ने देखा कि यदि हमारी बात उस समय मान ली जाती तो कोरिया की जो लड़ाई बाद में समाप्त हुई, इतने दिनों के बाद और इतने खून खराबे के बाद, वह उसी समय समाप्त हो गई होती । फिर कोरिया का युद्ध किस तरीक़े से समाप्त हो, जब हम ने यह बात कही तो रूस बहुत बिगड़ा । लेकिन हम ने देखा कि वही बात जो हम ने कही थी उसी की आधार शिला के ऊपर कोरिया की लड़ाई समाप्त हुई । आज हम कहते हैं कि अमेरिका की जो पाकिस्तान को फ़ौजी सहायता है वह न एशिया के देशों के लिये उपयुक्त है, न हमारे लिये उपयुक्त है और न पाकिस्तान के लिये ही उपयुक्त है । पाकिस्तान तक के कुछ लोग हमारे मत के हैं । आज पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ ? मैं यह नहीं कहता कि पूर्वी पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग इस बुरी तरह से हारी है उस का मुख्य कारण यह है, लेकिन मैं यह कहने का दावा अवश्य करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हार के कारणों में एक कारण अमेरिका और पाकिस्तान का यह समझौता भी है ।

समस्यायें, मैं आप से कहना चाहता हूं, दुनिया में सदा रही हैं और जब तक यह सृष्टि जिस रूप से बनी है वही इस का रूप रहेगा, तब तक समस्यायें रहने वाली हैं । परन्तु डाक्टर खरे के इस कहने से मैं सहमत नहीं हूं कि चूंकि लड़ाई हमेशा रही है, इसलिये हमेशा रहने वाली है । दुनिया में मूल्यों में परिवर्तन सदा होता रहा है । अंग्रेज़ी में जिस को वैल्यूज़ कहते हैं, उस में सदा परिवर्तन होता रहा है । मानव इतिहास को हम देखें और देखें कि परिवर्तन हुआ है या नहीं । यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि एक दिन आदमी जंगलों में रहता था और आदमी आदमियों को खा जाते थे । उस समय जो आदमी सब से ज्यादा आदमियों को खाने की क्षमता रखता होगा उस का सारा समाज उस समय पूजन करता होगा, क्योंकि वह सब से वीर माना जाता था । उस में परिवर्तन हुआ ।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसा नहीं था ।

सेठ गोविन्द दास : हमारे कुछ भाई कहते हैं कि ऐसा नहीं था । लेकिन एक समय ऐसा तो अवश्य था कि जिस समय मनुष्य के शरीर को खरीदा और बेचा जाता था । उस समय गुलामी की प्रथा थी, स्लेवरी की प्रथा थी, मनुष्य को खरीदने और बेचने की । आज भी शोषण होता है । किन्तु उस तरह मनुष्य के शरीर को

खरीदा और बेचा नहीं जाता । जिस समय यह गुलामी की प्रथा थी उस समय समाज में जिस के पास सब से अधिक गुलाम रहते थे, वह सब से प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि उस के पास इतना बड़ा जन समूह रहता था । आज ऐसी बात नहीं है । तो यह कहना कि लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि अब तक चलती रही है, मैं इस बात को नहीं मानता । मुझे तो आश्चर्य यह है कि अभी तक लड़ाई चल कैसे रही है । यदि संसार को नष्ट नहीं होना है और मानव समाज को जीवित रहना है तो लड़ाई हमेशा के लिये चल नहीं सकती । जिस समय बारूद ईजाद हुई थी, उस समय कोई नहीं जानता था कि आज के ऐटम बम्ब जैसे विस्फोटक पदार्थ ईजाद हो जायेंगे । इसलिये मैं कहता हूं कि यदि हमारी यह लड़ाई बन्द नहीं होती है तो सम्भवतः कोई ऐसा भी बम बन जाये जिस से यह हमारा संसार, यह हमारा प्लैनट ही कदाचित् टुकड़े टुकड़े हो जाये ।

दो बातों में से उपाध्यक्ष महोदय, एक बात होने वाली है या तो इस मानव समाज का और इस सृष्टि का नाश होने वाला है, और यदि नाश होने वाला नहीं है तो लड़ाई बन्द होगी, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अवश्य बन्द होगी और शान्ति की स्थापना हो कर रहेगी ।

आज हमारे सामने सब से बड़ी समस्या लड़ाई की है । उस में भारत की जो वैदेशिक नीति है वह शान्ति की नीति है । दूसरी समस्या हमारे सामने भारत भूमि में यत्र तत्र जो छोटे मोटे विदेशियों के अड्डे रह गये हैं, वह हैं । हम देख रहे हैं कि हमारी शान्तिपूर्ण नीति ने इस सम्बन्ध में कितना काम किया है । आज पांडिचेरी में क्या हो रहा है ? मुमकिन है कि अगर वहां या किसी जगह यह मामला न निबटा तो हैदराबाद के समान कहीं पर हमको पुलिस ऐक्शन लेना पड़े । अब समय आ गया है जब भारत भूमि में ये विदेशियों के अड्डे बहुत दिनों तक नहीं टिके रह सकते और उन का भारत में विलय निश्चित है ।

दुनिया की दृष्टि से हमारे सामने दो प्रधान समस्यायें हैं । एक अफ्रीका की समस्या है और दूसरी चीन के सुरक्षा परिषद् में आने की समस्या है । अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, चाहे वह केनिया में हो रहा हो चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में हो रहा हो, पूर्वी अफ्रीका में समस्यायें हों चाहे दक्षिण अफ्रीका में हों, इन देशों में जितने श्वेतांग रहते हैं उन श्वेतांगों की संख्या वहां की आबादी में दाल में नमक के बराबर भी नहीं है । मैं न्यूज़ीलैंड गया था । वहां पर मावरी एक क़ौम रहती है । उस की संख्या एक लाख है और श्वेतांगों की संख्या वहां पर १९ लाख है । १९ लाख श्वेतांगों ने इस बात का प्रयत्न किया कि एक लाख मावरियों को कुचल कर रख दें, लेकिन वे ऐसा न कर सके और अन्त में वहां के श्वेतांगों को उन मावरी लोगों को नागरिकता के पूर्ण अधिकार देने पड़े । अफ्रीका में जहां श्वेतांग दाल में नमक के बराबर हैं वहां पर उन का वहां के निवासियों को नागरिकता के अधिकार न देना कैसे संभव हो सकता है । आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये अधिकार वहां के निवासियों को देने पड़ेंगे, नहीं तो वहां के श्वेतांग नेस्त नाबूद हो जाने वाले हैं । इसी प्रकार चीन का सुरक्षा परिषद् में न लिया जाना है । कल जिस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री ने कहा और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कि यह मानना कि फ़ारमूसा वाले इतने बड़े चीन का सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, बड़ी ग़लत चीज़ है । सुरक्षा परिषद् तब तक पूर्ण परिषद् हो नहीं सकती, जब तक चीन को सुरक्षा परिषद्

[सेठ गोविन्द दास]

में न लिया जायगा । तो ये समस्यायें हैं और इन समस्याओं को हम शान्तिपूर्ण तरीक़े से निबटाना चाहते हैं । गुजराती और मारवाड़ी लोगों में यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है "धीरज मोटी बात छै" । यदि हम ने धैर्य नहीं रखा तो ये चीज़ें शान्तिपूर्ण तरीक़े से निबटने वाली नहीं हैं । जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं और इस बार भी कहना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन में दलबन्दी को कोई स्थान नहीं होना चाहिये । भिन्न-भिन्न राजनैतिक दल होते हुए भी कुछ विषय ऐसे लिये जा सकते हैं जिन में वे एक साथ रहें और काम करें जैसे भूदान यज्ञ का मामला है, देश में अन्य निर्माण के कार्य हैं और उसी प्रकार से हमारी वैदेशिक नीति भी है जिन में हम सब एक साथ काम कर सकते हैं । हमारी वैदेशिक नीति ऐसी नीति है जिसमें कांग्रेस प्रजा पार्टी, समाजवादियों, साम्यवादियों, हिन्दू सभा, जनसंघ, रामराज्य परिषद् वालों और जितने स्वतंत्र सदस्य हैं उन सब को इकट्ठा हो कर एक साथ मिलकर काम करना चाहिये । मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि हम सब मिल कर इन बातों में काम करेंगे तो हम अपने देश में ठीक निर्माण भी कर सकेंगे और अपने देश के सम्मान को भी आगे बढ़ा सकेंगे ।

अन्त में मैं एक बात और कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं । क्षणिक और छोटी छोटी सफलताओं की अपेक्षा यदि बड़ी बातों में असफलता भी मिले तो बड़े आदर्शों पर क़ायम रहना यह मानवता की विशेष बात है । हमारी वैदेशिक नीति सदा इस का अनुसरण करती रही है । हम यह आशा करते हैं कि वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में तथा इसी प्रकार की और दूसरी बातों के सम्बन्ध में हम क्षणिक आवेश में आ कर छोटी छोटी बातों के पीछे न पड़ेंगे जैसे आज हम रूस से मिल जायें या चीन से मिल जायें इस तरह हम अपने हाथ ग़ैरों के आगे फैला कर अपनी बेबसी दिखलाने की अपेक्षा मज़बूती से अपने आदर्शों पर डटे रहेंगे और इस प्रकार डटे रह कर गीता के एक शब्द को सदा अपने सामने रखेंगे—'अभयं' । जहां तक इस वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, मैं सदा पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा समर्थक रहा हूं, वैसे कई बातों में मेरा उन से काफ़ी मतभेद भी रहा है, हिन्दी के बारे में मेरा उन से मतभेद रहा है, गोरक्षा के बारे में भी मेरा उन से मतभेद रहा है और आज भी कई बातों में मेरा उन से मतभेद है, लेकिन जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, मैं उन के साथ हूं और मैं हृदय से उस का समर्थन करता हूं ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया—पूर्व): मेरा सुझाव यह है कि हमें चीन और रूस के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता कर लेना चाहिये । इस समझौते की शर्तें बहुत सीमित होनी चाहियें । इसमें यह उपबंधित होना चाहिये कि भारत इन देशों पर आक्रमण नहीं करेगा और न ही ये देश भारत पर आक्रमण करेंगे । यही नहीं इसके साथ ही साथ यह भी उपबंधित होना चाहिये कि यदि इनमें से किसी भी देश पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, तो समझौते में सम्मिलित अन्य देश उसकी सहायता करेंगे । दुनिया के अन्य भागों में चीन और रूस क्या करते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सैनिक समझौते के द्वारा ही हम पाकिस्तान को दी गई अमरीकी सैनिक सहायता को बेकार बना सकते हैं, और पाकिस्तान को नियंत्रित रख सकते हैं क्योंकि तब उसको दो तरफ़ से युद्ध का खतरा हो जायेगा । दो तरफ़ लड़ने वाला राष्ट्र सदैव पराजित होता

है । ऐसा ही नाज़ी जर्मनी के साथ हुआ था ।

कुछ लोगों का विचार है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सैनिक सहायता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं छिड़ सकता है । मैं इस विचार से असहमत हूं । मैं तो समझता हूं कि एक या दो वर्ष के भीतर कदाचित पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़े । हमें उस आकस्मिकता के लिये तैयार रहना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये किसी भी गुट में सम्मिलित न होने की नीति उपयुक्त नहीं है । इस नीति का आरंभ इस धारणा पर होता है कि दोनों में से कोई भी गुट भारत के प्रति विद्वेष की भावना नहीं रखता है । वस्तुतः यह धारणा बिलकुल निराधार है । हमारी विदेश नीति की मूल धारणा यह है कि ऐसी नीति का अनुसरण करके हम रूस और अमरीका दोनों को ही नियंत्रित रख सकते हैं, चाहे वे भारत के कितने ही विरोधी क्यों न हों । मेरे विचार से यह धारणा ग़लत है । इस प्रकार की नीति के सफल होने के लिये दो बातें आवश्यक हैं । पहली चीज़ तो यह है कि एशिया में शक्ति संतुलन गड़बड़ न हो और दूसरी बात यह है कि जब तक कि हमारी अपनी दशा अच्छी न हो जाये तब तक शीत युद्ध जारी रहे । दुर्भाग्यवश ये दोनों ही अवस्थायें विद्यमान नहीं हैं । पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी सैनिक सहायता से एशिया में हमारी शक्ति संबंधी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । शक्ति संतुलन में गड़बड़ी पैदा हो गई है । और फिर शीत युद्ध भी समाप्त हो गया है, जिसके फलस्वरूप योरप में रूस की और एशिया में अमरीका की स्थिति सुदृढ़ हो गई है । यदि ऐसा न होता तो वाशिंगटन-कराची-अंकारा धुरी न बन पाती । यह धुरी हमारी शांति और सुरक्षा के लिये एक खतरा है ।

कदाचित हमारी विदेश-नीति के पीछे एक धारणा यह है कि विश्वशांति को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि सारी दुनिया स्थायी रूप से तीन गुटों में बंट जाये– अमरीकी गुट, रूसी गुट और इन दोनों गुटों से अलग रहने वाला गुट । मैं कहता हूं कि यह केवल स्थिति को यथावत् बनाये रखने का प्रयत्न है । इतिहास गतिशील है । राष्ट्र-राज्यों के दिन समाप्त हो चुके हैं । अब युग की प्रमुख विचारधारा संसार के राजनैतिक एकीकरण की ओर है । यह विचारधारा केवल युद्ध से ही रोकी जा सकती है । परन्तु युद्ध से घोर विनाश होगा और स्थिति यथावत नहीं रह सकती है । मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि यदि हम चीन और रूस से मित्रता करते हैं तो युद्ध छिड़ जायेगा । उक्त प्रकार के पारस्परिक रक्षा समझौते के हो जाने पर रूसी साम्राज्य के इस देश में विस्तार का भय भी मुझे निराधार प्रतीत होता है । दिल्ली-पीकिंग-मास्को धुरी के बन जाने से भारत को लाभ ही होगा । ऐसा होने पर भारत रूस और चीन की शक्तियों को भी संतुलित कर सकता है । यह चीज़ इस प्रकार के समझौते के अभाव में नहीं हो सकती ।

श्री पुन्नूस (अल्लेप्पी) : मैं समझता हूं कि इस लम्बे वाद विवाद के दौरान में भारत की रक्षा के प्रश्न के साथ साम्यवाद विरोधी विचारधारा आदि अनेक चीजों को अनावश्यक रूप से मिला दिया गया है । श्री फ्रैंक एन्थनी ने हम साम्यवादियों के विरूद्ध इस सदन में आवाज़ उठाई है । उन्होंने कहा कि साम्यवाद ने भारत पर आक्रमण कर दिया है । मैं यह कहता हूं कि यदि भारत के लाखों करोड़ों लोग साम्यवाद

[श्री पुन्नूस]

को चाहते हैं, तो कोई भी उसे भारत में आने से नहीं रोक सकता है । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि इस बात को भारत की रक्षा के प्रश्न के साथ मिलाने की क्या आवश्यकता है । यदि रूस, चीन या अन्य कोई साम्यवादी देश भारत विरोध कार्य कर रहा हो, तो आप सदन पटल पर उसके प्रमाण रखिये और हम लोग उस पर सोच विचार करेंगे ।

सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारी सीमा पर सतर आ रहा है और वह खतरा पाक-अमरीकी सैनिक समझौते का खतरा है । ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिये ? डा० खरे ने आक्रमण और युद्ध की बात की । मैं इससे सहमत नहीं हूं और न ही ऐसी नीति हमारे लिये लाभकारी सिद्ध हो सकती है । मुख्य रूप से हमें अपने देश की जनता की शक्ति पर निर्भर होना है । इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री के विचारों से सहमत हूं । हमें अपने देश की जनता की दृढ़ भावनाओं और देश भक्ति पर निर्भर होना है । अभी तक हम पाकिस्तान को अपना शत्रु मानते रहे हैं । परन्तु अब वहां की राजनीति में भारी परिवर्तन होते जा रहे हैं । पूर्वी बंगाल के चुनाव के परिणामों से इस बात की पुष्टि हो जाती है ।

अब हमें यह देखना है कि पूर्वी बंगाल के चुनावों के बारे में विदेशी क्या सोचते हैं । एक विदेशी पत्र ने लिखा है कि करांची के लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये परिवर्तन उस समय हो रहे हैं जब कि पाकिस्तान ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की बातचीत कर रहा है, जो कि पाकिस्तान को संसार में एक नया स्थान देने में समर्थ होंगे। अतः पाकिस्तान के प्रजातंत्रात्मक तत्वों पर हमें अब निर्भर रहना होगा । यह एक मामूली बात नहीं है । यह बड़ी गम्भीर बात है, हमें इस प्रकार का कोई बर्ताव नहीं करना चाहिये कि जो पाकिस्तान में प्रजातन्त्रात्मक तत्वों को हतोत्साहित करे ।

विदेशी अभिकरणों को हमें यह आज्ञा नहीं देनी चाहिये कि वे हमारे देशवासियों के मामलों में हस्तक्षेप करें । यदि साम्यवाद भारतवर्ष में आने को है तो भारतवासी उस का चुनाव कर लेंगे । यह ठीक समय पर ही आयगा क्योंकि इसे आना है । किन्तु अब यह देखना है कि क्या सभी प्रकार के व्यक्तियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने की आज्ञा देनी चाहिये ? क्या इस से इन्कार किया जा सकता है कि भारतवर्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो परामर्श-दाता, प्रविधिक विशेषज्ञ अथवा अन्य प्रकार से पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं ? हमारे देश में जो ईसाई मिशनरी हैं उन की भावना की मैं प्रशंसा कर सकता हूं । मैं डा० खरे के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि इन मिशनरियों पर उसी प्रकार निगाह रखनी चाहिये जिस प्रकार कि एक शत्रु पर रखी जाती है । किन्तु इतना निश्चय है कि इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये कि भारत की राजनीति में ये मिशनरी कोई हस्तक्षेप न करें । किन्तु आजकल ये धर्मप्रचारक हस्तक्षेप कर रहे हैं और उस का हमें विरोध करना है ।

मेरे कहने का तो यही तात्पर्य है कि भारतवर्ष की जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा तथा पाकिस्तान की जनता को भी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा । हम दोनों में आपस में झगड़े हैं, मतभेद है, किन्तु हम उन्हें आपस में निपटा लेंगे । साम्यवाद अथवा असाम्यवाद का प्रश्न भी हम निपटा लेंगे । किन्तु मेरा तो यह कहना है कि प्रधान

मंत्री अब भी ऐसे व्यक्तियों को आये दिन देश में इधर-उधर घूमने की—और वह भी सभी उद्देश्यों को ले कर घूमने की—आज्ञा देते रहते हैं ।

किन्तु इस कठिनाई की जड़ हमारा राष्ट्रमण्डल का सदस्य होना है । काफ़ी दिनों से हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं । किन्तु इस से लाभ क्या हुआ है ? राष्ट्र मण्डल ने सदैव ही ऐसे कार्य किये हैं जिन में भारत के अधिकारों का हनन हुआ है । भारतवर्ष को इस की सदस्यता से कोई भी लाभ नहीं हुआ है । अतः अब वह समय आ गया है जबकि राष्ट्रमंडल से हम अपना सम्बन्ध विच्छेद करके अपनी स्वतंत्र नीति अपनायें, और अपने प्रजातंत्रीय आन्दोलन की प्रगति करें और हमारी जनता को यह अवसर मिले कि वह इन सब बातों के बारे में निर्णय कर सके । तभी हमारी जनता और सेना शक्तिशाली बनेगी, तभी हमारे राष्ट्रीय बल का विकास होगा जिस के द्वारा हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो सकेगी ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : अमेरिकन राजदूत ने कहा था, "कि भारत द्वारा इस समझौते का विरोध करने पर भी हम इस समझौते को कर लेंगे ।" भारत तथा लंका के लिये नियुक्त ब्रिटिश उच्चायुक्त ने एक बार मद्रास में कहा था, "कि हम इस समझौते का समर्थन करते हैं ।" अमरीकन तथा ब्रिटिश उच्चायुक्त सम्पूर्ण भारत की जनता की इच्छा के विरुद्ध भी इस बात का समर्थन करने के लिये तुले बैठे हैं कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता मिलनी चाहिये । वे इस बात को भूल जाते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि वे भाई भाई की तरह रहेंगे तथा दोनों के यहां एक ही सी प्रथा रहेंगी और यदि दोनों में से किसी भी देश को यदि सैनिक सहायता मिली तो उस से सन्तुलन बिगड़ जायेगा । जब भारतवर्ष और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और दोनों में आपस में समझौता हुआ तो उस समझौते में यदि एक यह खंड होता कि पाकिस्तान कोई विदेशी सहायता नहीं लेगा तथा पाकिस्तान भी यह शर्त रख देता कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सैनिक सहायता नहीं लेगा तो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिये जाने का यह प्रश्न कभी नहीं उठता । मैं कह सकता हूं कि ऐसा प्रकट होता है कि अमरीका तथा ब्रिटिश ने भारतवर्ष की आत्मा तथा भावना को नहीं समझा है ।

अब वह समय आ गया है जब एक न एक दिन हमें भी स्वयं को दी जाने वाली अमरीकी सहायता को अस्वीकार करना पड़ेगा । अमरीका तथा ब्रिटेन से जो सहायता हम को मिलती रही है उस के एवज़ में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ हम देते रहे हैं । आज यदि आवश्यकता पड़े तो हमारा स्त्री समाज अपने आभूषणों का त्याग कर सकता है और उन से हम को इतना धन मिल जायगा कि हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम को चला सकेंगे और तब इस विदेशी सहायता की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ जबकि श्री जयपालसिंह ने यह कहा कि "अमरीकन सहायता हमें स्वीकार कर लेनी चाहिये" यदि ऐसा है तो जब पाकिस्तान अमरीका से सहायता ले रहा है तो उस में क्या बुराई है ।

अब मैं गोआ का प्रश्न लेता हूं । मैं समझता हूं कि यदि ब्रिटेन भारतवर्ष का मित्र रहना चाहता है, और यदि वह १०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आय चाहता है

[श्री जोकीम आल्वा]

तो यह उस के लिये उचित समय है कि वह गोआ के बारे में अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा कर दे। अमरीका के लिये भी यह उचित समय है कि वह यह बता दे कि गोआ के बारे में उस की विचार धारा क्या है ? हमें डर है कि अमरीका कहीं ऐसा प्रयत्न न करे जैसा कि उस ने काश्मीर में किया था।

कनाडियन प्रधान मंत्री श्री मेंट लोरेंट के वक्तव्य के लिये हम आभारी हैं जो उन्होंने उस दिन देहली में दिया था। उन्होंने कहा था कि गोआ के विदेशी राज्य क्षेत्र उत्तर अटलांटिक संधि संघ में सम्मिलित नहीं हैं, और न उसका उल्लेख उस कार्यक्रम में ही है जो कि इन राज्य क्षेत्रों की रक्षा के लिये उत्तर अटलांटिक संधि संघ ने बताया है।

अगोंला में पुर्तगाली राज्य क्षेत्र को अमरीका द्वारा सैनिक सहायता दी जा रही है। अमरीका निवासियों द्वारा उन्हें सामान भेजा जा रहा है और रेलें, सड़क, वायु पथ आदि वहां बना रहे हैं। इनका कुछ भाग यहां गोआ को भेज दिया जायगा, ताकि संतुलन बिगड़ सके, और हमारी स्थिति अच्छी न रहे। गोआ के बारे में मैं इसलिये जोर दे रहा हूं कि एक समय वह आयेगा जब कि यह समस्या काश्मीर की समस्या से भी अधिक खतरनाक हो जायगी। अमरीकी प्रेक्षक जो वहां हैं—इस के बारे में तटस्थ नहीं रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यहां की जनता को उनकी तटस्थता के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। जब कि अमरीका की जनता को अधिकार है तो काश्मीर में अमरीकी प्रेक्षकों की तटस्थता के बारे में क्या हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है ?

काश्मीर के बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि यदि युद्ध विराम पंक्ति के एक ओर अमरीकी प्रेक्षकों का दल है तो दूसरा दल उस युद्ध विराम पंक्ति की दूसरी ओर नहीं होना चाहिये। न्यूज़ीलैंड ने तटस्थ प्रेक्षक भेजने के लिये कहा है, उसके लिये हम उन के आभारी हैं किन्तु हमें डर है कि ये प्रेक्षक भी अमरीका के दबाव में आ जायेंगे।

पुर्तगाली राज्य क्षेत्र तथा फ्रांसीसी बस्तियां हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिये वस्तुतः भार हैं। गोआ की सीमाओं पर होने वाले चौर्यानियन के बारे में भी सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और निवेदन है, कि इन बस्तियों से विदेशी सत्ता को हटाने के लिये सरकार कार्यवाही करे।

भारतीय वैदेशिक सेवा में अधिकतर भारतीय सिविल सर्विस के कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भी थे, क्या इन से आशा की जा सकती है कि वे इस नये भारतवर्ष के सच्चे प्रतिनिधि हो सकते हैं ? अतः मेरा निवेदन है कि भारतीय वैदेशिक सेवा में से इन कर्मचारियों को निकाल देना चाहिये। ये कर्मचारी अवांछित हैं।

चीन और रूस आज हमारे पड़ोसी हैं उन के साथ हमें मित्र की भांति व्यवहार करना होगा अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मचारियों को दूतालयों में नियुक्त नहीं करना चाहिये।

मैं मानता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री की नीति बड़ी अच्छी नीति है किन्तु यदि हम अपने विदेशी प्रतिनिधियों के शब्दों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो निश्चय ही उन अन्य व्यक्तियों के शब्दों पर भी जो एशिया से बाहर हैं विश्वास नहीं किया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति द्वारा लेटिन अमरीकन देशों के आगामी दौरे का मैं स्वागत करता

हूं ; हमें उन देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये ।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : पाक-अमरीकी सैनिक संधि हो रही है । इसीलिये अधिकांश सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उसमें इस सन्धि का हवाला दिया है । यह सन्धि निश्चय ही बड़ी महत्व-पूर्ण घटना है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस के भय से हम अपनी सुध-बुध भूल जायें तथा हर समय घबड़ाया करें । यदि कोई मेरे मकान के निकट पेट्रोल का भंडार बनाये तो मुझे निश्चय ही बहुत सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बस मेरा मकान ही उड़ गया । हमें सतर्कता से काम लेना चाहिये परन्तु अपने होश हवास नहीं खोने चाहियें । इस सम्बन्ध में सदन के सदस्यों ने जो परामर्श दिये हैं उन सभी को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है । प्रोफे-सर हीरेन मुकर्जी का भाषण सदा की भांति अत्यन्त ओजस्वी तथा प्रभावशाली था उनका अपना एक राजनीतिक विश्वास है तथा कुछ विशेष देशों के साथ उन को कुछ विशेष प्रेम है । श्री मुकर्जी संभवत: अपनी बातों में कभी कोई बात बदलते नहीं हैं सदा वही बात कहते रहते हैं । परन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लोग खाई में नहीं कूदना चाहते हैं वे कूयें में भी कूदने को तैयार नहीं होते हैं । यदि इस देश की जनता इस गुट के साथ सैनिक संधि नहीं करना चाहती है तो भी वह दूसरे गुट के साथ भी गठबन्धन करने के लिये तैयार नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने परामर्श दिया है कि हम अपनी पंचवर्षीय योजना को त्याग दें और अपनी सारी शक्ति देश की रक्षा के साधन जुटाने में लगा दें । वह जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना ही इस सरकार का सबसे बड़ा कार्य है जिस के द्वारा वह भारत के मृतप्राय ग्रामों में फिर से जान फूंकना चाहती है । इसी योजना की बदौलत सरकार का जनता के साथ सम्पर्क है । इसलिये वह चाहते हैं कि जनता के साथ सरकार का जो सम्पर्क है वह समाप्त हो जाये और फिर उन के लिये मैदान साफ हो जाये ।

उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि यदि अमरीका को इस देश की जनता तथा सरकार के विचारों का ठीक से ज्ञान होता तो वह यह कदम न उठाती । इसलिये सारा दोष हमारे प्रोपोगैण्डा विभाग का है इस सम्बन्ध में पहिली बात तो यह है कि हमारी सरकार के पास कोई प्रोपोगैण्डा विभाग है ही नहीं । हमारा एक वैदेशिक प्रचार विभाग है जिसका काम विदेशों में इस सरकार के दृष्टिकोण का प्रचार करना तथा विदेशों के मत क्या हैं उन के सम्बन्ध में हमें सूचित करना है । किसी स्वतंत्र देश की वैदेशिक नीति का संचालन तथा उस में किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी अन्य देश का प्रचार विभाग कर सकता है, यह समझना, बहुत बड़ी भूल है । इसलिये मैं यह मानने को तय्यार नहीं हूं कि यदि हमारा प्रचार विभाग बहुत कुशल होता तो हम अन्य देशों की वैदे-शिक नीति को प्रभावित कर सकते थे ।

जहां तक इस विषय विशेष का सम्बन्ध है, अन्तिम निर्णय करने के पूर्व सारे संसार को, इस देश की जनता तथा सरकार के विचारों से अवगत करा दिया गया था इसलिये यह कहना गलत है कि अमरीका की सरकार को हमारे देश की सरकार तथा जनता के विचारों का ज्ञान नहीं था । कुछ समय से हमारे वैदेशिक प्रचार में लोगों ने दिलचस्पी लेना आरम्भ किया है इस सम्बन्ध में आलोचना की गई है कि हमारा प्रचार संगठन बहुत खराब है । मैं मानता हूं कि यह संगठन सम्पूर्ण रूप

[श्री अनिल के० चन्दा]

से दोष रहित नहीं है और न कोई संगठन हो सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि इस संगठन की सहायता से हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस के लिये और भी बहुत धन की आवश्यकता है। हमको कर्मचारियों की दशा में सुधार करना है। वास्तव में सारे संसार में हमारे ७२ राजदूतावास हैं। इन पर तथा इन के केन्द्रीय कार्यालय पर हम ५० लाख रुपये से कुछ अधिक व्यय करते हैं जो हमारे जैसे बड़े देश के प्रचार कार्य के लिये सर्वथा अपर्याप्त है। हम वैदेशिक प्रचार के संगठन में सुधार करने की एक योजना तय्यार कर रहे हैं, तथा आशा करते हैं कि आगामी आयव्ययक से पूर्व हम उसे आपके सम्मुख उपस्थित करेंगे।

चन्द्रनगर के सम्बन्ध में भी दो तीन कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि यही एक मात्र ऐसा मामला है जिस में सरकार ने आदि से अन्त तक अपनी कही हुई सारी बातों का पालन किया है। जब चन्द्रनगर विधि अनुसार हमें हस्तान्तरित किया गया था तो हमने जनता से कहा था कि अन्तिम प्रशासनिक प्रबन्ध जनता से राय ले कर किये जायेंगे। इसी के लिये हमने एक आयोग नियुक्त किया जिसमें डा० अमरनाथ झा तथा एक सचिव को रखा गया। चन्द्रनगर की जन संख्या ५०,००० है, परन्तु ७० विभिन्न संस्थाओं ने इस आयोग से भेंट की, अपने विचार प्रकट किये, तथा ज्ञापन दिये। इसी कारण आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में विलम्ब हुआ। डा० अमरनाथ झा की सिफारिशों में, इस सरकार के अनेक मंत्रालयों का, तथा पश्चिम बंगाल सरकार का, हवाला है; इसलिये ऐसे गुप्त प्रतिवेदन को, जब तक सरकार उस पर विचार न कर ले, हम सदन पटल पर नहीं रख सकते थे। परन्तु जैसे ही हमारी सरकार ने विचार कर लिया तथा विभिन्न मंत्रालयों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के विचारों का पता लगा लिया गया यह प्रतिवेदन सदन पटल पर रख दिया गया। यद्यपि अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं किया है फिर भी प्रधान मंत्री कल सदन को बता चुके हैं कि सरकार का विचार है कि डा० झा की सिफारिशें पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली जायें।

उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी संगठन प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में है। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा है कि इस अर्धविकसित क्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है। उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी की पंचवर्षीय विकास योजना का प्राक्कलन ३ करोड़ रुपया है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं कहीं तो एक मन चावल भेजने में ५० रुपया तक खर्च करने पड़ते हैं। इसलिये इस क्षेत्र की प्रथम आवश्यकता है, सड़कों का बनाया जाना तथा संचार के अन्य साधनों का उपलब्ध करना। इस तीन करोड़ रुपये मे से १.३५ करोड़ रुपया सड़कों के लिये निश्चित किया गया है। यह कार्य परिवहन मंत्रालय के सड़क विभाग द्वारा किया जा रहा है।

शेष १.६५ करोड़ रुपया विकास के लिये नियत किया गया है; जिस में से १० लाख रुपया १९५१–५२ में तथा १८ लाख रुपया १९५२–५३ में खर्च किया गया था। चालू वर्ष में विकास कार्य में अर्थात् कृषि, डाक्टरी सहायता, सफाई तथा शिक्षा में होने वाले व्यय का प्राक्कलन ४८ लाख रुपया है आगामी दो वर्षों के लिये इस प्रकार ८९ लाख रुपया शेष रह जाता है। एक वर्ष में उस क्षेत्र में जहां पहले शिक्षा के कोई भी साधन नहीं थे हमने एक हाई स्कूल, १२ अंग्रजी के

मिडिल स्कूल तथा १५२ लोअर प्राइमरी स्कूल स्थापित कर दिये हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मैं तो केवल यह जानना चाहती थी कि क्या आयव्ययक में जितने रुपये का उपबन्ध किया गया था वह खर्च किया जा चुका है ?

श्री अनिल के० चन्दा : प्रति वर्ष नियत न किया गया रुपया हम क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं उसका मैं कारण बताना चाहता हूं । उस क्षेत्र में कोई सड़कें नहीं हैं । स्कूल खोलने, औषधालयों की स्थापना करने तथा डाक्टरों को भेजने से पहले सड़कों का बनाना आवश्यक है तथा सड़कें एक दिन में नहीं बनाई जा सकती हैं ।

हम ने विभिन्न श्रेणियों में १८५ छात्र-वृत्तियां दी हैं । जहां तक निचले क्रमों में शिक्षा के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम बुनियादी शिक्षा को सब से अधिक उपयुक्त समझते हैं तथा हम अपने सब स्कूलों को बुनियादी शिक्षा के स्कूल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । विकास के लिये रखे गये १६५ लाख रुपये में से, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए ६५ लाख रुपये को पृथक रक्षित कर दिया गया है । हम इस से पहले ४३ अस्पताल तथा औषधालय, तीन आयुर्वेदिक औषधालय, ३३ चलते फिरते औषधालय, १८ कुत्ते के काटे के केन्द्र तथा ३ कुष्ट रोग के क्लनिक खोल भी चुके हैं । वेतनक्रम १ तथा वेतनक्रम २ में ९४ नागरिक असिस्टन्ट सर्जन नियुक्त हो चुके हैं तथा १० विद्यार्थियों को चिकित्सा सम्बन्धी अध्ययन और २३ व्यक्तियों को कम्पाउंडर के पाठ्यक्रम के लिये छात्र-वृत्तियां दी गई हैं । छः व्यक्तियों को प्रसूति पाठयक्रम के सम्बन्ध में छात्रवृत्तियां दी गई हैं ।

इसी प्रकार से स्वास्थ्य केन्द्रों में भी काफ़ी काम किया गया है । कृषि के आधुनिक तरीके आरम्भ किये गये हैं तथा आदिम-जातीय क्षेत्रों के लोगों को बढ़िया प्रकार के औज़ार तथा बीज दिये गये हैं । इस क्षेत्र में पासीघाट के स्थान पर हम ने एक सामुदायिक परियोजना भी चलाई है । कुछेक स्थानीय कठिनाइयों के होते हुए भी—जो भारत के दूसरे भागों के सम्बन्ध में विद्यमान नहीं हैं—इस कार्य में निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है । सामुदायिक परियोजना प्रशासन के निर्देशक महोदय के प्रतिवेदन के अनुसार इस खण्ड में सारभूत तथा उल्लेखनीय कार्य हुआ है । पासीघाट सामुदायिक केन्द्र पर हम ने १९५२-५३ में १,८१,००० रुपये से कुछ अधिक तथा १९५३-५४ में नवम्बर तक १,२०,००० रुपये खर्च किये हैं । इस क्षेत्र में सामुदायिक परियोजना पर कुल व्यय का २३ प्रतिशत भाग खर्च हुआ है जो सारे भारत के सर्वोपरि ५ प्रतिशत व्यय अथवा आसाम समेत सभी भाग (क) राज्यों के व्यय की तुलना में ठीक है । १४५ मील लम्बी सड़कें पहले से बन चुकी हैं तथा विद्यमान ९० मील लम्बी सड़कों की दशा को सुधारा जा चुका है ।

पिछले वर्ष से हम ने उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में नई प्रशासन व्यवस्था स्थापित की हुई है । इस नये संगठन में आसाम के राज्यपाल के परामर्शदाता, वित्तीय परामर्शदाता, जो भारत सरकार के वरिष्ठ उप-सचिव के पद के बराबर हैं तथा जो एक नई नियुक्ति ह, शामिल हैं । इस से आसाम के राज्यपाल दिल्ली से उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना मुख्य परामर्शदाताओं के परामर्श से वित्तीय वाग्-बद्धताओं वाले मामलों के सम्बन्ध में फैसला कर सकेंगे । इस के अतिरिक्त राज्यपाल के एक उप परामर्शदाता हैं; छः राजनैतिक

[श्री अनिल के० चन्दा]

अधिकारी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) के वरिष्ठ श्रेणी में हैं; १७ सहायक राजनैतिक अधिकारी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी १ में हैं तथा १० सहायक राजनैतिक अधिकारी हैं जो आसाम वेतन-क्रम २ में हैं। ये अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

कुछ आलोचना इस आधार पर की गई है कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में आसाम के लोगों को इस नई संस्था की सेवा से निकाल देने के लिये व्यवस्थित ढंग से आन्दोलन चल रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि राजनैतिक अधिकारियों तथा सहायक राजनैतिक अधिकारियों में से ६६ प्रतिशत अधिकारी आसाम से सम्बन्ध रखते हैं। सहायक राजनैतिक अधिकारियों से नीचे मुख्य-स्थान अधीक्षक अधिकारी हैं जो उन क्षेत्रों के ज़िलों के उन छोटे या बड़े भागों के प्रभारी कार्यपालिका अधिकारी हैं जिन में सहायक राजनैतिक अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये हैं ....

एक माननीय सदस्य : हम राजनैतिक अधिकारियों की प्रतिशतता नहीं सुन पाये हैं।

श्री अनिल के० चन्दा : लगभग ६६ प्रतिशत। राजनैतिक अधिकारियों तथा सहायक राजनैतिक अधिकारियों की ६६ प्रतिशत संख्या आसाम से है। हम ने उसी पद के बराबर का एक परिवहन अधीक्षक भी नियुक्त किया है। मुख्य स्थान के अधीक्षक तथा परिवहन-अधीक्षकों की कुल संख्या ३१ है तथा वे सब के सब आसाम से हैं। इन ३१ में से १० आदिम जातियों के व्यक्ति हैं इन परिवहन तथा मुख्य-स्थानों के अधीक्षकों के अधीन प्रादेशिक अधीक्षक हैं जिन की संख्या १६ है। इन में से पांच आदिम जातियों के व्यक्ति हैं।

मैं यह भी बता दूं कि जनता के सम्पर्क में प्रायः निचली श्रेणी के अधिकारी आते हैं तथा इस कारण इस क्षेत्र में आसामी अधिकारियों द्वारा मैदानों के लोगों और पहाड़ी लोगों में परस्पर सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है। उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र के बाहर विभिन्न अवसरों पर जो सम्पर्क होता है, वह इस के अतिरिक्त है।

राजनैतिक अधिकारियों की भर्ती के लिए एक विशेष भर्ती बोर्ड की स्थापना की गई थी जिस में वैदेशिक-कार्य सचिव, रक्षा सचिव, गृह-कार्य सचिव तथा एक आदिम जातियों के विशेषज्ञ भारत के मानव-विज्ञान के महा निदेशक, श्री बी० एस० गुहा थे; तथा सहायक राजनैतिक अधिकारियों के बोर्ड में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि —जो संयुक्त सचिव के पद के थे—शामिल थे।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सेवा-युक्त अधिकारियों से तथा आसाम और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वैदेशिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा और रक्षा सेवाओं से प्रार्थनापत्र मंगाए गये थे। कुल मिला कर ८२५ प्रार्थनापत्र आये थे। इन में से १०७ व्यक्तियों से राजनैतिक अधिकारियों तथा २०५ व्यक्तियों से सहायक राजनैतिक अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए इन्टरव्यू किया गया था। सीमान्त क्षेत्रों में विशेष अनुभव को विशेष महत्व दिया गया था। ये अधिकारी एक वर्ष तक परीक्षण पर रखे गये थे तथा तीन वर्षों तक इन्हें प्रतिनियुक्त ही समझा जायगा। इस अवधि में इस अभिकरण की सारी प्रशासनिक नियुक्तियों तथा मनीपुर और त्रिपुरा की कुछेक नियुक्तियों की एक पृथक पदाली बनाने का विचार किया गया है।

श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के ३१ राजनतिक अधिकारियों तथा सहायक राजनैतिक अधिकारियों में से २० आसाम से हैं, १२ आदिम जातियों के व्यक्ति हैं, आठ ग़ैर-आदिम जातीय व्यक्ति हैं तथा ११ भारत के दूसरे भागों से लिये गये हैं ।

मैं राजनैतिक अधिकारियों के बारे में आप को कुछ रुचिकर बातें बताना चाहता हूं । आसाम प्रशासन के अधीन पांच स्वायत्तशासी पहाड़ी ज़िले हैं ।

श्री ज़ोकीम आल्वा : सूचना के हेतु, मैं जान सकता हूं कि १०० अधिकारियों को दिल्ली में बुला कर इतना व्यय क्यों किया गया जबकि सरकार के पास उन के योग्य तथा नियुक्ति के लिये उपयुक्त होने के बारे में कोई अभिलिखित सूचना आदि नहीं थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : प्रार्थनापत्रों की कुल संख्या २००० थी तथा यदि हम व्यक्तियों को इन्टरव्यू से न चुनते तो माननीय सदस्य स्वयं इस पर पक्षपात तथा स्वार्थी होने का दोष लगाते ।

आसाम सरकार द्वारा दिये गये उसके प्रभाराधीन पांच स्वायत्तशासी पहाड़ी ज़िलों के आंकड़ों की तुलना करना एक रुचिजनक विषय है । संयुक्त खासी तथा जैन्तिया पहाड़ियों के उप-आयुक्त खासी आदिम जातियों के व्यक्ति हैं । नागा पहाड़ियों के उप-आयुक्त का सम्बन्ध दक्षिण भारत से हैं । गारो पहाड़ियों के उप-आयुक्त पंजाब के निवासी हैं । वे सब भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिये गये हैं । संयुक्त मिकिर तथा उत्तरी कचार की पहाड़ियों के उपायुक्त आसामी हैं । इस प्रकार से आसाम के पांच स्वायत्तशासी पहाड़ी ज़िलों के, जो आसाम सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं, उपायुक्तों में से केवल दो आसाम से हैं (एक तो आसाम के आदिम-जातीय व्यक्ति हैं तथा दूसरे आसाम के मैदानी क्षेत्र से हैं) । शेष तीन आसाम से बाहर के हैं । आप आसाम सरकार द्वारा आसाम से बाहर से लिये गये अधिकारियों की संख्या तथा हमारे द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में लिये गये अधिकारियों की संख्या के अनुपात को देख सकते हैं कि इस से श्री रोहिणी कुमार चौधरी के इस संकेत की सत्यता सिद्ध नहीं होती है कि "सेवाओं से आसामियों को योजनाबद्ध ढंग से निकाला जा रहा है ।"

सदन की एक सम्मानित सदस्या, श्रीमती खोंगमेन ने कहा है कि यह एक दुर्भाग्य की बात है कि इन अधिकारियों तथा दूसरे व्यक्तियों के चुनने में स्वयं आदिम जातियों से परामर्श नहीं लिया गया है । मैं नहीं जानता कि उन से परामर्श कैसे लिया जा सकता था । कुछ भी हो, इन अधिकारियों की भर्ती के लिये हमें एक प्रकार के लोक सेवा आयोग की स्थापना तो करनी ही थी ।

उन्होंने इस बारे में भी खेद प्रगट किया है कि यद्यपि सदन में आदिम जातियों के सदस्य हैं, उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के मामलों में उन का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है । परन्तु मेरा विचार है कि आदिम जातियों के एक सदस्य श्री जे० एन० हज़ारिका के इस मंत्रालय के सभा सचिव होने के तथ्य को वह बिल्कुल ही भूल गई हैं । संसद् के प्रत्येक सत्र अवकाश में श्री हज़ारिका को मंत्रालय द्वारा लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये इन क्षेत्रों में भेजा गया है । उन्हों ने हमें सदैव ही बड़े क़ीमती सुझाव दिये हैं तथा इस संस्था के काम में उन की रिपोर्टें सदैव बहुत लाभकारी सिद्ध हुई हैं ।

डा० वैरियर एल्विन की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गई हैं । यह

[श्री अनिल के० चन्दा]

कहा गया है कि उन का आदिम जातियों के लोगों के बारे में एक विशेष सिद्धान्त है तथा इस पद पर उन्हें सेवायुक्त करने से हमारे लिये खतरा है । मैं भी सामाजिक मानव-विज्ञान का साधारण विद्यार्थी हूं तथा मझे मालूम नहीं कि भारत के कई व्यक्तियों में से किसी ने भी आदिम जातियों के लोगों के बारे में डा० एल्विन से अधिक सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया हो । आखिरकार, हम ने उन्हें कार्यपालिका पद पर तो नियुक्त नहीं किया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : डा० एल्विन के काम की सभी सराहना करते हैं । आपत्ति तो उन की उस राय के बारे में है जो आदिम जातियों के व्यक्तियों के मैदानी क्षेत्र के लोगों के निकट सम्पर्क में लाये जाने के बारे में है ।

श्री अनिल के० चन्दा : हम ने उन्हें किसी कार्यपालिका पद पर नहीं लिया है हम ने उन्हें आदिम जातियों के व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में प्रविधिक परामर्श देने के लिये नियुक्त किया है । सरकार होने के नाते फैसला करना हमारा काम है । हम उन के परामर्श को स्वीकार कर सकते हैं या रद्दी की टोकरी में डाल सकते हैं । इस के अतिरिक्त मैं उन की पुस्तकों से भली प्रकार से परिचित हूं तथा मैं जानता हूं कि वह इस प्रकार के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करते हैं कि आदिम जातियों के लोगों को एक अजायबघर के रूप में रखा जाय तथा मैदानी लोगों के सम्पर्क में न आने दिया जाये । इस के विपरीत हम इन आदिम जातियों के व्यक्तियों का एकदम प्रमापीकरण नहीं कर देना चाहते हैं ।

जहां तक आदिम जातियों के लोगों के प्रति हमारे व्यवहार का सम्बन्ध है, मैं प्रधान मंत्री की एक गुप्त टिप्पणी में से, जो उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के पथप्रदर्शन के लिये तैयार की थी, कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाऊंगा यद्यपि यह गुप्त प्रकार की है, मुझे विश्वास है कि वह कुछ पंक्तियों के उद्धरण का बुरा नहीं मानेंगे :

> "उनकी वैयक्तिक संस्कृति को यथापूर्व रहने देने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । इस संस्कृति की बहुत सी बातें यथापूर्व रखने योग्य हैं। उन के अन्दर कला की वास्तविक तथा प्राकृतिक भावनायें हैं तथा वे शक्तिशाली तथा मज़बूत लोग हैं । यदि उनका इस बारे में स्तर नीचा कर दिया गया तो यह एक खेद की बात होगी—भले ही कुछ दूसरी दिशाओं में वे उन्नति कर जायें ।"

इसके बाद उन्होंने कहा है :

> "मेरा कहना है कि उत्तरपूर्वी सीमान्त के सारे क्षेत्र पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये—न केवल सरकार को बल्कि सारे भारत के लोगों को । उनसे सम्पर्क बनाने में हमें और उन्हें दोनों को लाभ होगा । वे भारत के बल, मित्रता तथा सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करते हैं । यहां सफर करते हुये भारत का एक नया तथा विशाल चित्र हमारी आंखों के सामने आता है तथा तंग दृष्टिकोण की वह झलक जिससे हम प्रायः दबे रहते हैं, लुप्त होती दिखाई देती है । हमारी भावना ऐसी होती है कि भारत कोई विशेष खण्ड नहीं है जिसे हम भली प्रकार से

जानते हैं बल्कि निश्चय ही वह एक बहुत बड़ा खण्ड है--- एक ऐसा संगम है जहां सभी जातियां, भाषायें तथा संस्कृतियां आकर मिलती हैं ।"

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के सम्बन्ध में एक कविता में लिखा था :

"किसी को यह विदित नहीं है कि किस के कहने से अज्ञात स्थानों से मानव की इतनी नदियां बिना रुकावट बह कर आईं तथा एक ही समुद्र में लुप्त हो गईं ; यहां पर आर्य तथा अनार्य, द्रविड़, चीनी, शक, हूण, पठान तथा मुगल आये और सब मिल कर एक शरीर बन गये ।"

मैं इन पंक्तियों को सदन पटल पर रखने को तैयार हूं ।

श्री देवेश्वर सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं पिछले दो वर्षों में सड़कों के बनाने के लिये कम धनराशि के दिये जाने के बारे में कुछ नहीं सुन पाया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : हम आंकड़े चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आंकड़े परिचालित कर देंगे ; उन्हें अधिक समय नहीं दिया जा सकता है ।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : वैदेशिक कार्य सम्बन्धी वाद विवाद में ही हम भावावेश से दूर रह कर शान्तिपूर्वक बातचीत कर सकते हैं । संसार के देशों में तनाव है, इसलिये एशियायी देश अखाड़े के रूप में समझे जाने लगे हैं । एक दल मुक्ति युद्ध की बात कहता है---सब प्रकार की प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को नष्ट कर के इसे इस के कथित मक्ति दाताओं से मुक्ति दिलाने की बात कहता है और दूसरा दल भी इसे मुक्तिदाताओं से मुक्ति दिलाने की बात कहता है । दोनों दल इसे अपना अपना शिकार समझते हैं ।

श्री देवेश्वर सर्मा : मुझे भी बोलने का अवकाश मिलना चाहिये, क्योंकि उत्तर-पूर्वी सीमा के सम्बन्ध में कोई नहीं बोला है और किसी को उसका ज्ञान भी कम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायगा ।

डा० एस० एन० सिंह : भौगोलिक स्थिति के कारण एशियायी देशों की रक्षा और स्वतंत्रता के निमित्त हमें ठीक मार्ग दर्शन करना होगा । श्री मैलनकोव ने भी कहा है कि शान्ति स्थापन के लिये भारत और उसके नेताओं की सराहना की जाती है तथा इन्होंने एशिया में आक्रमणकारी शक्तियों को रोकने का शान्तिपूर्ण प्रयत्न किया है । किन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है । श्री मैलनकोव ने एक स्थान पर कहा है कि शान्ति स्थापन के लिये एशिया के राष्ट्रों का नेतृत्व चीनी गणतंत्र द्वारा किया जा रहा है और सोवियट राष्ट्र उसका साथी है ।

[श्री पाटस्कर पीठासीन हुए]

चीन के अतिरिक्त पूर्व में कोई भी देश चीन की ओर ध्यान नहीं देता है, अपितु वह भारत और पंडित नेहरू की ओर आशायें लगाये बैठे हैं । एशिया के देश किसी का प्रभुत्व नहीं चाहते हैं और पंडित नेहरू की विदेशी नीति स्पष्ट है अर्थात् आंधियों और तूफान का सामना करते हुये अपने जहाज को सीधे ले जाना है ।

[डा० एस० एन० सिंह]

अमरीका-पाकिस्तान समझौते के कारण लोगों में परेशानी फैली हुई है। अमरीका पाकिस्तान को टैंक, सैनिक और वायुयान देगा। इस से न केवल भारत की अपितु समस्त एशिया के देशों की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। हमें इसके परिणामों का ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण करना पड़ेगा। हमें इस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कि च्यांग काई शेक के समस्त शस्त्रार्थ चू तेह के हाथों में आ सकते हैं तो इसमें कुछ संदेह नहीं कि पाकिस्तान का बाहु बल भी पखतून छापामारों या किसी और के हाथ में आ जाये। जिसका परिणाम होगा पाकिस्तान का विकेन्द्रीकरण। यह बात पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचनों से भी स्पष्ट हो गई है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह समझौता मुस्लिम जगत को सबल बनायेगा, किन्तु बात उल्टी निकली है। हमें प्रत्येक दृष्टि से तैयार रहना चाहिये, क्योंकि पाकिस्तान का आशय भारत पर आक्रमण करने का है। हमारे प्रधान मंत्री ने बड़े साहस और यथार्थता से काम लिया है। हमें शस्त्र इकट्ठे करने की नीति को नहीं अपनाना चाहिये।

हमारी विदेशी नीति स्पष्ट है कि हम किसी दलनीति की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं और इस से पृथक रहना चाहते हैं। हमने बड़े प्रयत्नों से स्वतंत्रता प्राप्त की है, इसलिये हम चाहते हैं कि एशिया का कोई भी देश इस गुट नीति में न फंसे। यह नेतृत्व संरक्षण, शान्ति, और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): विदेश नीति को मापने का यह माप दण्ड नहीं है कि हमने कितने मिशन भेजे हैं अथवा कितने गण्य मान्य व्यक्तियों का हमने आदर किया है। विदेश नीति का माप दण्ड यह है कि जब कभी किसी देश के साथ हमारा झगड़ा हुआ, तो क्या हम उसका निर्णय अपने मतानुसार करा सके अथवा नहीं और क्या उस समय जनमत हमारे पक्ष में था या नहीं। इस दृष्टि से हमारी विदेश नीति पूर्णतया असफल रही है।

इन वर्षों में निष्क्रान्त सम्पत्ति, हिन्दुओं के प्रत्यावर्तन और काश्मीर आदि की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। क्या हम इनका हल अपने पक्ष में कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुमत प्राप्त कर सके हैं। नहीं। मैं समझता हूं हम विफल रहे हैं।

मेरे पास तेहरान से एक पत्र आया है जिसमें लिखा है कि यहां भारतीय राजदूत के समाचार सहायक श्री नाज़िर ने संपादकीय टिप्पणी में लिखा है कि सिखों ने अंग्रेजों के साथ मिल कर मुसलमानों का राज्य समाप्त किया था। इस कारण तेहरान में भारतीयों का सारा कारोबार नष्ट हो रहा है। मैंने वह पत्र वैदेशिक कार्यमंत्रालय को भेजा, किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला। मैं भी उस सज्जन को कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं सदन के समक्ष यह बात प्रस्तुत करता हूं कि यदि इसी प्रकार का प्रचार विदेशों में होता रहा, तो वहां रहने वाले भारतीयों की क्या दशा होगी ? इसलिये ऐसे लोगों को ऐसा करने से रोका जाये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): यदि पंचवर्षीय योजना इतनी शानदार थी, तो संसद से इसका प्रचार करने के लिये ३८ लाख रुपये की मंजूरी क्यों ली गई थी ? प्रधान मंत्री का यहां आ कर देश को संगठित होने के लिये कहना अर्थहीन है। पाक-अमरीका समझौते के बाद गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश को संकट से बचाने

के लिये पंच वर्षीय योजना के धन को भारत की रक्षा और नवयुवकों के शस्त्रीकरण तथा राष्ट्र का साहस बनाने के कार्यों में लाना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि चन्द्रनगर की पुरानी फ्रांसीसी बस्ती के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया गया है, किन्तु उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उसको संसद् और विधान सभा में अपने सदस्य भेजने का अधिकार दिया जाना चाहिये। क्योंकि वहां कांग्रेस के सदस्य हार गये हैं, इसलिये उन से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, यह अच्छी बात नहीं है। वहां पर लोगों को फ्रांसीसी भारतीय विधि के अनुसार दो दो कर देने पड़ते हैं, और फ्रांसीसी विधि के रद्द न होने के कारण वह नगर वकीलों का स्वर्ग बना हुआ है। इस से लोग पिस रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और स्वायत्तशासी निगम बनाने की श्री अमरनाथ झा की सिफारिश को स्वीकार करेगी। वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहने के कारण चन्द्रनगर को कुछ विशेष विशेषाधिकार प्राप्त थे और वह एक नगर राज्य के रूप में स्वायत्तशासी था। अब उसे स्थानीय परिषद् से अधिक कुछ विशेष प्रशासनिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक स्वायत्तता दी जानी चाहिये, ताकि वे उचित ढंग से अपने नगर का विकास कर सकें।

हिन्दचीन के सम्बन्ध में मैं समझता था कि चीन के लोग और वहां की सरकार युद्ध विराम के लिये प्रधान मंत्री के संदेश को स्वीकार करेगी, और मैं समझता था कि फ्रांस की सरकार भी अधिक उदारता से काम लेगी। फ्रांस के मंत्रिमंडल के अत्यधिक अस्थिर होने के कारण, वहां की सरकार इस मामले में कोई प्रगतिशील कार्यवाही नहीं कर सकती है।

तिब्बत के विषय में हम जानना चाहते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। यदि वहां कुछ कठिनाइयां हैं तो उसका हल उच्च स्तर पर होना चाहिये और कुछ गैर सरकारी उच्च स्तर के व्यक्तियों को इस काम में लगाना चाहिये, जिस से कि कुछ अच्छा फल निकल सके और अच्छा सम्पर्क स्थापित हो सके।

वास्तव में ही पाक-अमरीकी समझौते के कारण स्थिति गम्भीर हो गई है। प्रधान आइजन हावर और अमरीका की सरकार भारतीय जनता के मनोविज्ञान को समझ नहीं सकती है। माननीय उपमंत्री कह रहे थे कि उन्हें अपना दृष्टिकोण बतलाने के लिये सब सम्भव प्रयत्न किये गये हैं।

मुझे संदेह ही है कि अमरीका की सरकार और अमरीका के लोगों को भारत के दृष्टिकोण से अवगत करा दिया गया है। उन्हें यह पता नहीं लगा कि भारत कभी किसी एकाधिकारी सत्ता के हाथों में कठपुतली बनेगा। हमारे प्रधान मंत्री और अन्य कुछ मंत्रियों ने भाषण दिये हैं और अमरीकन लोग उन्हें अपना सहयोगी सनमझते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनयिक आधार पर अमरीका के लोगों को यह बताया गया है कि भारतीय लोगों का वास्तविक विचार और अन्तरप्रवृत्ति क्या है।

हमें आशा की एक किरण दिखाई देती है कि सारे देश ने एक हो कर यह कह दिया है कि आपत्ति के समय हम मतभेद को भूल कर अपने प्रधान मंत्री और राष्ट्रीय सरकार की सहायता करेंगे। इसीलिये मैं ने कहा था कि युवकों का सैनिकीकरण करो, "यथार्थवादी बनो" "वास्तविक ढंग से परिस्थितियों का मुकाबिला करो" और "अपनी निधि में से कुछ पंच वर्षीय योजना की अपेक्षा

[डा० एन० सी० चटर्जी]

रक्षा के साधन सुदृढ़ करने पर लगा दो," ताकि देश सब प्रकार के आपात के लिये तैयार हो जाये। इस संसद् को एक आवाज़ से पाकिस्तान और विशेषत: आज की परिस्थितियों में पश्चिमी पाकिस्तान को यह बता देना चाहिये कि यदि कोई खतरा हुआ तो भारत उसका मुकाबला करके अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा।

मुझे आशा है कि पाकिस्तान में संयुक्त मोर्चा दल की जीत के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच समझौते की भावना और सहकारिता उत्पन्न होगी। वह चुनाव केवल भाषा के आधार पर नहीं अपितु आर्थिक आधारों पर लड़ा गया है और उसमें मांग की गई है कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच स्वतंत्र व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया जाये। दोनों ओर के जन समुदाय ने यह अनुभव किया है कि राजनैतिक मतभेद होते हुये भी ऐसे सांस्कृतिक, भाषा सम्बन्धी, सामाजिक और आर्थिक कारण विद्यमान हैं जो उन के पारस्परिक बंधन को दृढ़ करते हैं। मुझे आशा है कि नई व्यवस्था में दोनों ओर के राजनीतिज्ञ पारपत्र, वीज़ा और अन्य सब प्रकार के आर्थिक प्रतिबन्धों को हटा देंगे।

मुझे यह भी आशा है कि निष्कान्तों की समस्या का कुछ निबटारा हो जायेगा. जिस से लाखों लोग अभिभावित हैं। पूर्वी बंगाल के निर्वाचन में यह जीत वस्तुत: लोकतन्त्र की जीत है। पाकिस्तान के समाचार पत्रों के झूठे प्रचार के प्रत्युत्तर में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वहां के निर्वाचन में बाहर के किसी दल का अथवा संघठन का हाथ नहीं है। यह तो केवल वहां की सार्वजनिक भावना का क्रमिक विकास द्वारा उद्घाटन हुआ है। यह तो सत्ता के मद में मस्त उन सभी राजनीतिज्ञों के लिये चेतावनी है जो यह समझते हैं कि उन्हें स्थायी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

काश्मीर के सम्बन्ध में मुझे प्रसन्नता हुई है कि वहां की संविधान सभा ने लगभग उन्हीं निबन्धनों के आधार पर संकल्प पारित किया है जिन के लिये डा० मुकर्जी ने और मैंने आन्दोलन किया था। उन्होंने काश्मीर के भारत में प्रवेश को अन्तिम और अचल घोषित कर दिया है। अब पाकिस्तान को स्पष्ट कह देना चाहिये कि वे दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते कि एक ओर तो अमरीका के साथ समझौता हो और दूसरी ओर लोकमत संग्रह की मांग की जाये। उन्हें काश्मीर का लोकमत संग्रह सर्वथा भूल जाना चाहिये। अमरीका की सैनिक सहायता ले कर काश्मीर के लिये खतरा पैदा करने और साथ ही लोकमत संग्रह का विचार करने का उन्हें अधिकार नहीं है। मुझे आशा है कि इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय : श्री देवेश्वर सर्मा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य केवल उत्तरी पूर्वी सीमान्त एजेंसी के सम्बन्ध में अपनी बात कहेंगे।

श्री देवेश्वर सर्मा : उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व, मैं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं उनके प्रति अपने कर्तव्य के नाते अमरीका पाकिस्तान शस्त्र सहायता समझौते का विरोध करना आवश्यक समझता हूं। अमरीका के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह सामूहिक सुरक्षा के हेतु किया जा रहा है। अधिकांश भारतीयों का यह विश्वास है कि अमरीका अपनी पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के कारण अपनी नौकरी व्यवस्था की स्थिति

तब तक स्थिर नहीं रख सकता जब तक कहीं न कहीं युद्ध और अशान्ति न हो। हमें अपने प्रधान मंत्री के नैतृत्व और उनकी नीति पर पूर्ण विश्वास है ।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री ने व्यर्थ ही उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के विषय में गर्मी पैदा कर दी थी । मैं सभा के इस संदेह को दूर कर देना चाहता हूं कि उस प्रदेश के लोग केवल पोलिटिकल अफसरों अथवा सहायक पोलिटिकल अफसरों की कुछ नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं । माननीय उपमंत्री का तर्क उन्हीं को इस बात से व्यर्थ हो जाता है कि स्वायत्त अधिकार वाले ५ क्षेत्रों में से ४ के जिला अधिकारी आसामी नहीं हैं ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी को प्रशासनीय प्रयोजनों के लिये एक यूनिट के रूप में समझा जाता है । परन्तु उस प्रदेश के विकास और आन्तरिक प्रयोजनों के लिये उस के आस पास के क्षेत्रों की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है । वहां आकास, दफलास, नागा इत्यादि आदिम जातियों की लगभग २७ लाख की जन संख्या है ।

इस महत्वपूर्ण प्रदेश में बर्मा, चीन और भारत की सीमायें मिलती हैं । भारत को इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक समस्या यही है कि वहां के आदिवासियों की अपनी सभ्यता की अच्छाइयों को नष्ट किये बिना उन्हें आधुनिक सभ्यता के लाभों से परिचित करवाया जाये । रक्षा के सम्बन्ध में हमने, गत युद्ध में जो भारत पर आक्रमण हुआ था उससे सबक सीखा है ।

परन्तु इस प्रदेश की ओर जितना ध्यान देने की आवश्यकता है उतना ध्यान नहीं दिया जाता । इस का अभिप्राय यह नहीं कि इस प्रदेश के लिये पर्याप्त धन राशि नियत नहीं की जाती । वरन् जो बड़ी बड़ी राशियां गत वर्षों में नियत की गईं थीं या तो उनका बड़ा भाग वहां प्रयोग नहीं किया गया अथवा उन राशियों का दुरुपयोग किया गया । आसाम के राज्यपाल और उसके मंत्रणाकारों की बात जाने दीजिये, परन्तु यदि अधीक्षक इंजीनियर और चिकित्सा प्रधिकारी भी इस प्रदेश से ३५० मील की दूरी पर शिलांग में रहते हों तो वे इन क्षेत्रों की देख भाल कैसे कर सकते हैं । वहां की प्रशासन-व्यवस्था उचित न होने का यह भी एक कारण है ।

माननीय प्रधान मंत्री ने कल बताया कि टागिनों ने जो कई लोगों का वध किया और कइयों को बन्दी बनाया था उस दुखद घटना का अन्त हो गया है । हमें यह सुन कर प्रसन्नता हुई है । परन्तु यदि आसाम राइफल्स प्लेटून के मेजर को ठीक हिदायतें दी गई होतीं तो यह दुखद घटना कभी न होती । प्रधान मंत्री के वक्तव्य अथवा समाचार पत्रों से हमें इस सम्बन्ध में कुछ पता नहीं लगा ।

श्री अनिल के० चन्दा : मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि आदिम जातियों के क्षेत्रों में जाने वाले पदाधिकारियों को हमने विस्तार पूर्वक हिदायतें दी थीं ।

श्री देवेश्वर सर्मा : यह हिदायतें क्या हैं यह जानने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है ।

कुछ मास पूर्व एक सहायक पोलिटिकल अफसर ने अपने दौरे में वहां अशान्ति के कुछ चिन्ह देखे थे । तो फिर वहां भेजे गये कटक के साथ पोलिटिकल अफसर को क्यों नहीं भेजा गया ? यदि कटक के कमांडर को हिदायतें नहीं दी गईं तो कहा जा सकता है कि हमारी गुप्तचर व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है । वहां के प्रशासन में कार्य कौशल हीनता

[श्री देवेश्वर सर्मा]

के कारण उस प्रदेश के लिये नियत राशियां प्रयोग में नहीं लाई जातीं।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के लिये नई व्यवस्था की स्थापना के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार उस प्रदेश के भूगोल और इतिहास की अवहेलना करे तो यह बुद्धिमता का कार्य नहीं होगा। यह प्रदेश आसाम के मैदानी इलाके की सीमा पर स्थित है। इतिहास के अनुसार वहां के लोगों के साथ मैदान के लोगों का बहुत अच्छा सम्बन्ध रहा है। वे अब भी टूटी फूटी आसामी भाषा बोलते हैं। ब्रिटिश राज्य से पूर्व लगभग ६०० वर्ष के लिये आसाम के नरेशों का उन लोगों के साथ व्यापार, वाणिज्य और राजनीति के सम्बन्ध रहे हैं। परन्तु अब नई व्यवस्था का निर्माण करके वहां के लोगों को मैदान के लोगों से पृथक किया जा रहा है। आसाम प्रदेश कांग्रेस और आसाम के लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं क्योंकि इससे आसाम उस क्षेत्र के उचित विकास में सहायता नहीं दे सकेगा। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पंडित फतेदार : आज जब कि विश्व में तनाव बढ़ रहा है और घटनायें इस तेजी से रूप धारण कर रही हैं कि वे हमें कुछ करने के लिये चेतावनी दे रही हैं। हमें विदेशी नीति की चर्चा करते हुये साधारण और विभिन्न प्रकार की बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। निस्संदेह हमारी विदेशी नीति गुटबन्दी में न मिलने की है। हमें इस नीति पर पूर्ण विश्वास है। इसी नीति के फलस्वरूप युद्ध-पीड़ित विश्व और भयभीत मानवता की दृष्टि भारत पर लगी हुई है। वे केवल यहां की आशा की किरण का प्रकाश देखते हैं।

इसलिये मैं श्री चटर्जी और सरदार हुक्म सिंह की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी विदेशी नीति असफल हुई है। वरन् इस नीति के फलस्वरूप विश्व के अन्य देशों को पता लग गया है कि इस महाद्वीप में एक महान राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। उन्होंने यह अनुभव किया है कि भारत एक ऐसी शक्ति बन जायेगा जो संभवतः पश्चिम के देशों के लिये खतरे का कारण होगी। पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने में इसी प्रकार के भय का प्रदर्शन हुआ है। मुझे खेद है कि अमरीका जैसा लोकतंत्र इस प्रकार की नीति को अपना रहा है। संभवतः वह भारत को झुकाना चाहता है। परन्तु भारत की अपनी स्वतंत्र नीति है, वह किसी अन्य नीति को नहीं अपनायेगा और न ही किसी के आगे झुकेगा। गत सात वर्ष से अमरीका व्यापार के आधार पर भी भारत अथवा पाकिस्तान को शस्त्र नहीं देता था। उसका तर्क यह था कि भारत और पाकिस्तान में पारस्परिक युद्ध है इसलिये शस्त्र नहीं दिये जा सकते। परन्तु आज अमरीका ने अकस्मात अपनी नीति बदल दी है। यह सर्वथा नैतिकता के विरुद्ध है। जब हमने सैनिक सहायता का दृढ़ विरोध किया तो पाकिस्तान और अमरीका यही कहते रहे थे कि यह समझौता इतना ही साधारण है कि जितना हमारा आर्थिक सहायता लेना है। श्री राबर्टसन ने कहा कि हम इस सहायता द्वारा पाकिस्तान पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। परन्तु पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान स्वतंत्र देश है और इस सहायता से वह किसी पाशबन्धन में नहीं फंसेगा। श्री एलन कहते हैं कि प्रत्यक्ष सैनिक सहायता देने से अमरीका पाकिस्तान की कार्यविधि पर नियंत्रण रख सकता है। श्री आइजन होवर ने हमारे प्रधान मंत्री को जो पत्र लिखा है उस में उन्होंने

स्पष्ट कहा है कि यदि पाकिस्तान ने इस सहायता को भारत पर आक्रमण करने में प्रयोग किया तो अमरीका अपनी पूरी शक्ति से ऐसी कोई कार्यवाही दबायेगा। यह तभी हो सकता है कि जब कोई देश परतन्त्रता की स्थिति में हो। हमें यह भय है कि इससे तनाव बढ़ेगा और औपनिवेशिकता का पुनर्जन्म होगा।

काश्मीर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर की संविधान सभा ने जो भारत से अन्तिम मेल का निश्चय किया है, इस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। अब यदि उन के इस निर्णय के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई तो वह उसे लोकतन्त्रात्मक संस्था की प्रभुता और पवित्रता का उल्लंघन होगी। हम काश्मीरी जीवन का बलिदान दे कर उसका विरोध करेंगे। काश्मीरियों ने भारत के सारे राष्ट्र की तरह काश्मीर में अमरीकन प्रेक्षकों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की घोषणा की सराहना की है। ऐसा निश्चय बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा न किया गया तो कुछ शरारती अंशों को काश्मीर की राजनैतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करनें और वहां अशान्ति फैलाने का अवसर मिलेगा।

मैं पुनः अनुदान की मांगों और भारत की विदेशी नीति का समर्थन करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : वैदेशिक कार्य संबंधी वादविवाद के संबंध में श्री जयपाल सिंह द्वारा परसों और श्री फ्रेंक एन्थनी द्वारा कल दिये गये भाषणों को सुन कर मुझे बहुत दुःख हुआ। इन दोनों सज्जनों के वक्तव्यों से केवल इस देश के शत्रुओं की ही सराहना होती है। श्री जयपाल सिंह ने पाक-अमरीकी समझौते का स्वागत किया और श्री फ्रेंक एन्थनी ने कहा कि भारत सरकार भारत में साम्यवाद की सब से बड़ी प्रचारक है। कदाचित उनका सुझाव यह है कि हम लोग लद्दाख के मार्ग से रूसी या चीनी सेनाओं को पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिये या ऐसी कोई चीज करने के लिये आमंत्रण कर रहे हैं। ये बड़े ही खतरनाक और शरारत भरे वक्तव्य हैं जिन से इस देश की राष्ट्रीय एकता को भारी खतरा पहुंच सकता है। इसीलिये पहली मार्च को जब माननीय सदन नेता नेअपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था, तो मैंने तत्काल ही कहा था कि वह क्रम पत्र में एक प्रस्ताव रखें और उसके पूर्ण एवं एकमत समर्थन की मांग करें। मुझे कहना पड़ता है कि मेरे उक्त माननीय मित्रों ने बिना सोचे समझे ये बातें कही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन नेता ने कल यह बात कही कि वह बाद में वैदेशिक कार्य सम्बन्धी एक वाद विवाद करन के लिये तैयार हैं।

पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक-सहायता और प्रस्तावित पाक-तुर्की समझौते के सम्बन्ध में अमरीका के कई नेताओं नें बहुत सफाई दी है। अमरीकी राष्ट्रपति आइजन हावर ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि अमरीका पाकिस्तान द्वारा इस सैनिक सहायता के भारत के विरुद्ध प्रयोग किये जाने को रोकन के लिये कुछ भी उठा न रखेगा। ऐसे ही आश्वासन राष्ट्रपति आइजन हावर से पूर्व जनरल च्यांग काई शक और डा० सिगमैनरी को दी गई सहायता के सम्बन्ध में भी दिये गये थे। परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि वे आश्वासन खोखले सिद्ध हुये हैं।

कल के समाचार पत्रों में एक समाचार छपा था जिस में बताया गया था कि बम्बई में दिये गये एक वक्तव्य में भारत स्थित अमरीकी राजदूत, श्री एलेन, न यह कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान को इस बात की शपथ दिला दी है कि वह दी जान वाली इस सैनिक सहायता

[डा० लंकासुन्दरम्]

का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं करेगा । यह एक अजीब हास्यास्पद दलील है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये । यदि ऐसी कोई बात है भी, तो मैं यह कभी नहीं मान सकता कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इस आश्वासन को निबाह सकते हैं । क्या अमरीका ने पूर्व पाकिस्तान में अभी हाल में हुई क्रान्ति को नहीं देखा है ? क्या उसने उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश की घटनाओं, बादशाह खां और सिंध तथा बिलोचिस्तान के माने हुये प्रवक्ताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों का अर्थ समझा है ? इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि ऐसा कोई आश्वासन चाहे वह शपथ लेकर ही क्यों न दिया गया हो—पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकता है । इन बातों पर हमें विचार करना चाहिये था ।

दो या तीन बातों से अमरीका के इरादों का पता चल जाता है । अमरीकी लोग और वहां का प्रेस भारत को रूसी कठपुतली बता कर सदैव बदनाम करने का प्रयत्न क्यों करते हैं ? वे लोग नेहरू जी पर साम्यवादियों का हमराही होने का आरोप लगा कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं ? ऐसी सारी बातें गलत और झूठी हैं । मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि कुछ देश भारत में भी ईराक और पाकिस्तान की तरह अपनी कठपुतलियों को तैयार करने का षड़यंत्र रच रहे हैं । मैं सम्बन्धित विदेशी शक्तियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि भारत ऐसी कार्यवाहियों को सहन नहीं करेग ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले सात वर्षों से अमरीका काश्मीर के मामले में ब्रिटिश नीति का शिकार बना रहा है । यदि वास्तव में अमरीका भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है और उसके हमारे प्रति शान्तिपूर्ण इरादे हैं, तो फिर वह काश्मीर के इस प्रश्न को हल क्यों नहीं करता है ? वह अभी कुछ दिनों के लिये अपनी सहायता रोक सकता है । वह पाण्डीचेरी और गोआ सम्बन्धी प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है ? अमरीकी इरादों की यही कसौटी है । जब तक ये वाद विषय हल नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति आइज़न हावर, एलेन तथा अन्य अमरीकियों की सारी दलीलें निरर्थक सिद्ध होंगी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सभापति जी, कल से हमारी वैदेशिक नीति पर यहां बहस चल रही है । उस को कुछ मैंने खुद सुना और कुछ मुझे सुनाया गया ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

और मैं ने सोचा कि इस बड़े मज़मून पर कहां तक हमारी निगाहें पूरी तस्वीर की तरफ़ हैं और कहां तक उस के इधर उधर एक छोटे कोने पर अक्सर बातें कही गईं जो कि ज़रूरी हैं और माक़ूल हैं ....

श्री पुन्नूस : यदि वह अपने भाषण का सार अंग्रेज़ी में देने की कृपा करें तो अच्छा है, अन्यथा हम लोगों का यहां पर रहना व्यर्थ है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को याद होगा कि कल मैंने अंग्रेज़ी में बोला था । मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि यदि कोई खास बात हो तो वह माननीय सदस्य को भी मालूम हो । इस के अतिरिक्त समाचार पत्रों के द्वारा भी मेरे मित्रों को सारी बातें मालूम हो सकेंगी । मैं किसी क़दर आप का मशकूर हूं कि छोटी छोटी बातों का ज़िक्र कर के आप ने उधर ध्यान दिलाया या पूरी तस्वीर की तरफ़ ध्यान दिलाया । बाक़या यह है कि जब से हम आज़ाद हुए हम भी इस दुनिया के बड़े तमाशे में एक खिलाड़ी हो गये हैं ।

उस के पहले हम तमाशबीनों में थे, देखा करते थे और अपनी राय देते थे, इधर या उधर। अब भी राय देते हैं, ज़ाहिर है! लेकिन अब फर्क हो गया है क्योंकि हम खुद थियेटर के स्टेज पर आ गये हैं और लोग अभी हमारे खेल को देखते हैं, हमारे मुल्क के और दूसरे मुल्कों के। और आप जानते हैं कि ज़माना ऐसा है कि दुनिया में अजीब खतरनाक खेल हो रहे हैं। मालूम नहीं कि उन का नतीजा क्या हो और असर क्या हो। बार बार मैं ने आप से कहा और याद दिलाया कि हमारे हाथ में एक बड़ा मुल्क है, हमें अपने मुल्क पर ग़रूर है। लेकिन आखिर में हमारे हाथ में कोई दुनिया की क़िस्मत का फ़ैसला करना नहीं है और यह बात समझना कि हम उस को उलट पुलट कर सकते हैं अपने को धोखा देना है। हो सकता है कि हम कभी कभी तराज़ू को इधर या उधर झुका सकें और उस से भी कुछ न कुछ फर्क हो जाय जबकि तराज़ू में दोनों तरफ बराबर वज़न हो। बहरसूरत, फ़र्क़ हो या न हो, हमें तो इस बात की कोशिश करनी है कि हम अपनी राय में सही रास्ते पर चलें।

कहा जाता है कि हमारी वैदेशिक नीति न्यूट्रेलिटी की या निरपेक्षिता की है। यह शब्द बहुत अच्छा तर्जुमा नहीं है, इसलिये मैंने दोनों शब्द कह दिये। यह अनुवाद है इम्पारशियेलिटी का जो कि एक दूसरी चीज़ है। लेकिन मैंने यह भी कहा है कि यह सही नहीं है। यह शब्द तभी काम में आता है जबकि दो मुल्क लड़ाई लड़ रहे हों और तीसरा मुल्क उस से अलग हो। इस शब्द के प्रयोग से ही मालूम होता है कि लोगों के दिमाग़ में सिवाय लड़ाई के और कोई बात आती नहीं है। हमारी नीति तो खाली यह है कि जो हम किसी समय उचित समझें उस को करें और किसी दूसरे के दबाव में आ कर दूसरी बात न करें। यह नीति है। इस को आप निरपेक्षिता कहिये या कुछ भी कहिये। मैं तो उस को कहूंगा एक स्वतंत्र और आज़ाद नीति और कुछ नहीं। उस में यह हो सकता है कि कभी किसी नीति का साथ देना और कभी किसी नीति से अलग रहना, कभी अपनी तरफ से कुछ कहना। अब अपनी तरफ़ से कहना तो बहुत ठीक है। लेकिन किसी देश का इस तरह से काम चलाना कि वह सारी दुनिया से अलग हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ है, यह भी कुछ ठीक नहीं है। दुनिया के कारबार से कुछ सम्बन्ध तो होना चाहिये और वाक़यात को देख कर अपनी नीति को भी झुकाना चाहिये नहीं तो वह एक हवाई नीति हो जाती है। अब इस सम्बन्ध में मोटी बात यह है कि दुनिया में दो बहुत ताक़तवर और बड़े देश हैं जिन को आप जानते हैं और उन में एक दूसरे से यह कहना कि मित्रता नहीं है, यह कमज़ोर शब्द है, अजीब शक है। दुश्मनी की नज़र से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे से डर है और एक दूसरे के खिलाफ़ तैयारी है। मैं इस में नहीं जाना चाहता हालांकि इस में बहस हो सकती है कि कहां कौन सही है और कहां कौन ग़लत है। यह बहस दूसरी है। लेकिन जो बात हमें समझनी है वह यह है कि सही या ग़लत दो बड़ी ताक़तें एक दूसरे के खिलाफ़ हैं और एक दूसरे से डरती हैं और एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ाई की तैयारी करती हैं, और अजीब हालत यह होती है कि हर एक कहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं दूसरे के हमले से अपने को बचाने के लिए। और उस तैयारी का नतीजा यह होता है कि दूसरा समझता है कि यह हमला करने के लिये तैयारी कर रहा है। दोनों तरफ यही बात है और दोनों को डर है। वह कहते हैं कि देखो वह बढ़ते आते हैं, कुछ खुल्लमखुल्ला, कुछ खुफिया

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जासूसों के ज़रिये से बढ़ते हैं, गड़बड़ पैदा करने के लिये। दूसरे कहते हैं कि नक्शा देख लो, हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हमारे चारों तरफ एटम बम वगैरह फेंकने के लिये अड्डे बना लिये हैं और हम खतरे में हैं। तो दोनों के दिलों में यह ख्याल है कि हम खतरे में हैं और दूसरा फ़रीक़ हमें खत्म करने की तैयारी कर रहा है और इस डर से वह तैयारी दोनों तरफ़ बढ़ती जाती है। नतीजा यह होता है कि तराज़ू दोनों तरफ़ क़रीब क़रीब बराबर होती है, या इधर उधर थोड़ा बहुत कमोबेश हो और हलके हलके दोनों खतरे की तरफ़ बढ़ते हैं। तो इस तरह से लड़ाई का खतरा बढ़ता है। आज-कल की लड़ाई एक अजीबोग़रीब चीज़ जिस का मुक़ाबला नहीं हो सकता। आप ने देखा होगा कि चन्द दिन हुए कि बिकिनी टापू पर एटम बाम्ब या हाइड्रोजन बम छोड़ा गया था और उस का असर लोगों पर ५०० मील के फासले पर पड़ा, फ़ौरन नहीं बल्कि चार दिन बाद असर पड़ा और ५०० मील के फ़ासले पर कुछ लोग बीमार हो गये और कुछ अन्धे हो गये। तो हालत यह है कि ऐसे शस्त्र निकले हैं जो हज़ारों को इस तरह से तबाह कर सकते हैं।

हमारे दोस्त डा० खरे फ़ौजी बातें करते हैं और श्री चटर्जी कहते हैं कि पांच बरस का नक्शा बन्द कर के तुम अपने मुल्क की हिफ़ाज़त की फ़िक्र करो। सही बात है। मुल्क की हिफ़ाज़त तो पहली चीज़ है अगर मुल्क की हिफ़ाज़त न रही तो पांच बरस का नक्शा कहां रहेगा। लेकिन मुल्क की हिफाज़त कैसे हो? फर्ज़ कीजिये कि एटम बम का खतरा है, तो उस से हम और आप कैसे बच सकते हैं। हम किसी ऐसे शस्त्र से नहीं बच सकते। चाहे हमारे पास भी एटम बम हो तो भी हम उस से नहीं बच सकते। हम उस से दूसरे को बरबाद कर सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं बच सकते। हां इस के मानी यह नहीं हैं कि हम अपनी हिफाज़त न करें। गवर्नमेंट का काम है कि वह मुल्क की हिफाज़त का इन्तिज़ाम करे। आखिर ऐसे मौके पर बुनियादी हिफाज़त दो तरीके से हो सकती है। एक तो इस तरह से कि मुल्क का दिल तगड़ा हो, मुल्क में एकता हो, दूसरे इस तरह से कि मुल्क की आर्थिक शक्ति बढ़े क्योंकि उसी से और सिर्फ़ उसी से हमारी फ़ौजी शक्ति बढ़ सकती है। हवा में फ़ौजी शक्ति नहीं बढ़ती है। हम बड़ा ज़ोर लगाते हैं और इस वक्त और किसी दूसरे मुल्क से बहुत से हवाई जहाज़ ख़रीद लेते हैं, जैसा कि हम करते हैं। इस से थोड़े दिन के लिये हमारे पास हवाई जहाज़ हो जाते हैं। लेकिन असली शक्ति तो तब बढ़ती है जबकि हम खुद पैदा करें। हम अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ायें, हम अपने शस्त्रों को स्वयं पैदा करने की शक्ति बढ़ायें, उसी से देश की बुनियादी ताकत बढ़ती है।

यह भी कहेंगे कि यह भी एक ताक़त है कि हम दूसरे से फ़ौज मंगा लें, लड़ने के लिये। उस को भी ताक़त कहेंगे। यह ताक़त नहीं है। जब दूसरों पर छोड़ दिया तो वह तो हमारी आज़ादी नहीं रही। वह तो उस के हाथ में चली गई। हमारी आज़ादी दूसरे मुल्क के हाथ में चली गई। हम दूसरे मुल्क पर हथियारों वग़ैरह के लिये भी भरोसा करें, जोकि अभी हम को मजबूरी दरजे पर करना पड़ता है, वह भी कुछ आज़ादी को कम कर देता है। खैर, वह लाचारी है, हम को कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन आखिर में मुल्क की ताक़त बढ़ाने के लिये वही तरीक़ा है कि हम मुल्क की आर्थिक शक्ति, इक्तसादी शक्ति और उस से जो

बातें निकलती हैं, जिस में शस्त्र बनाना भी है, कारखाने वग़ैरह हों, वह सब बातें उस से क्यों बढ़ें। यही एक तरीक़ा है। चुनांचे पांच वर्ष के नक्शे को, योजना को, बदलें उधर कहीं बढ़ायें, कहीं घटायें, लेकिन बुनियादी चीज़ वही है, मुल्क की ताक़त बढ़ाने के लिये जो मैंने अभी कहा है।

एक बात इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर दूं। डाक्टर खरे ने एक बात कही। वह कोशिश भी नहीं करते कि बहुत ज़िम्मेदारी की बातें करें। लेकिन उन्होंने बाज़ बातें ऐसी कहीं जिन से मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ, यानी हमारी फ़ौज की निस्बत कहा कि गोया हम अपनी फ़ौज को निकम्मी समझते हैं या उस की काफ़ी क़द्र नहीं करते। यह तो एक अजीब बात है। मुझे तो, जो हमारी फ़ौज में नौजवान हैं, या जो हवाई जहाज में काम करते हैं, समुद्री जहाज़ों पर काम करते हैं, उन से बहुत मिलने का मौक़ा रहता है और मुझे उनका बहुत ग़रूर है, वह बहुत अच्छे तगड़े हैं। खाली तगड़े ही नही हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि लियाक़त में भी वह किसी और ऐसे अपने फौजी अफसरों का या जवानों का मुक़ाबिला दुनिया में कर सकते हैं। यह बात है, लेकिन वाक़या यह है कि हमारा मुल्क दूसरी बातों में पिछड़ा हुआ है, आदमियों में नहीं, बल्कि औज़ारों में, हथियारों में, इंडस्ट्री में, इस तरह की बातों में पिछड़ा हुआ है। वह इन बातों में बड़े बड़े मुल्कों का मुक़ाबला नहीं कर सकता। हमें उसे आगे ले जाना है, लेकिन यह एक-दम से नहीं हो सकता। हलके हलके इमारत खड़ी होगी। इसीलिये यह जो सवाल उठते हैं कि हम उधर ज्यादा तवज्जह दे या आरज़ी तौर पर दिखाने के लिये हम कुछ बन्दूक तलवार वग़ैरह से आदमी खड़े कर दें, तो आजकल के जमानें में यह चीज़ें मुल्क को बहुत दूर तक नहीं ले जातीं।

डाक्टर खरे ने कुछ नान वायलैन्स और अहिंसा की चर्चा की। अब मैं इस के बारे में क्या अर्ज करूं? लेकिन मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि मेरा यह विश्वास है कि अगर हम में रास्ते से चलने के लिये पूरे तौर से दम होता तो हमको कोई हरा नहीं सकता था। यहां हम से मेरा मतलब सारे मुल्क से है। आखिर में कोई गवर्नमेंट या कोई पार्लियामेंट महज़ एक कानून बना कर या रिज़ोल्यूशन पास करके करोड़ों आदमियों के दिल व दिमाग़ को नहीं बदल सकती है। हमें जो सफ़र करना है उसमें हमें और आपको कहीं किसी मंज़िल पर नहीं पहुच जाना है, बल्कि करोड़ों आदमियों को साथ ले कर चलना है। हम सब इसमें हमसफ़र है। मुल्क में जितने आदमी है उन में अहिंसा के रास्ते पर चलने की जितनी ताक़त है उतना ही चल सकते हैं। वरना सब हवाई बातें हो जाती हैं और हिमालय के पहाड़ पर अलग से बैठ कर बात करने की सी हालत हो जाती है

इसीलिये हम फ़ौज रखते हैं। लेकिन फ़ौज रखते हुये भी हम खाली फ़ौज पर भरोसा नहीं करते, और बातों पर भी करते हैं और बातों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पिछला ज़माना बीस तीस वर्ष का गुज़रा है उस ने हमें यह सब सिखाया है। और अब आखिर में आज वह ज़माना आ गया है कि कोई भी दानिशमन्द आदमी, वह अहिंसा को माने या न माने, कोई भी दानिशमन्द आदमी, समझदार आदमी, देख सकता है कि अब लड़ाई के माने कोई ज़ाती ताक़त के नहीं है, तबाही के माने हैं। लड़ाई के जब यह माने निकल आये तो मजबूरी से, कोई चाहे या न चाहे, लेकिन मजबूरी से भी सोचना पड़ता है कि कोई इस तरह का रास्ता निकल आय।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बाज़ साहबान ने, मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन मैं ने सुना, कि श्री एन्थनी साहब ने और एक आधे और मेम्बर ने इस बात को ज़ोरों से कहा कि हम बहुत कहते हैं कि हम बीच में हैं, लेकिन वाक़या यह है कि हम एक तरफ, यानी साम्यवादी दुनिया की तरफ बहुत झुकते हैं और उसका प्रचार करते हैं, खैर, यह तो जिस ढंग से उन्होंने कहा, वह तो एक बहुत ज़िम्मेवारी की बात नहीं थी, लेकिन म चाहता हूं कि आप इसको सोचें। अभी मेरे दोस्त डा० लंकासुन्दरम् ने इस बारे में कुछ कहा। मैं चाहता हूं कि आप इसको सोचें और देखें कि इसके माने क्या हैं और यह दिमाग़ क्या है जिस से इस किस्म की बात निकलती है। यह तो आजकल एक बेमानी सी बात है कि हम बहस करें कि क्या सिद्धांत हैं साम्यवाद का और जो दूसरे वाद हैं उनका। इस वक्त आज तो इसका मौका नहीं है। लेकिन हमारी राय या है? अव्वल तो हमारी राय है कि नहीं, इसको छोड़ कर साफ़ बात है कि जिस रास्ते पर हम चलना चाहें, या हमारा देश चलना चाहे, पार्लियामेंट चलना चाहे, उस रास्ते पर हम अपनी राय से चलें, न कि दूसरे के कहने से या दबाव से। पहली बात तो यह है। अगर हम साम्यवाद के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हम चलेंगे, किसी के रोकने से तो नहीं रुकेंगे, या किसी की धमकी से नहीं रुकेंगे। अगर नहीं चलना चाहते हैं तो नहीं चलेंगे, किसी की धमकी हो या दबाव हो। हम खुद इसका फैसला करेंगे। मैं इस वक्त आर्थिक बातों के लिये कह रहा हूं। आर्थिक नीति जो हमारी है उसको हम कोई इस तरह से नहीं देखते कि जैसे कोई शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ है, जिसकी कोई आदमी निन्दा नहीं कर सकता, कोई उसकी नुक्ताचीनी नहीं कर सकता, बस उसी रास्ते पर पत्थर की लकीर बना कर चलना। जैसी हमारे मुल्क की हालत है, जैसी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी अक्ल जाती है, उस रास्ते से हम चलेंगे। उस रास्ते को जब हम चाहेंगे बदलेंगे और चलेंगे।

और लोग जो इन बातों की चर्चा करते हैं वह इस ढंग से नहीं करते, बल्कि इस ढंग से करते हैं कि इस शास्त्र को मानों या दूसरे शास्त्र को मानो। अब वह शास्त्र चाहे अमेरिका का हो या रूस का हो, जब दोनों तरफ़ से शास्त्र आते हैं, और यहां अब और मानो में भी वह शास्त्र आते हैं, तो हम इन नये शास्त्रों को अपने शास्त्रों से अलग हो कर पकड़ें, एक नये बोझे को पकड़ें, तो यह सही बात मुझे मालूम नहीं होती। तो यह बात है, नीति में मैं नहीं जाता। ज़ाहिर है कि जिस नीति पर हम चल रहे ह कुछ इसका ज़िक्र हमारे विधान में लिखा है, कुछ यह नीति हमारे रोज़मर्रा के काम में पार्लियामेंट के सामने आती है। अगर पार्लियामट चाहेगी तो उसको बदलेगी, सोच विचार कर उसको कुछ बदलना चाहेगी तो बदलेगी। तो यह तो एक तरह से हुई बात राजनीतिक तौर पर। अब जो आर्थिक बात है उसमें आपकी राय हो सकती है कि वह एक तरफ़ ज्यादा बढ़ना चाहिये या कम बढ़ना चाहिये। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, यह उसका मौक़ा नहीं है। दूसरे मौक़े हो सकते हैं। लेकिन हमें इस को निश्चय करना है कि हम किधर जायें।

अब यहां पर मैं एक बात आपको और भी कह दूं। आखिर में वह आर्थिक नीति हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में चलेगी, जिस से कि दुनिया का लाभ होता है। यही उसका एक इम्तहान है। आप बहसें चाहे जितनी कर लीजिए, शास्त्रार्थ कितना ही कीजिये, लेकिन जिससे जनता को लाभ

होगा आखिर में वही चलेगी। लाभ नहीं होगा तो जनता उस को छोड़ेगी, दूसरी को लेगी। सीधी बात है। तो यह तो आर्थिक बात हुई।

लेकिन यहां पर अब दूसरी बात हो सकती है कि जब यह सवाल उठता है कि साम्यवादी देश और जो उसके विरोध में देश हैं, जब इस तरह से सवाल उठता है तो फिर वह आर्थिक नहीं रहता है, वह सवाल राजनीतिक हो जाता है या और किसी ढंग का हो जाता है। इस वक्त दुनिया में दो बहुत ज़बरदस्त आलीशान मुल्क हो गये हैं। अब मैं इस में नहीं पड़ना चाहता कि मेरी क्या राय हो या आपकी क्या राय हो कि हम बैठ कर इसको बुरा कहें या उसको बुरा कहें या इसको अच्छा कहें या उसको। यह दूसरी बात है। लेकिन उन के इतने बड़े हो जाने से और इतनी ज़बरस्दत ताक़त रखने से अलावा नीति के, साम्यवाद की हो या उस की विरोधी हो, अलावा नीति के कुछ और माने हो गये हैं। उन का एक दूसरे का दुनियां के मैदान में मुक़ाबला हो गया है। जब बड़ी ताक़तों का मुक़ाबला है तो वह चाहती है और मुल्कों को घेर कर अपनी अपनी ताक़त को बढ़ाना। तो उसमें उनका यह चाहना गलत बात नहीं है। अब उसे घेर कर अपनी ताक़त बढ़ाने में फिर दबाव भी चलता है और तरह तरह की और बातें भी होती हैं। घेर कर लाने में लालच भी देते हैं और सब तरह की बातें होती हैं, डराना भी, दबाना भी और लालच भी। इस तरह से और मुल्कों को अपने दायरे में ले आने की कोशिश होती है।

अब इस मामले में और मुल्क चाहे बड़े मुल्क भी, क्यों न हों, इस वक्त किसी मुल्क की बड़े से बड़े मुल्क की, असल में कोई खास गिनती इन दो के मुक़ाबले में ताक़त के लिहाज़ से नहीं हैं। लियाक़त के हिसाब से गिनती हो, लेकिन ताक़त के हिसाब से क्या गिनती है? चुनाचे नतीजा यह हो रहा है कि छोटे मुल्कों की कुछ भी राय हो हलके हलके वह इधर या उधर खिसकते जाते हैं। इस में कोई बहुत ज्यादा साम्यवाद की चर्चा नहीं है, इस में और ही बातें हैं। साम्यवाद की इस वक्त बात नहीं है। दुनिया में जब भी इस तरह की बातें होती हैं, दो बड़े मुल्कों का मुक़ाबला होता है तो यह हालत हो जाती है। इस को आप देखिये।

इस सिलसिले में एक दूसरी बात और देखिये कि लड़ाई के तरीके आजकल क्या हो गये हैं, यानी यह एटामिक बम्ब वग़ैरह। इसका नतीजा यह निकलता है कि अगर यह सिलसिला चलता गया तो यक़ीनन आधी दुनिया या एक तिहाई दुनिया को बिल्कुल तबाह करने की और नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जायेगी। और शस्त्र ऐसे हैं बाकी बची हुई दुनिया पर असर पड़ेगा, तब हम और आप इस बहस में पड़ें कि कौन अच्छा और कौन बुरा, हम पड़ सकते हैं, लेकिन इस से असली मक़सद पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। अगर उन में से किसी फ़रीक़ ने भी यह तय कर लिया है कि दूसरे को बिल्कुल खत्म कर देना है तभी अमन होगा, तब या तो आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। यानी स्वीकार करने के माने यह हैं कि हम मंजूर कर लें कि कोई रास्ता नहीं है सिवा बड़ी लड़ाई के। अगर आप इसे नहीं मंजूर करते, और अगर आप समझते हैं कि बड़ी लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा बल्कि और तबाही आयेगी, तब और रास्ता ढूंढना पड़ता है उन से निकलने के लिये, और हर बड़ी लड़ाई को रोकने के लिये। यह सवाल आता है। फिर एक दूसरे की तरफदारी और एक दूसरे की शिकायत करना

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बेमानी हो जाता है, इसलिये जो नीति हमने रखी है, वह बुराई भलाई करने की नहीं, बल्कि जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि वह लड़ाई की तरफ ले जाती हैं, उन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की, चाहे वह कोई भी हो, और जो चीज़ें आजकल की तनातनी को कम करती हैं उनकी तरफ अपना वज़न डालना यह नीति लड़ाई को रोकने की होगी, और इस सिलसिले में जो कुछ आय उसके घेरे में, उस पर हम चलते हैं। जहां तक मुमकिन होता है हम मुल्कों को बुरा भला नहीं कहते।

एक बात और कि और मुल्कों म जो कुछ होता है, बहुत सारी बातें होती है जो हमें पसन्द नहीं हैं। बाज़ पसन्द भी ह, उन पर भी हम बहुत ज्यादा राय नहीं देते क्योंकि मुश्किल यह हो गई है कि यह बड़े बड़े मुल्क और उनके साथी इस क़दर गुस्से में ह कि एक दूसरे से वह किसी बहस को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं और अगर आप उनको समझायें, आप उन को बुरा भला कह कर समझायें, तो आप उन को और चिढ़ाते हैं। नतीजा हासिल नहीं होता। आखिर हम नतीजा चाहते हैं या अपने दिल को ठंडा करना चाहते हैं ज़ोरी आवाज़ करके। मुमकिन है कि इस से दिल ठंडा हो, लेकिन अगर हम नतीजा चाहते हैं और यह चाहते हैंकि वह दूसरों पर असर डालें, तो बहतर यह है कि हम अपनी राय न दें और शान्ति के तरीक़े से असर डालने की कोशिश करें। इसलिये बहुत सारी बातें दुनिया में है, हम उन पर राय नहीं देते हैं। कभी कभी राय देते हैं लेकिन ज्यादा नहीं देते हैं। अक्सर शिकायत आती है कि यह कोलोनियलिज्म ग़लत चीज़ है। वह अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत ज़माने से हमारी राय है कि कोलोनियलिज्म ग़लत चीज़ है। हम अपनी राय देते हैं और हर तरह से देते ह, कभी कभी खुल्लमखुल्ला और कभी कभी और तरह से भी दिया करते हैं। लेकिन एक एक सवाल को लेकर एक बड़ा आन्दोलन उठायें, यह हम नहीं करते। हां, पब्लिक उठायें अगर उचित समझें। क्यों? हमें कुछ नतीज़ा हासिल करना है या महज़ आन्दोलन उठा कर हुल्लड़ उठाना है? बाज़ बातों पर आन्दोलन उठ सकता है, जब किसी बात का हम पर सीधा असर पड़ता है तो हम खामोश नहीं रहते। कोई बात योरुप में हो, या एशिया के किसी दूसरे हिस्से में हो तो हम राय देते हैं, लेकिन ऐसे देते हैं जैसे गवर्नमेंट दिया करती हैं, अपने राजदूतों के जरिये से या अपनी पार्लियामेंट के जरिये से लेकिन आजाद राय होती है और जहां तक हो सकता है धीमी आवाज से देते हैं, चिढ़ाने की आवाज़ से नहीं बल्कि समझाने की आवाज मे। लेकिन अगर किसी बात का हम पर सीधा असर पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है कि हमारी जिम्मेदारी होती ह कुछ न कुछ करने की। इसलिये जब ऐसे मसले उठते हैं, मसलन अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को फ़ौजी मदद दी गई, तो वह हमारे लिये एक दूर की चीज़ नहीं हुई, वह एक चीज हो गई जिसका असर हम पर पड़ता है, हमारी सारी नीति पर पड़ता है, एशिया पर पड़ता है, तमाम बातों पर पड़ता है, जिसका ज़िक्र आप के सामने हो चुका है। इसलिये इस बात को हमने ज्यादा ज़ोरों से, ज्यादा सफाई से कह क्योंकि इस मामले में हम मुत्तला हो गये हम तमाशबीन नहीं रहे। इस तरह से इन्डोचाइना है, बाज़ मेम्बरान ने कहा कि हम उस पर काफ़ी ज़ोरों से नहीं कहते और ढील हमने दे दी। बात सही है, लेकिन हम उसको ज्यादा गुल शोर मचा कर कहें तो इससे वहां कोई सीज़ फायर तो हो नहीं जायेगी, लड़ाई तो रुक नहीं जायेगी।

हम ने गुस्से से नहीं बल्कि धीरे से, समझ कर, उनको एक सलाह दी कि इस मौके पर सीज़ फायर होना चाहिये। हम इसम न कोई नेकनामी हासिल करना चाहते हैं और न दखल देना चाहते हैं, लेकिन जब ज़ोर ज्यादा हो जाता है, जब इस तरह से मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों, तब कोई भी कोई बात स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, लेकिन अगर कोई दूसरा एक इशारा कर दे तो इस से लाभ होता सकता है, यह समझ कर हम ने इशारा किया, फिर भी हम इशारा करेंगे, अगर मौका हुआ तो। लेकिन हम इस के लिये एक आन्दोलन उठायें कि इण्डोचाइना में सीज़ फायर हो, यह बेमानी बात है। हम वहां थोड़ ही लड़ रहे हैं कि हम आन्दोलन उठायें कि वहां दोंनों फ़रीक़ों का क्या हो। इस ढंग से आप सवालों को देखें जो दुनिया के सवाल है, और यह बात हमेशा याद रखिये कि हालत यह हो गई है कि जो कदम एक मुल्क उठाता है अपनी हिफाजत के लिये तो दूसरा यह समझता है कि यह हमले के लिय है, और जब दूसरा अपनी हिफाजत के लिय कदम उठाता है तो पहला समझता है कि वह हमले के लिये है। यह पेच पड़ गया है।

इस नुक्ते से जो यह अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को मदद देने का इक़रार हुआ है, वह कदम हमें एसा नज़र आया—कहा गया, और गालिबन ईमानदारी से कहा गया, हम किसी की नियत में शक नहीं करते, कि हम अपनी हिफाजत के लिये कर रहे हैं, मान लीजिये कि ईमानदारी से कहा गया, लेकिन इसका असर दूसरा हुआ, और होना ही था, कि वह एक नया कदम है हमले के लिये, नया क़दम है और मुल्कों को खतरे में डालने के लिये। चुनांचे नियत कुछ भी हो, इसका नतीजा ग़लत हुआ। हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि क्या नतीजा हुआ। और एशिया के और मुल्कों में भी। इसलिये यह क़दम दुनिया में अमन बढ़ाने के लिय नहीं हुआ बल्कि और खतरा बढ़ाने के लिये, लड़ाई के लिय हो गया। इसलिये यह बुनयादी तौर से ग़लत है, चाहे इसका खतरा हमारे लिये हो या और जगह के लिये। तो मैं चाहता हूं कि इस नकशे को आप सामने रखे और इसके साथ आप यह सोचें कि जितनी हम में ताक़त है उसी से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। किस क़दर औरों की मदद हम लें, तरह तरह का मतालबा होता है, यह शिकायत की गई और ताना दिया गया कि हम एतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान को फौजी मदद दी गई और हमने अमरीका में जा कर टैंक खरीदे: कुछ हवाई जहाज़ खरीदे और कुछ इस किस्म का सामान खरीदा। बहुत मुनासिदब नहीं थी इस किस्म की शिकायत और ताने देना। और इस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, अलावा इसके कि जो कुछ हमने किया उसको पैसा देकर लिया और जैसे हम दूसरी चीज़ खरीदते है, वैसे खरीदा। कोई सवाल भी नही उठा था और इस में कोई गोलमाल की बात नहीं थी, जो मामूली खरीद फ़रोख्त थी, वह किया, और कोई बात नहीं। हां, एक बात सही है, श्री मुकर्जी ने, अमरीका का कोई कानून है म्यूचुअल सिक्योरिटी एक्ट, उसकी चर्चा की। यह बात सही है, मेरे दिमाग़ में यह नहीं था, लेकिन आज लोगों ने याद दिलाया। तो जब वह कोई हथियार बेचते हैं तो इसकी बिक्री के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। क्यों उन्होंने रखा है, ग़ालिबन इसलिए कि उनका कोई हथियार जिनको वह दुश्मन समझते हैं उन के हाथ में न चला जाये। जो भी इसकी वजह हो, चूंकि उन की गवर्नमेंट इस कानून से इजाज़त देती है कि वह जाना चाहिये, चुनांचे इस कानून से उन्होंने इजाज़त दी कि हां, यह बिक सकते हैं हमारे हाथ। यह सही बातें हैं कि उनके यहां यह कानून है, उन्होंने इजाज़त दी और उन की इजाज़ात

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

की बुनियाद पर हमने सामान ख़रीदा, वह आया । इसका मुक़ाबला करना इस क़िस्म की फौजी मदद से जो पाकिस्तान को दी जा रही है, यह नामुनासिब है और इस से कोई ताल्लुक़ नहीं है । अगर इसमें या आइन्दा किसी चीज़ की ख़रीदारी में ज़र्रा भर भी कोई शर्त हो, खुली हुई या छिपी हुई जो हमारी नीति में या हमारी आज़ादी में ख़लल डालती है तो, आपसे पहले भी कहा जा चुका है और मैं फिर भी कहता हूं कि हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, न उस चीज़ को लेंगे । और क्यों ? आख़िर हमारा ख्याल यह है, और ज़ाहिर है कि हम चाहते हैं कि हमारी फौज के पास अच्छे हथियार हों, हम चाहते हैं कि हम जहां तक हो सके खुद बनाये और नहीं बना सकते तो और जगह से लें जब तक ज़रूरत हो, लेकिन फ़ौजी हथियारों से ज्यादा ज़रूरी बात, मैं समझता हूं अपने मुल्क की ताक़त को बनाये रखना है । अगर एक दफा भी हमारा ख्याल हो गया कि हम दूसरे पड़ोसी से ज्यादा अपनी ताक़त रखते हैं या रखेंगे या अपनी रक्षा करेंगे तो फिर हम कमजोर हो गये, चाहे आपके पास कितने ही हथियार आ जाये ।

फिर आप अपने लोगों के पास जायें कि वह तक़लीफ़ उठायें, मुसीबत उठायें, और अपनी जान मरने के लिय दें, वह कहेंगे कि आपने इन्तजाम दूसरा किया है, कारण मुल्क की हवा और फ़िज़ा बदल जाती है । दूसरे पर भरोसा करना हम नहीं चाहते कि यह बात हो ।

ख़ैर, मैं ने आप से आम बातें कही, कुछ खास बातों का ज़िक्र हुआ और में कुछ उनका भी ज़िक्र करना चाहता हूं । गोआ का ज़िक्र हुआ और गोआ के सिलसिले में शायद यह भी कहा गया कि एक एग्लो-पोर्चगीज़ सुलहनामा है, बहुत पुराना है और यह नेटो का जो सुलहनामा है उस का गोआ पर क्या असर पड़ता है । इस के बारे में तो मेरा ख़याल है कि कई बार जो लोग नेटो में हैं बड़े देश, उन्होंने बहुत सफाई से कहा है कि उससे गोआ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और न मैं समझता हूं कि उस पुराने एग्लो-पोर्चगीज़ सुलहनामे का गोआ से कोई ताल्लुक़ है । गोआ का सवाल उनसे बिल्क़ल जुदा है । बहरसूरत जहां तक हमारा ताल्लुक़ है, यानी हिन्दुस्तान का और गवर्नमेंट आफ इडिया का, हम ने नेटो को इस में दख़ल देना चाहते हैं और न कोई और सुलहनामे से ताल्लुक़ है । गोआ का तो एक सीधा सादा सवाल है, और आपसे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिन्दुस्तान से १५० वर्ष के शासन के बाद यहां से अंग्रजी हुकूमत हटी, अब हिन्दुस्तान के एक छोटे से कोने में कोई एक बाहरी योरप की बाहरी देश की हुकूमत रहे, यह किस तरह से किस क़ानून से या किस दिमाग़ से । मेरी समझ में नहीं आता कि इस चीज़ को सही समझा जा सकता है । यह एक निकम्मी बात है और यह नामुमकिन बात है कि हिन्दुस्तान इस बात को बरदाश्त कर सके, क्योंकि एक तो हमारे आज़ाद हिन्दुस्तान की शान इस बात के लिये तकाज़ा नहीं करती, दूसरे यह कि किसी दूसरे बाहरी मुल्क का हमारे यहां अड्डा बना रहना जिससे हर वक्त ख़तरा बना रहे कि न जाने किस वक्त उससे एक बेजा फ़ायदा हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उठा लिया जाये । इस के अलावा हमारी रोज़-मर्रा की दिक्कतें तो हैं ही, इन विदेशी बस्तियों के क़ायम रहने से पचासों दिक्कतें हमारे लिये पैदा होती है, मसलन् स्मगलिंग होती हैं और कितनी ही दूसरी परेशानियां पेश आती हैं । गोआ के निस्बत शुरू से हमने कहा कि हम इस मसले को शान्ति से और बाअमन तरीक़े

से हल किया चाहते हैं और उस पर हम क़ायम रहे। कुछ लोग नाखुश भी हुये कि हम कमजोरी दिखाते हैं, फिर भी हम उस पर क़ायम रहे और हम आइन्दा भी उस पर क़ायम रहना चाहते हैं, क्यों कि आप फिर दुनिया के बड़ नक़शे को देखें, यह सवाल उसका नहीं हो जाता है ये चीज़ बड़े सवालों में अटक जाती है और हम कोई एक ऐसा क़दम उठायें जिससे हम एक दलदल म फंस जाय तो वह बहुत अक्लमंदी की बात नहीं होगी। गोआ या पाण्डीचेरी हमसे जा कहां सकते हैं, कहीं हवाई जहाज़ में बैठ कर हिन्दुस्तान से बाहर उड़ थोड़े ही जायेंगे, हिन्दुस्तान में है और यहीं रहेंगे, इसमें कोई शक किसी को नहीं हो सकता और ये सारी बस्तियां हमारे रिपबलिक का एक जुज़ होने वाली है। अब किस वक्त क्या क़दम उठाया जाय, शान्तिमय तरीक़ को अपनाते हुये, यह ग़ौरतलब बात है और हर वक्त ग़ौर होता है, मुमकिन है कि कभी ज़रा तेज़ क़दम हो और कभी क़दम हलका हो। अभी आपने देखा कि पांडिचेरी में क्या हुआ ? एक अजीब नज़ारा और तस्वीर वहां देखने को मिली, क्या आपने उस पर गौर किया कि यह कितनी बड़ी जीत हमारी नीति की है ? इसके माने यह नहीं कि वह जीत हमने करायी, वह तो जीत होती ही नहीं थी, लेकिन इसके माने यह हैं कि हामरी शान्तिमयी नीति की जीत हुई उन लोगों को अगर ठीक से अपनी राय देन का मौक़ा मिलता, रेफ़्रेंडम और प्लेबिसिट का चर्चा हुआ था, अगर वह ठीक तरह से होता तो वह उस पर अपनी आज़ादाना राय देते, लेकिन वह बात नहीं हुई, क्योंकि फ़्रांसीसी हुकूमत ने जो वहां इन्तजाम किया था उसमें कोई भी रेफ़्रेंडम सही तौर से नहीं हो सकता था, उसमें बहुत दबाव था, लट्ठबाज़ी थी, गुंडेबाज़ी थी, यह चीज़ हमने नहीं बल्कि जो बाहर के अफसर वहां पर भेजे थे उन्होंने कही। तो अब रेफ़्रेन्डम का क्या सवाल, जब वहां के जितने चुने हुये लोग हैं आम लोग हैं सबों ने इस बात को एक आवाज़ से कहा। आज के अख़बारों में चर्चा है कि फ़्रेंच गवर्नमट ने इस बारे में कोई एक नोट भेजा है, उसके बारे म मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक वह नोट हमारे पास नहीं आय ह, अगर आयेगा तो उस पर ग़ौर किया जायेगा लेकिन ज़ाहिर है कि अब वक्त आ गया है और फ़्रेंच गवर्नमट को भी समझना है कि इस बात को लम्बा करने से किसी को फायदा नहीं है और उन को तो इससे सबसे कम फ़ायदा है। इसलिय जो बात हमने पहले कही थी यानी यह कि वाक़ियाती तौर से उसका अखित्यार गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया को दे दिया जाय, क़ानूनी तौर से बाद में उस पर विचार होता रहे और फिर वह क़ानून बदलते रहें, कांस्टीट्यूशन फ़ुरसत से बदलें।

क़ब्ल इस के कि मैं भूलूं नहीं, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आजकल किस क़दर गलत बातें फैलायी जाती हैं, ग़लत किस्से और कहानियां गढ़ी जाती हैं। अभी चन्द रोज हुये एक अखबार में एक अजीबोग़रीब ख़बर छपी थी, शायद कोलम्बो से निकली थी या कहां से निकली थी कि एक एन्टी कम्यूनिस्ट सम्मेलन सीलोन में होने वाला है जिसमें चंद बुजुर्ग मुख़तलिफ़ मुल्कों से बुलाये गए हैं और उसम श्री राजगोपालाचार्य का नाम था। कोई भी आदमी जो उसको पढ़ता तो देख सकता था कि यह कितनी निकम्मी बात है और यह कोई एक चंडूखाने की ख़बर मालूम देती थी। मैंने इस बारे में श्री राजगोपालाचार्य से पूछा था। उन्होंन उत्तर दिया कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और न उनको कोई एसा निमंत्रण प्राप्त हुआ ह।

शायद कल हमारे क़छ दोस्तों ने हमारी सरहद का ज़िक्र किया था, खास कर उस सर-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हद का जो कि तिब्बत की तरफ है और जो कि मैकमोहन लाइन कहलाती है। मुझे मालूम नहीं कि उन के दिल में इस बारे में क्या शक पैदा हुआ था क्योंकि यह मैकमोहन लाइन तो एक माक़ूल चीज़ है, कोई हवाईचीज़ नहीं है और इस वक्त हिन्तुस्तान की सरहद है जिस पर कि हमारे काफ़ी चैक पोस्ट वगैरह कायम हैं, और जहां तक हमारा ताल्लुक़ है वह सरहद है और रहेगी। कोई किसी मुल्क से बहस की बात नहीं है, न हम उसके बारे में किसी से बहस करने वाले हैं। तो फिर यह शक किसी के दिमाग़ में उठने के कोई मानी नहीं है। इस सरहद के सिलसिले में मेरे दोस्त शर्मा जी ने कुछ एतराज़ किया कि वहां नार्थ ईस्ट फ़्रन्टियर एजेन्सी न जो एक नया क़दम उठाया है और अफ़सरों का एक अलग काडर बनाया है वह उनको पसन्द नहीं आया। मुझे अफ़सोस है कि उन्हें पसन्द नहीं आया। लेकिन हमने इसको बहुत सोच समझ कर किया है और मेरी पक्की राय है कि इस रास्ते पर हमें चलना है और ज़ोरों से चलना है और अगर ज़रूरत हुई तो और भी चलना है। बुनियादी बात क्या है? जो उनको खतरा है वह शायद यह है कि हम इसको आसाम से अलग करना चाहते हैं। म नहीं चाहता कि हम इसको आसाम से अलग करें या किसी दूसरे को हम किसी दूसरे हिस्से से अलग करें। म चाहता हूं कि हमारे सब हिस्से एक दूसरे से ज्यादा मिल कर रहें। लेकिन अव्वल बात देखने की यह है कि वहां के लोग खुशी से आग बढ़ें।

यह जो उस तरफ के हिन्तुस्तान के सरहदी हिस्से हैं वह हिन्दुस्तान में किसी क़दर नय आये है और बहुत सही ढंग से नहीं आय ह। मेरा मतलब यह है कि अंग्रेजी ज़मानें में सही ढंग से नहीं आये हैं। उन के ऊपर ख़ास तौर से कोई असर नहीं हुआ। हमारे यहां जो आज़ादी की तहरीक हुई उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। हम उनके पास नहीं जाने पाते थे, वह हमसे अलग थे। अब हमें उनको अपनाना है। तो सबसे बड़ा सवाल है उनको अपनाने का, कि वह महसूस करें कि वह हमारे और हम उन के हैं, और उनका भविष्य, उनका मुस्तक्बिल, इसी में है कि हम हाथ में हाथ मिला कर आगे बढ़ें। यह अव्वल बात है। जब यह बात उन के दिमाग में आ जाये तो और रिश्ता आगे बढ़ाया ाय। अगर शुरू में उन के दिल में यह असर हो जाता है कि हम ज़बरदहस्ती रिश्ता बना रहे हैं तो कोई रिस्ता नहीं बनता है बल्कि उसका उल्टा असर होता है।

मैंने सुना कि मेरे साथी डिप्टी मिनिस्टर साहब न एक मज़मून की चन्द लाइनें पढ़ कर सुनाईं। डेढ़ दो साल हुये मैंने एक मज़मून लिखा था। जब में सीमा प्रान्त में गया था उस समय लिखा था। वह मज़मून मैंने अपने अफ़सरों वग़ैरह के लिये लिखा था और व एक खुफिया परचा समझा जाता था। असल में उसमें कुछ खुफिया नहीं हैं। उसमें मैंने जो वहां देखा उसके बारे में मेरी राय का इज़हार है। लेकिन चूंकि उसका कुछ हिस्सा पढ़ा गया है इसलिए मैं ने सलाह दी है कि सिर्फ वही हिस्सा नहीं बल्कि वह पूरा परचा मेज पर रख दिया जाय ताकि जो साहेबान देखना चाहें देख सकें। उसको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रख दिया जाय या यहां पर मेज़ पर रख दिया जाय। उससे वह नीति जो हम सरहद में चलाना चाहते है वह सामन आ जायेगी। वह नीति यह बिल्कल नहीं है कि यह हिस्सा आसाम से अलग हो जाये। हम तो चाहते हैं कि सब मिल कर साथ साथ चले। लेकिन वह नीति यह है कि उन लोगों

की तरक्क़ी तेजी से हो और उन के मन मे यह विचार न आये कि उन पर ज़बरदस्ती से या दबाव से कोई बात की जा रही है। यह काफ़ी कठिन सवाल है। यह काम जल्दी से नहीं किया जा सकता बल्कि इस में दस बीस बरस लगेंगे तब हम इन जातियों को अपनी तरफ ला सकेंगे।

अक्सर भाषा का सवाल उठता है। उन की भाषायें बहुत पिछड़ी हुई हैं, कोई बहुत ऊंचे दरजे की तो है नहीं, और वहां पचासों भाषायें हैं। हर दस बीस गांव के बाद एक अलग भाषा है। फिर भी हम उनको प्राथमिक शिक्षा उन की ही भाषाओं में दे रहे हैं। इस के अलावा वह और भी भाषा सीखते हैं। लेकिन आप देखिये कि उनकी कठिनाई क्या है। मेरे पास एक खासी आया और कहने लगा कि आपने जो यह प्रबन्ध किया कि हम अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करें यह तो ठीक है, हमें पसन्द है। इस के अलावा यह भी आवश्यक है कि हम आसामी भाषा सीखें, आसामी लिपि में। इस वक्त वह जो अपनी भाषा सीखते हैं वह पुराने ज़माने से, मिशनरियों के ज़माने से, रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उसमें उस की ग्रामर है, किताबें हैं और उसी में वह सीखते हैं। तो एक रोमन लिपि में वह खासी भाषा सीखते हैं। आसामी भाषा उन्हें आसामी लिपि में सीखनी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिये हिन्दी भी सीखना आवश्यक है, नागरी लिपि में, और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ी भी सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चार भाषायें और तीन लिपियां हमको सीखनी पड़ती हैं। इस तरह से उन बेचारों पर काफी भार पड़ता है। वह ट्राइबल लोग हैं और मेरी राय में उनका यह बात कहना बहुत उचित ही था। उन्होंने कहा कि कम से कम एक बोझा तो कम कर दीजिये। आसामी भाषा जो हम सीखना चाहते हैं उसे नागरी लिपि म कर दीजिए तो इस से एक लिपि तो कम हो जायेगी। मुझे तो यह मुनासिब बात मालूम हुई लेकिन आप जानते हैं कि इन बातों में फूंक फूंक कर चलना चाहिए नहीं तो लोगों पर उसका एक उल्टा असर होता है।

मैं ने सुना कि हमारे एक साथी ने इस बात पर एतराज़ किया कि हमारे राजदूत, एम्बेसेडर वगैरह सब पुराने आई० सी० एस० के लोग होते हैं, और एक वर्ल्ड कानफरेंस हुई थी वहां, मालूम नहीं बीस बाईस आई० सी० एस० थे और सिर्फ दो और लोग थे। यह बात सही है। लेकिन उनके दिमाग से कुछ अभी स्वराज्य के पहले की हवा नहीं गई है। वह अभी उस वायुमंडल में है जिसको हमने सात आठ बरस हुए खत्म कर दिया था। हमने एक इंडियन फ़ारिन सरविस बनायी है, उस इंडियन फ़ारिन सरविस में हम अपनी राय में क़ाबिल से क़ाबिल लड़कों को लेते हैं, सख्त इम्तिहान लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें डेढ़ दो बरस काम के शुरू करने के पहले सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इस देश में और दूसरें देशों में। उन को विदेशी भाषायें सिखाते हैं। उसके बाद वह एक पहला क़दम लेते हैं और एक एपरेंटिस हो कर कहीं काम करते हैं। नई भाषायें सीखते हैं। हलके हलके वह सीखते है। वैदेशिक सवाल उन के सामने आते हैं वह और देशों का इतिहास पढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वहां की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है और हमारे देश की क्या है इस तरह वह दस बीस बरस में अपने को तैयार करते हैं। किस लिए? इसलिए कि जितने ज्यादा वह तैयार होंगे उतने ही ज्यादा जिम्मेदारी के ओहदे उनको मिलेंगे। बहुत पेचीदा दुनिया है। उन लोगों का काम बहुत पेचीदा होता है और वह इसके एक्सपर्ट होते ह। अब कहा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जाता है कि यह लोग तो आई० सी० एस० के हैं। वह सब आई० सी० एस० नहीं हैं। हां, पुरानी सरविस के कुछ लोग इस में आते हैं। बाहर से भी हमने लिय हैं। जो लोग फ़ारिन सरविस में लिए हैं उन में से कुछ आई० सी० एस० के लिए हैं, कुछ फौज से लिए हैं और दूसरी सरविसेज़ से लिए हैं। कुछ लोग बाहर से लिए हैं, यानी जो कि पहले गवर्नमेंट सरविस में नहीं थे, कहीं प्रोफेसर थे, या कहीं बैरिस्टर थे, कानूनदां थे, उनको लिया है। वह सब मिल कर एक फ़ारिन सरविस बनी है।

अब उसमें हर किस्म के लोग हैं। यह बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। मैं तो नहीं कहता कि हर एक उसमें से बहुत ही ऊंचे दर्जे के लायक़ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है, काफ़ी अच्छा है और कोशिश करते हैं उसको बेहतर करने की। आम तौर से किसी मुल्क की फ़ारिन सरविस के बनाने में पचासों वर्ष लगते हैं। यह महज़ किसी को चुन लेना नहीं है। हलके हलके किसी सरविस का, दफ्तर का तजुर्बा बढ़ता है। आप जानते हैं कि हमन यह सब पांच सात वर्ष में किया। अब कोई साहब इस के लिए कहें कि इस में से तो एक आई० सी० एस० की आती है, पबलिक मैन लेने चाहियें, तो हमने पबलिक में से भी लिये हैं। लेकिन आप के ग़ौर करने की बात है कि क्या पबलिक मैन महज़ होना ही एक माक़ूल बात है। पबलिक मैन भी होते हैं जो लायक़ होते हैं, लेकिन ऐसे भी पबलिकमैन होते हैं कि जो लायक़ नहीं होते हैं ! माथे पर पबलिक मैन लिख देना ही लियाकत की निशानी नहीं है। हां, बड़ी जिम्मेदारी के जो काम होते हैं वह पबलिक मैन करते हैं चाहे आपकी गवर्नमेंट बने या कैबिनट बने यह ठीक है, इस तरह से हमारे उसूल के मामलों में हमारे लोगों का कंट्रोल रहे। लेकिन जहां आपको कोई एक्सपर्ट का काम करना है उसके लिए भी क्या आप पबलिकमैन ही को लेंगे। इस तरह की बात हो तो क्या आप कहेंगे, फौजी अफसरों को क्यों भरती कर लिया पबलिकमैन को जनरल्स बनाना चाहिये तो पबलिकमैन कितने ही लायक़ हों, बहुत मुमकिन है कि वह जनरली काम में कामयाब न हों। क्योंकि यह एक पेशा है, जिसको बीस-पच्चीस वर्ष तक लोगों को सीखना पड़ता है। हां, डिफेंस मिनिस्ट्री में पबलिकमैन दें। यह ठीक है, जहां सिद्धांत की बातें तय करनी हैं, नीति की बातें तय करनी हैं, पालिसी की बातें जहां होती हैं।

तो फ़ारिन सरविस में ज्यादातर आदमी जो एम्बैसैडर वग़ैरह होते हैं, राजदूत वग़ैरा उस में पबलिक की तरफ से भी लेते हैं और पबलिक की तरफ से भी हमने आदमी लिए हैं। इस तरह वह हमारी फ़ारिन सरविस में हो गयें हैं। उनका भी वह क़रीब क़रीब पेशा होता जाता है, फौरन सरविस का या राजदूत का पेशा होता जाता है और ज्यों ज्यों वह एक्सपर्ट होते जाते हैं हमें उन पर भरोसा होता जाता है।

अब जो सवाल चन्द्रनगर का उठाया गया तो मैं ने आप से इस बारे में कहा था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी वहां का कुछ फैसला हो जायेगा। जो कमीशन की रिपोर्ट है कमोबेश हमें उम्मीद है कि उसी ढंग पर फ़ैसला होगा।

अब आख़िर में एक बात मैं आप से कहूं कि यह वैदेशिक नीति एक बहुत पेचीदा चीज़ समझी जाती है और एक माने में है भी। आम तौर से समझा जाता है और एक पुराने अंग्रेज़ राजदूत ने लिखा था, आज नहीं दो

ढ़ाई सौ वष की बात है, कि एक अम्बैसैडर का काम है कि अपने मुल्क की तरफ से जाकर दूसरे मुल्क में झूठ बोलना । यह उन्होंने बताया था कि राजदूत का यह पेशा है । ख़ैर कहां तक वह सही है या नहीं है मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी यह समझा जाता है कि इसमें वैदेशिक नीति में, विशेषकर धोखेबाजी से काम चलता है । एक बहुत पुराने, बहुत पुराने नहीं, जरमनी के बहुत मशहूर आदमी बिस्मार्क, आप लोग उन के नाम से वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने बहुत ज़ोर दिखाया और अपने मुल्क के लिये बहुत धूमधाम की लड़ाई में फ़तह हासिल की । यह समझा जाता था कि वह बहुत ऊंचे दरजे के स्टेट्समैन थे । तो उन से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी ऐसे क्यों हो जाती है । उन्होंने कहा कि बात यह है कि हर एक आदमी हमेशा समझता है कि इस में फ़ारिन पालिसी में, वैदेशिक नीति में, हर एक आदमी झूठ बोला करता है । चुनांचे जो कुछ वह कहता है उस पर कोई भरोसा करता नहीं । मैं ने यह किया कि मैं हमेशा जो करने वाला था सच सच कहा । लोगों ने चूंकि उस पर भरोसा ही नहीं किया इसलिये वह गड़बड़ा गये । वह समझे कि मैं धोखा दे रहा हूं । जो कुछ मैंने कहा वह सच कहा था, लेकिन वह धोखे में पड़ गये, क्योंकि वह समझते थे कि मैं धोखा दे रहा हूं।

तो, ख़ैर, इस पेच मे तो ह; नहीं जाना चाहते । लेकिन वाक़ा यह है कि हमारी जो कुछ वैदेशिक नीति है वह बिल्क़ल सीधी सादी है । उस पें कोई पेच नहीं है । हां, यह सही बात है कि हम सरे बाज़ार उसकी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें और देश का भी सम्बन्ध है । लेकिन इस में कोई छिपी बात नहीं है कि हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चालबाज़ी कर रहे हैं या किसी और मुल्क को धोखा दे रहे हैं । सीधी सी हमारी पालिसी है जिसको हज़ार दफ़ा हमने दोहराया है । लेकिन अक्सर मैं पढ़ता हूं, यहां तो शायद किसी को धोखा न हो, लेकिन और मुल्कों के अख़बारों को मैं पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि वह क्या लिखते हैं । वह कहते हैं कि यह जो हिन्दुस्तान की नीति है, इस के पीछे क्या बात है । सीधी बात है लेकिन उस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन समझेंगे कि इस के पीछे कोई बुरी बडी गूढ़ नीति है धोका देने की । चुनांचे वह सीधी बात को सीधी तौर से नहीं देखते और इस लिये वह खुद गड़बड़ा जाते हैं ।

ज्यादातर आदमी इस मज़मून पर बोले । उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी की हो, लेकिन अधिकतर इस हमारी नीति को मंजूर किया । आप लोगों ने जो हमारी नीति को मंजूर किया तो इस बात के लिये मैं हाउस का बहुत मशकूर हूं । इस में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें कहीं । वह हमारे बहस करने की हो सकती हैं, उन के बारे में मुझ से कहे अलग आकर कहें, तो उन बातों पर विचार कर सकते हैं । लेकिन जो हमारी मोटी नीति है, उस पर हम सबको एक दिल से क़ायम रहना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सारे कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के मतदान के लिये मांगों को प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या २२, २३, २४ और २५ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

इसके पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।